REPRODUCTIVE HEALTH *matters*

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स

Issue 5, 2011

अंक 5, 2011

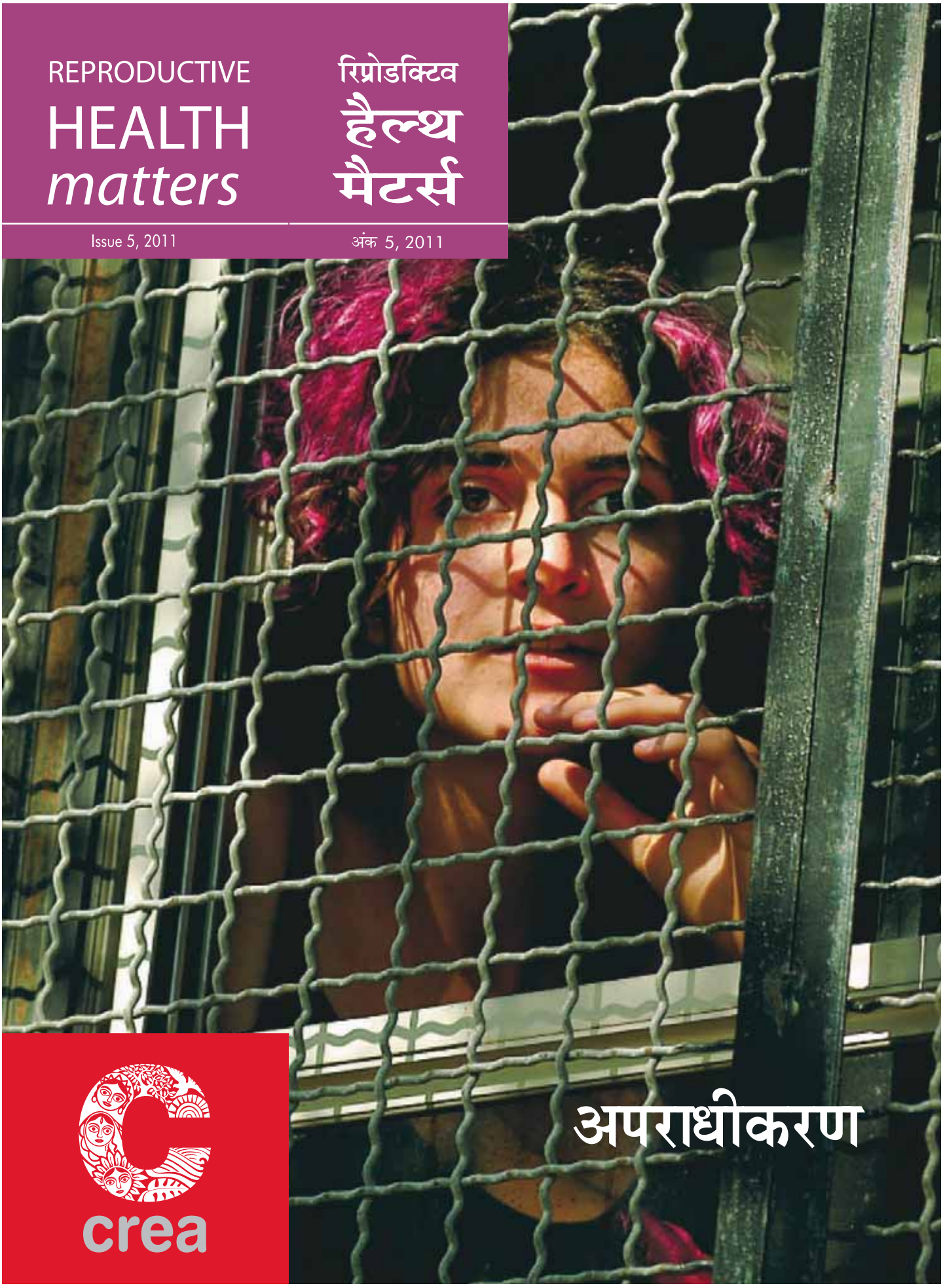

अपराधीकरण

crea

Criminalisation
RHM in Hindi
Issue # 5, 2011

Hindi edition published by:
Creating Resources for Empowerment in Action (CREA)

CREA empowers women and girls to articulate, demand and access their human rights by enhancing women's leadership, strengthening civil society organisations, influencing social movements and creating networks for social change. A global feminist organisation based in India, CREA works to make human rights an effective tool for social change, and to integrate human rights mechanisms, awareness, and principles into the fabric of the society.

Coordinated by:
Meenu Pandey
Asma Saleem
S. Vinita

Translation and Review by:
Asma Saleem
Nidhi Agarwal
Gaurav Bhargava
Sominder Kumar

Cover Photo by:
Woman detained by police with other members of the gay and lesbian community after they attempted to hold a gay pride parade in Jerusalem, 2006. Ahikam Seri/ Panos Pictures

Design and typesetting by:
Brijbasi Art Press Limited

With support from:
Reproductive Health Matters, UK

To get free copies of RHM Hindi issues, contact:

CREA
7 Jangpura B, Mathura Road
New Delhi 110014, India
t: 91 11 24377707, 24378700/01
f: 91 11 24377708
Email: crea@vsnl.net

RHM Hindi can also be downloaded for free from www.creaworld.org

Papers in this issue are from:
Reproductive Health Matters (RHM)
Volume 17, Number 34 November 2009

©Reproductive Health Matters 2011

RHM is a Registered Charity in England and Wales, No. 1040450
Limited Company Registered
ISSN 0968-8080

RHM is indexed in:
Medline
PubMed
Current Contents
Popline
EMBASE
Social Sciences Citation Index

For Submission of papers:
Marge Berer, Editor
E-mail: mberer@rhmjournal.org.uk

For any other queries:
Pathika Martin
E-mail: pmartin@rhmjournal.org.uk

Guidelines available at:
www.rhmjournal.org.uk
RHM is part of the Elsevier Health Resource Online: www.rhm-elsevier.com

RHM editorial office:
Reproductive Health Matters (RHM)
444 Highgate Studios
53-79 Highgate Road
London NW5 1TL, UK
Phone: 44-20-7267 6567
Fax : 44-20-7267 2551

REPRODUCTIVE HEALTH *matters*

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स

Issue 5, 2011

अंक 5, 2011

अपराधीकरण

crea

Table of Contents

Foreword

Editorial

7	Marge Berer	Criminalisation, sexual and reproductive rights, public health − and justice

Articles

18	Alexandra Lutnick, Deborah Cohan	Criminalisation, legalisation or decriminalisation of sex work: what female sex workers say in San Francisco, USA
35	Geetanjali Misra	Decriminalising homosexuality in India
50	Sofia Gruskin, Laura Ferguson	Government regulation of sex and sexuality: in their own words
67	Nduku Kilonzo,Njoki Ndung'u, Nerida Nthamburi, Caroline Ajema, Miriam Taegtmeyer, Sally Theobald, Rachel Tolhurst	Sexual violence legislation in sub-Saharan Africa: the need for strengthened medico-legal linkages
85	Lidia Casas, Claudia Ahumada	Teenage sexuality and rights in Chile: from denial to punishment
103	Ralf Jürgens, Jonathan Cohen, Edwin Cameron, Scott Burris, Michaela Clayton, Richard Elliott, Richard Pearshouse, Anne Gathumbi, Delme Cupido	Ten reasons to oppose the criminalisation of HIV exposure or transmission

विषय-सूची

प्रस्तावना

संपादकीय

7	मार्ज बेरर	अपराधीकरण, यौन एवं प्रजनन अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य : और न्याय

निबंध

18	एलैगज़ैन्ड्रा लुटनिक, डेबोरा कोहेन	यौनकर्म का अपराधीकरण, वैधीकरण या गैर-अपराधीकरण : सैन-फ्रांसिस्को, अमरीका के यौनकर्मियों के विचार
35	गीतांजली मिस्रा	भारत में समलैंगिकता का गैर अपराधीकरण
50	सोफिया ग्रुस्किन, लौरा फरग्यूसन	यौन एवं यौनिकता का सरकारी नियंत्रण : उनके अपने शब्दों में
67	एंदुकु किलॉन्जो, एन्जॉकी एंदुंगु, नैरिदा एंथम्बुरी, कैरोलीन एजेमा, मिरियम तैगेत्मेयर, सैली थियोबॉल्ड, रैचेल टॉलहस्ट	सहारा मरुस्थलीय प्रदेशों (सब सहारन अफ्रीका) में यौन हिंसा के खिलाफ बने कानून : मेडिको-लीगल व्यवस्थाओ को मज़बूत किए जाने की आवश्यकता
85	लिडिया कैसास, क्लौडिया अहमदा	चिलि में किशोर यौनिकता तथा अधिकार : वंचित रहने से सज़ा तक
103	रैल्फ जरगैन्स, जौनेथन कोहेन, एडविन कैमरौन, स्कौट बरिस, माईकैला क्लेटन, रिचर्ड एलियट, रिचर्ड पीयरहाउस, ऐन गातुम्बी, डैल्मे क्यूपिडो	एचआईवी संचारण के अपराधीकरण का विरोध करने के लिए दस कारण

प्रस्तावना

क्रिया मुख्य रूप से महिलाओं के मानव अधिकारों और सभी लोगों के यौनिक अधिकारों की पूर्ति के प्रयास पर कार्य करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रिया नेतृत्व निर्माण, सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करने, विमर्श को आगे बढ़ाने और इनके हक में नीतियां बनाने के लिए माहौल तैयार करती है। क्रिया इन मुद्दों पर समुदाय, ज़िला, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को प्रभावित करने के लिए वैचारिक, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक क्षमता प्रदान करने का प्रयास भी कर रही हैं।

एक द्विभाषी संस्था होने के नाते क्रिया पहचानती है कि अंग्रेज़ी के मुकाबले, हिन्दी भाषी सक्रियतावादियों और संस्थाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य, यौनिकता और मानव अधिकार पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। क्रिया की कोशिश है कि हिन्दी प्रकाशनों के ज़रिये, यौनिकता, जेन्डर और प्रजनन स्वास्थ्य पर संसाधनों को उन समूहों तक पहुँचाया जाए जहां भाषा की सीमाओं की वजह से यह संसाधन कम पहुँच पाए हैं। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्रिया ने रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स के साथ सहभागिता स्थापित की है। इस संबंध में चार संस्करण 'यौनिकता एवं अधिकार', 'युवाओं के यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार', 'मातृ-मृत्यु एवं रुग्णता' और 'एचआईवी/एड्स और मानवाधिकार : एक विमर्श' प्रकाशित हो चुके हैं। हिन्दी में प्रकाशित आर.एच.एम. लेखों का यह पाँचवां संस्करण 'अपराधीकरण' पर आधारित है।

अपराधीकरण का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यवहारों और व्यक्तियों को अपराध और अपराधी में बदला जाता है। यौनिकता, प्रजनन स्वास्थ्य, जेंडर एवं अधिकार का अपराधीकरण से बहुत गहरा नाता है। किसी कृत्य के अपराधीकरण या उसके गैर-अपराधीकरण के पीछे गहरी सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था ही है। किसी भी कानूनी शोध/प्रक्रिया के ऊपर इस व्यवस्था का बड़ा प्रभाव होता है। यौनिकता पहले से ही समाज में एक दरकिनार मसला है। महिला आंदोलनों, यौन अधिकार आंदोलनों और एचआईवी/एड्स सक्रियतावादियों ने प्रजनन स्वास्थ्य तथा यौनिकता के मुद्दों को उजागर किया है। पर अब भी इन मुद्दों के ऊपर सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर कुछ ऐसी सोच बनी हुई है जिससे कई लोगों, गुटों और पहचानों को हाशिए पर अपनी ज़िंदगियां बितानी पड़ती है। अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि यौनिक अधिकारों के प्रसंग में, अपराधीकृत कृत्य उन्हीं को माना जाता है, जो समाज में पहले से ही दरकिनार हैं। चाहे वह समलैंगिकता हो, चाहे यौनिकता तालीम, चाहे यौनकर्म, इन्हीं तरह के कृत्यों को आपराधिक माना जाता है।

अगर हम अपराधीकरण को सिर्फ राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से ही ना देखें, तो क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण पंचायत, खाप पंचायत जैसे संचालन प्रणालियाँ भी खुद ही कानून बनाकर कुछ यौनिकता से जुड़े मसलों को आपराधिक करार देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने खाप पंचायत के फैसलों के बारे में काफी सुना है। जात, गोत्र के बाहर शादी करने से युगलों को गांव, कस्बा छोड़ देने पर मजबूर करना और उनके कत्ल तक के फैसले कई खाप पंचायतों ने दिए हैं। इन फैसलों के विरुद्ध काफी कार्य हुआ है। अप्रैल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों को असंवैधानिक करार दिया है। दो वयस्कों का अपने चुनाव से शादी करने के अधिकार को सम्मान दिया गया है।

भारत में गर्भपात के अधिकार के लिए कभी कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, पर कई देशों में आज भी गर्भपात निषेध है और ऐसा करना एक अपराध है। इसी तरह एचआईवी संचारण को अपराधीकृत करने वाले कानून, ज़बरदस्ती नस्बंदी करने वाले कानून और नीतियाँ लोगों के प्रजनन और यौनिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं

और लोगों के शरीर पर अपने नियंत्रण को कम करते हैं। कुछ यौनिकता संबंधी कृत्यों का अपराधीकरण लंबे समय से चले आ रहे मानव अधिकार और यौनिक अधिकार आंदोलनों की मांगों के बिल्कुल विपरीत है। कई देशों की कुछ आपराधिक नीतियां अंतरराष्ट्रीय कानूनी वचनबद्धताओं के भी विपरीत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव अधिकारों पर इनका बहुत ही पक्षपाती प्रभाव होता है और यह समर्थक कानूनी व नीति वातावरण की ज़रूरत को उजागर करते हैं।

सरकारों को यह समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ कुछ कृत्यों को आपराधिक घोषित कर देना ही काफी नहीं होता। उदाहरण के लिए बलात्कार सभी देशों में एक अपराध है। पर क्या इसे अपराध मान लेने से न्याय मिलने की प्रक्रिया सफल हो पाती है? बहुत बार बलात्कार के केसों में पीड़ितों की ना तो चिकित्सीय जांच हो पाती है, और ना ही वे परेशानियों के बिना पुलिस में एफ.आई.आर. लिखवा पाते हैं। अगर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करना ही इतना मुश्किल है, तो सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है। सरकार को कानून, नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन पर गंभीरतापूर्ण सोचने की ज़रूरत है।

कई यौनिक अधिकार गुट और आंदोलन कुछ अपराधिक कृत्यों के गैर-अपराधीकरण पर कार्य करते आ रहे हैं। गैर-अपराधीकरण की प्रक्रिया लंबी होती है और कई बार विवादास्पद भी। इस प्रक्रिया की शुरूआत ज़्यादातर तब होती है जब इन कानूनों के पीछे के तर्क का विरोध होता है। यह दर्शाया जाता है कि कैसे यह कानून यौनिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के विपरीत हैं। इन प्रक्रियाओं का प्रयास होता है यौनिक और शारीरिक सम्पूर्णता, व्यक्तिगत चयन को समाज में जगह दिलाना और सामाजिक नैतिकता से ऊपर उठकर ऐसे कानून बनाना जो हाशिए पर रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, ना कि उन्हें अपराधीकृत बनाकर ज़िल्लतभरी और पक्षपात से भरी ज़िन्दगी दें।

आर.एच.एम. के इस अंक में 7 लेख शामिल हैं, जो अपराधीकरण के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक पहलुओं से संबंधित हैं। इस पर भी चर्चा की गई है कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं अपराधीकरण से किस प्रकार प्रभावित होती हैं। इन लेखों में केस स्टडीज भी शामिल हैं, रिसर्च भी और सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक विमर्श भी। यह लेख केवल भारत के ही बारे में नहीं है बल्कि यह लेख दुनिया के कई कोनों से आए हैं जो अपराधीकरण पर आधारित हैं और उन परिस्थितियों तथा कोशिशों पर प्रकाश डालती हैं जो भारत के लिए प्रासंगिक हैं और जिनकी जानकारी हिंदी पाठकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।

हमारी यह कोशिश कितनी कामयाब है, इस बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव अंक के आखिर में दिए मूल्यांकन पत्र द्वारा अवश्य भेजें ताकि आने वाले अंकों को हम अधिक बेहतर और उपयोगी बना सकें। हमें उम्मीद है कि अधिकारों और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले लोग इस से लाभ पाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में इसका उपयोग कर पाएंगे।

© 2009 Reproductive Health Matters.
All rights reserved.
Reproductive Health Matters 2009;17(34) : 4-9
0968-8080/09 $ - see front matter
PII: S096 8 - 8 08 0 (09) 34 4 6 9 - 9

संपादकीय

अपराधीकरण, यौन एवं प्रजनन अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य - और न्याय

Marge Berer

मार्ज बेरर*

इस पत्रिका में शामिल लेखों में जिन विषयों पर चर्चा की गई है, वे हैं - बलात्कार तथा यौन हिंसा, लड़कियों के मैथुन अंगों के विकृतीकरण, यौन व्यापार, आधुनिक गर्भनिरोधकों की उपलब्धि एवं उपयोग तथा गर्भपात, समलैंगिकता और एचआईवी संचारण से संबंधित कानून तथा उनका अपराधीकरण। यह लेख अत्यंत विचारउत्तेजक हैं, विशेषकर जब इन्हें एक साथ पढ़ा जाए, क्योंकि अपराधीकरण अच्छा है या बुरा इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि प्रत्येक आपराधीकृत कृत्य के संदर्भ में इसकी अलग समझ बनाना आवश्यक है। यह कहना आसान है कि आधुनिक गर्भपात के विकल्प महिलाओं को कानूनी रूप से उपलब्ध होने चाहिए क्योंकि वे उनके जीवन व स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और यह भी कि व्यक्ति की यौन पहचान उसमें निहित है अतः समाज को उसका सम्मान करना चाहिए तथा कानून द्वारा उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। लेकिन यह कहना आसान नहीं कि न्याय प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, जो बदले की भावना को जन्म न लेने दे; या फिर अपराध करने वाले तथा उसके शिकार, दोनों व्यक्तियों के अधिकार कैसे सुरक्षित रखे जाएं, विशेषकर जब किसी को खतरा पहुँचाने की मंशा न होते हुए भी एक गंभीर या अत्यंत खतरनाक अपराध हुआ हो, जैसे कि एचआईवी संचारण।

नैतिक निंदा व्यक्त करने वाले कानून

इन लेखों में जिन कानूनों का विश्लेषण किया गया है, उनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, और किया भी जाता है तो मनमाने ढंग से और ऐसे लोगों के विरुद्ध जिनका कानूनी प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पाता। वास्तव में इतने लोगों को सज़ा देने के लिए पर्याप्त संख्या में न तो पुलिस ही काफी है, और न ही उचित संख्या में वकील, न्यायाधीश या जेल उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ कानून कलंकित करने या नैतिक निंदा व्यक्त करने का काम करते हैं, खासकर ऐसे मामलों में जहाँ एक प्रकार के व्यवहार को गलत माना जाता है, और जहाँ ज़रूरी नहीं है कि किसी को जेल में ही डाला जाए, कुछ गिने-चुने लोगों पर इनका उपयोग किया जाता है जिससे कि इन कानूनों की मौजूदगी याद रहे। अतः जहाँ एक ओर गर्भपात कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, वहाँ गर्भपात कराने वाली महिलाओं को शायद सज़ा न दी जाए, पर

* यह संपादकीय रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स (अंग्रेजी) नवम्बर 2009 के अंक से लिया गया है। इस संपादकीय में कुछ अंश ऐसे भी हो सकते हैं, जो अंग्रेजी अंक में तो शामिल हैं, लेकिन इस हिन्दी संस्करण में नहीं।

उन्हें गर्भपात कराने की सुरक्षित तकनीकें भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे सज़ा देने की मंशा कुछ हद तक तो पूरी हो ही जाती है।

ऐसे कानूनों को रद्द करने के लिए, अधिकांश नागरिकों को विश्वस्त करना होगा कि जिस कृत्य को गैर कानूनी माना जाता है, वह वास्तव में मान्य व वैध है, अतः उसका गैर अपराधीकरण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कानून को बदलने की माँग को लेकर सक्रिय अभियान चलाए जाने चाहिएं। ऐसा 20वीं सदी की शुरुआत में आधुनिक गर्भनिरोधकों के संदर्भ में अधिकतर देशों में हुआ। लेकिन सार्वजनिक स्तर पर लोगों की सोच में बदलाव आने के बावजूद, जैसा कि गर्भपात के संदर्भ में अधिकतर देशों में हो रहा है, इस डर से कि कहीं कानून बदलाव के विरुद्ध न हो जाए, कई बार कई दशकों तक कानूनी संशोधन नहीं किए जाते। बैल्टन आदि ने दिखाया है कि किस तरह इंडोनेशिया, जहाँ आज़ादी के बाद भी गर्भपात एक आपराधिक कृत्य माना जाता था, वहाँ संशोधित दंड संहिता 2009 के अंतर्गत महिलाओं के जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा का तर्क देकर गर्भपात को कानूनी कर दिया गया। लेकिन एक माह के अंदर ही केथोलिक चर्च के दबाव में आकर इस संशोधन को वापस ले लिया गया।

कैसास और अहमदा ने भी दर्शाया है कि किस प्रकार चिलि में सहयोगी सरकारें होने के बावजूद, दक्षिणपंथियों तथा केथोलिक प्रभाव के कारण कई वर्षों तक यौन शिक्षा के प्रावधान को लागू नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, ली आदि ने फिलिपीन्स में गर्भनिरोधकों के उपयोग के विषय पर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सहयोग के बावजूद, केथोलिक सहयोग से स्थानीय राजनैतिक नेताओं ने राज्य द्वारा आधुनिक गर्भनिरोधक उपलब्ध करवाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर इसे कानूनी वैधता भी उपलब्ध है। कैसास द्वारा लिखे एक अन्य लेख में उन्होंने चिलि, मैक्सिको और पेरू में गर्भनिरोधकों, आपातकालीन गर्भनिरोधकों तथा कानूनी गर्भपात संबंधित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने के प्रति डॉक्टरों द्वारा नैतिक विरोध का विश्लेषण किया है। हालाँकि इसका सीधा संबंध अपराधीकरण से नहीं है, इसमें कुछ डॉक्टरों द्वारा अपने विरोध के अधिकार का दुरुपयोग किए जाने और परिणामस्वरूप इन सेवाओं का उपयोग करने वालों के अधिकारों के हनन का मुद्दा ज़रूर है। इन लोगों के लिए यह स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध न कराए जाने का वही प्रभाव पड़ेगा जैसे कि किसी सेवा को गैर कानूनी बना देने से पड़ता। वर्तमान पोप के कार्यकाल के अंतर्गत केथोलिक चर्च ने अपने आप को यौन एवं प्रजनन अधिकारों का विरोधी घोषित कर दिया है।

इस क्षेत्र में मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि वे ऐसे मामलों का प्रचार करने में मदद करते हैं जो न्यायालय में आते हैं। मीडिया ऐसे मामलों में नैतिक दिशानिर्देशक तथा सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं के प्रतिबिंब की भूमिका निभाती है, जिसका प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। वह जहाँ एक प्रगतिशील कानूनी संशोधन के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिक निभा सकती है, वहीं वह सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्य को अवैध यौन संबंध के नैतिक मुद्दे में बदल

कर, एक अत्यंत पक्षपाती व हानिकारक कानून के संशोधन में अवरोध भी पैदा कर सकती है। विशेषकर सनसनीखेज़ पत्रकारिता, जो अधिकतर अत्यंत रूढ़िवादी तथा शक्तिशाली लोगों द्वारा चलाए जाते हैं, और यौन एवं यौनिकता से जुड़े हर मामले को एक दानव व सनसनीखेज़ रूप में बेचते हैं – ऐसे प्रकाशन उन लोगों के प्रति प्रतिकूल माहौल बना देते हैं, जिन्हें बिना कुछ किए ही प्रताड़ना, सज़ा और यहाँ तक कि, हत्या तक का शिकार बना दिया जाता है।

कानून जिनका उद्देश्य है स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा

यहाँ छपे सभी लेख एचआईवी संचारण के अपराधीकरण का पुरज़ोर विरोध करते हैं, और इसके लिए उचित कारण भी देते हैं। इस संदर्भ में विशेषतय: 10 कारणों का लेख और यूएनएड्स/यूएनडीपी संगोष्ठी की रिपोर्ट देखें, जो इस प्रकाशन में शामिल की गई हैं। इसके बावजूद, अध्ययनों से पता चला है कि काफी लोग, जिसमें एचआईवी संक्रमित लोग भी शामिल हैं; यह मानते हैं कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमण देता है तो उसे सज़ा दिया जाना उपयुक्त है। दुर्भाग्यवश, इनमें से किसी भी लेख में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि इतने सोचने-समझने वाले लोग भी एचआईवी संचार के अपराधीकरण का समर्थन क्यों करते हैं या एड्स संक्रमण के 30 वर्षों के बाद भी ऐसे कानून क्यों बनाए जा रहे हैं। न ही किसी भी लेखक ने इन कानूनों का अन्य संक्रमणों, जैसे 19वीं सदी में सिफिलिस, से संबंधित कानूनों व नीतियों के संदर्भ में विश्लेषण किया है। एचआईवी संचार को आपराधिक घोषित करने वाले कानूनों का उद्देश्य था एचआईवी संक्रमित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना, जैसा कि सैनन आदि द्वारा बुर्कीना फैसो कानून के विषय पर लिखे लेख से स्पष्ट है। इस द्विपक्षीय उद्देश्य के पीछे के कारणों को समझना आवश्यक है क्योंकि इससे एचआईवी संचार के विषय में वर्तमान सोच को समझ कर उसके आधार पर भावी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

एचआईवी संक्रमण को रोकने के प्रयासों में विफलता ज़रूर एक कारण होगा कि ऐसे कानून बढ़ रहे हैं और एचआईवी संक्रमण से संबंधित कलंक खत्म नहीं हो रहा है। जब तक एक प्रभावी एवं व्यापक एचआईवी सुरक्षा नीति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता पर नहीं लाया जाता और इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, तथा जब तक इन नीतियों के प्रभाव सामने नहीं आते, तब तक शायद ऐसे कानूनों का सहारा लिया जाता रहेगा – क्योंकि इनके माध्यम से ही बढ़ते संक्रमण के प्रति निंदा व्यक्त की जाती रही है, चाहे उसके कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं हुए हैं। ऐसे कानूनों के लिए एक और कारण किलोन्जो आदि द्वारा अफ्रीका में यौन हिंसा व आपराधिक न्याय के विषय पर लिखे लेख में मिलता है, जिसकी चर्चा ब्राऊन आदि के लेख में भी की गई है। युद्ध क्षेत्रों व प्रतिकूल स्थितियों में अत्यधिक बलात्कार एवं यौन हिंसा के मामलों तथा एचआईवी संक्रमण के फैलाव के बीच गहरा संबंध है। ऐसी परिस्थितियों में, महिलाओं पर हो

रही हिंसा के विभिन्न स्वरूपों में से एचआईवी संक्रमण का संचार केवल एक मुद्दा है। इस संदर्भ में एचआईवी संचार का अपराधीकरण, न्याय एवं सज़ा की माँग पर आधारित है। वास्तविकता यह है कि ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाली घोर हिंसा लगातार कायम रहती है, और उसके लिए कोई सज़ा भी नहीं दी जाती। क्योंकि हमारे समाज में दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति मौजूद है, इसीलिए कानून भी बनाए गए हैं। ऐसी स्थितियों में कानून का उपयोग करते हुए न्याय कैसे दिया जाए, वह भी एक अत्यंत पेचीदा समस्या है, लेकिन उसकी आवश्यकता को ऐसे व्यर्थ तर्कों के आधार पर नकारा भी नहीं जा सकता। जैसा कि किलोन्ज़ो आदि ने दर्शाया है, बलात्कार के बाद उचित एवं समग्र सेवाएँ उपलब्ध करवाने वाला भी कोई नहीं है, ना ही एचआईवी तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के बीच तालमेल मिलाने वाला कोई है, और ना कानूनी एवं न्यायिक प्रणालियों के अंतर्गत यौन हिंसा कानूनों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने वाला कोई है।

निश्चित रूप से, किसी भी समाज में बलात्कार एवं यौन हिंसा को इतना संजीदा मुद्दा नहीं माना जाता कि इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आज तक इस संदर्भ में अगर कुछ सफलता मिली है तो यह कि, कोई देश चाहे कितना ही ''विकसित'' हो या ना हो, वहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली हिंसा का शिकार हुए व्यक्ति को कुछ हद तक उपचार, देख-रेख तथा सहयोग तो उपलब्ध करवा ही देती है और कानून एवं न्याय प्रणाली के अंतर्गत कुछ अपराधियों को हर वर्ष सज़ा मिल ही जाती है। इससे अधिक कुछ नहीं।

गोमा, उत्तर किवू, डैमोक्रैटिक रिपब्लिक औफ कौन्गो, फरवरी 2008

एक 18 वर्षीय लड़की का बलात्कार होने के बाद उसे एचआईवी संक्रमण हो गया, और दुश्मन सैनिकों ने फिर इसे नितंब में गोली मार दी, जिसके कारण वह चल नहीं सकती। अब डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि उसकी टाँग कटने से बचाई जा सके। इसके गाँव में छापा पड़ने पर इसकी बहन और 4 अन्य लड़कियों को इसकी माँ के साथ उठा लिया गया और जंगलों में चलाया गया। ''उन्होंने जंगल में चलते समय हमारा बलात्कार किया। हम खिलौनों की तरह थे, उन्होंने हमें कहा कि उनकी पत्नियां उनसे दूर हैं अत: उनके पास और कोई चारा नहीं है। इसलिए वे स्थानीय विकल्प ढूँढ़ने पर विवश हैं। हम 10 दिन तक एक ही शिविर में रहे और मैं भूल गई हूँ कि कितनी बार मेरे साथ बलात्कार किया गया, शायद दिन में चार - पाँच बार। मेरी माँ के साथ भी, एक बार तो मेरे सामने। उन्होंने मुझे देखने के लिए मजबूर किया, जब वे बारी बारी से मेरी माँ के साथ बलात्कार कर रहे थे।'' इस देश में चल रहे गृह युद्ध के दौरान लगभग 2,50,000 महिलाएँ यौन हिंसा का शिकार हुई हैं।

इसलिए चाहे यह स्पष्ट है कि कानूनी सज़ा देने से एचआईवी संचारण की समस्या का हल नहीं मिल सकता, इस संदर्भ में ज़िम्मेदारी स्थापित करना अभी भी बाकी है। चाहे किसी व्यक्ति की मंशा न हो कि वह एचआईवी संचार करे, लेकिन

अंततः इसके संचार के कारण संक्रमित व्यक्ति को गंभीर परिणाम झेलने पड़ते हैं – खासकर ऐसी स्थिति में जहाँ उपचार सेवाएँ उपलब्ध न हों – यह परिणाम जानलेवा भी हो सकते हैं। ऐसे माहौल में जहाँ हर चार में से एक महिला का पहला यौन अनुभव उस पर ज़बरदस्ती थोपा गया होता है, क्या कार्यकर्ता सच में सोचते हैं कि ''हम तो केवल यौन संबंध स्थापित कर रहे थे'' या ''मुझे नहीं पता था'' या ''मेरी मंशा उसे संक्रमित करने की नहीं थी'', जैसे बहाने संक्रमण फैलाने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए पर्याप्त हैं? एड्स से कई लाख मृत्यु हो जाने के बाद भी एचआईवी संक्रमण लोगों के शरीरों और जीवन में पल रहा है, और इस पर बेहिसाब संसाधन खर्च किए जा रहे हैं। तब भी, विकासशील देशों में केवल 30 प्रतिशत एचआईवी संक्रमित लोगों को उपचार सेवाएँ उपलब्ध हैं, जो उन्हें तभी दी जाती हैं जब उनके लक्षण अत्यधिक गंभीर हो जाते हैं[1]। हम इस परिस्थिति को और देर तक चलने नहीं दे सकते, लेकिन यह समझ नहीं आता कि लोगों की नज़र में उपचार सेवाओं तक 100 प्रतिशत पहुँच ही इसका एकमात्र हल क्यों है। नीरीन कलीबा के उस आग्रह का क्या हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस संक्रमण को अपने जीते जी शरीर से बाहर न जाने दें[2]? क्या हमारे पास कोई अन्य उपाय है कि हम संक्रमित लोगों द्वारा अन्य लोगों में यह संक्रमण फैलाए जाने से रोक सकें – या उन लोगों पर दबाव बना सकें जिन्हें खुद भी नहीं पता कि वे संक्रमित हैं और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं?

लड़कियों के मैथुन अंगों की विकृति भी एक भयंकर पारंपरिक प्रथा है जिसे काफी देशों में आपराधिक घोषित कर दिया गया है, जिससे कि इस प्रथा पर रोक लगाई जा सके। बिना सुरक्षा उपायों के यौन संबंध स्थापित करना भी खतरनाक पारंपरिक प्रथा है, और इसे भी हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकारों की समझ के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में जोड़ना होगा। आखिर कार्यकर्ता कब तक ऐसा न करने के बहाने बनाते रहेंगे?

कानून जो निंदा करने के साथ साथ सुरक्षा भी करते हैं

और फिर हमारे सामने वेश्यावृत्ति या यौनकर्म तथा यौन व्यापार या महिलाओं और बच्चों के देह व्यापर का मुद्दा है – चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। यह मुद्दा अब तक का सबसे विवादास्पद मुद्दा रहा है क्योंकि इससे संबंधित कानून नैतिक निंदा और किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा – दोनों मंशाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। अब इन दोनों वास्तविकताओं के बीच कैसे समझौता किया जाए कि हमारे सामने दो, एक दूसरे के विरोधी, नारीवादी दृष्टिकोण हैं – एक अपराधीकरण के विरुद्ध और एक उसके पक्ष में, जिन्हें इस दस्तावेज़ में एक ओर स्ट्रौम ने पेश किया है तो दूसरी ओर लुटनिक और कोहन ने। इन सवालों की गुत्थी सुलझाना, कि किसे क्षति पहुँच रही है और कौन क्षति पहुँचा रहा है, और व्यापारिक यौन कर्म जैसे मामलों में इस क्षति से कैसे सुरक्षा की जाए – इन सब पर अभी काम चल रहा है और आने वाले कई वर्षों तक चलेगा। इन लेखों से जो सवाल मेरे लिए उठे हैं वे हैं :

- क्या इतने बड़े और खतरनाक स्तर पर प्रताड़ना, हिंसा जो यौनकर्मियों पर हो रही

है, उसे कानूनों या गैर अपराधीकरण से दूर किया जा सकता है? अन्य पक्षपाती कानूनों को रद्द करने के अनुभवों से हमें पता है कि इससे हिंसा, प्रताड़ना और अभियोग बंद हो जाएगी। उदाहरण के लिए, समलैंगिकता के गैर अपराधीकरण संबंधी कानून या गर्भपात को कानूनी मान्यता देने वाले कानूनों ने हमें दिखाया है।

- यौनकर्म के व्यापार को मान्यता देने की तुलना अपने शरीर की स्वायत्तता से कैसे की जा सकती है? इस विषय की चर्चा केवल यौन कर्मियों के संदर्भ तक ही सीमित नहीं हो सकती : इसमें यह भी जानना होगा कि किस प्रकार की यौन ''ज़रूरतें'' (मुख्यत:) पुरुषों को यौन संबंध खरीदने या बच्चों के साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या इन ''ज़रूरतों'' को मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं? क्या किशोर उम्र के बच्चों के साथ यौन शिक्षा के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए या नहीं?
- यदि वास्तविकता में महिलाएँ अपनी मर्ज़ी से यौन कर्म करना चाहती हैं तो उनमें से इतनी बड़ी संख्या में औरतों को रोज़ शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर आश्रित क्यों रहना पड़ता है?
- हम बचपन में यौन हिंसा से गुज़र चुके लोगों व बड़े होकर उन्हीं द्वारा यौर्न कर्म करने के जुड़ाव को कैसे मिटा सकते हैं?

यौन कर्मियों के साथ काम करने वाली अधिकतर संस्थाएँ यौनकर्म को कानूनी रूप से मान्य या उसके गैर अपराधीकरण का समर्थन करती हैं, लेकिन उनमें से जो लोग इतने सशक्त नहीं हैं या जिन्हें किसी के दबाव के कारण यौनकर्म करना पड़ रहा है, या जो इसी के लिए खरीदे-बेचे गए हैं, क्या वे इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? और क्या यौन संबंध खरीदना, देह व्यापार तथा दलाली को फिर भी कानूनी रूप से अपराध ही होना चाहिए? यौनकर्मियों के संगठनों और नारीवादी समूहों जैसे विमैन्स फ्रन्ट औफ नौरवे, दोनों ने ही एक सफल अभियान द्वारा नौरवे में यौन संबंध खरीदना कानूनी अपराध घोषित करवा दिया, लेकिन वहाँ बेचना अपराध नहीं है। यह समूह, जिनके जनवकालत अभियान की स्ट्रौम ने व्याख्या की है, चाहते हैं कि जो महिलाएँ यौनकर्म करती हैं उन्हें उचित सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ, और यदि वे इस काम को छोड़ना चाहती हैं तो उन्हें मदद दी जाए। लेकिन क्या यह प्रथा पूरी तरह से बंद की जा सकती है? किसी भी हाल में, प्रताड़ना, हिंसा तथा उत्पीड़न जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देना ज़्यादा ज़रूरी है।

इन कानूनों के परिणाम तथा अवांछित प्रभाव और उनकी कमियाँ

क्या एक नया कानून बन जाने से बहुत से लोगों को सज़ा मिल जाएगी? इसका कोई प्रमाण नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वही हो जिसका हमें डर है या जो हो रहा है या ऐसे कानूनों के पारित होने के बाद होगा - जैसे कि एचआईवी संचार के विरुद्ध कानून बनने से हुआ। सीटे आदि के लेख में उन्होंने माँ द्वारा अपने शिशु को यह संक्रमण दिए जाने की स्थिति को इस कानून के दायरे से बाहर रखे जाने का आग्रह किया है। उन्होंने यह माना है कि आज तक किसी माँ को ऐसे

मामले में सज़ा नहीं दी गई है, हालाँकि एचआईवी संचार के वर्तमान कानूनों के अंतर्गत यह भी आ सकता है। बहुत कम देशों में इस खतरे के प्रति संवेदनशीलता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने कानून में से इस संचार माध्यम को बाहर रखा है। ऐसे कानूनों के अंतर्गत दी जाने वाली सज़ाओं के कोई स्थापित मानक न होने के कारण संभव है कि कुछ लोगों के मन में इनका डर हो और वे इसी डर से ऐसा कुछ करने से डरें जो गैर कानूनी हो सकता है। और इसी कारण क्षति होने से रुक जाती है, जहाँ उद्देश्य है कि क्षति से सुरक्षा की जा सके। पर फिर भी, जैसा कि डौड्स आदि ने दिखाया है, एचआईवी संचार के अपराधीकरण के कारण अधिकतर मामलों में व्यवहार में अच्छा बदलाव आया है, जैसे सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना। लेकिन साथ ही इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं जिसका कारण केवल यह नहीं है कि उन्हें कानून की समझ नहीं है या उन्हें अस्पष्ट है कि उनका अपना व्यवहार कानून की सीमा पार कर रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त, संभव है कि कानून को गलत तरीके से लागू कर दिया जाए, जिसकी कानून बनाने वालों ने कल्पना ना की हो। पत्रिका के इस अंक में ऐसे कई मामलों का विवरण शामिल है, विशेषकर अपराधीकरण, कानून एवं नीति, और वकालत अंशों में। उदाहरण के लिए, जिन महिलाओं पर बलात्कार हुआ है, कई देशों में उन्हें ही यह कह कर जेल में डाल दिया जाता है कि उन्होंने ''अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाए'' या उनकी ''समुदाय की इज़्ज़त'' के नाम पर हत्या कर दी जाती है, जबकि बलात्कारी पर कोई आँच तक नहीं आती।

कानून कुछ ज़्यादा ही विस्तृत, अस्पष्ट व समस्यापूर्ण हो सकता है जिसके कारण कोई उसे लागू नहीं कर सकता। जैसा कि किलोन्ज़ो आदि ने उप-सहारा अफ्रीका के यौन हिंसा संबंधित कानूनों में दर्शाया है, कि दर्ज़ मामलों की तहकीकात व दोषी का पता लगाने के लिए उचित संसाधन और प्रशिक्षित जाँचकर्ता उपलब्ध ही नहीं हैं।

इसी प्रकार, जैसे कि ऐबरीज़ आको और ऐकवीऔन्गो ने अपने लेख में बताया है, जहाँ तक कि घाना में लड़कियों के मैथुन अंगों की विकृति को आपराधिक घोषित करने वाले कानूनों का प्रश्न है, समुदाय इस प्रथा का इतना समर्थन करते हैं कि पुलिस का कहना है कि वे दोषियों गिरफ्तार करने के लिए किसी की पहचान ही नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी यह कानून सार्वजनिक स्तर पर इस विषय में विचार-विमर्श बढ़ाने में सफल रहा है। हालाँकि यह प्रथा अभी भी चल रही है और सब लोग इसके विषय में जानते हैं, अब इसमें कमी आ रही है, क्योंकि अब और अधिक लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। अतः लेखकों का सुझाव है कि कानून को सशक्त करने के साथ साथ केवल लड़कियों के मैथुन अंगों को विकृत करने वाले को ही सज़ा नहीं होनी चाहिए, जैसा की वर्तमान समय में होता है, बल्कि समुदाय के अन्य लोग, जो इस काम में सहयोगी होते हैं, उन्हें भी सज़ा दी जानी चाहिए।

क्या किया जाना चाहिए

सरकारों को और अधिक आत्मचेतना लानी होगी कि वे जिस प्रकार यौनिकता को नियंत्रित

व आपराधिक कृत्य मानती हैं, उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और किस प्रकार के कानूनों व नीतियों के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। प्रत्येक दो वर्षों में, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट ऑन एचआईवी/एड्स, जिसे जून 2001 में अपनाया गया था, के अंतर्गत हर देश यूएनएड्स को एक रिपोर्ट पेश करता है जिसमें एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण होता है। ग्रुस्किन और फरग्यूसन ने वर्ष 2008 में 133 देशों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जिनमें उन नीतियों के विषय में बात की गई है, जिनका संबंध एचआईवी के संदर्भ में पुरुषों के अन्य पुरुषों तथा यौनकर्मियों के साथ यौन संबंधों से है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों तथा राष्ट्रीय कानून एवं नीतियों के बीच की विसंगतियों की पहचान करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के उद्देश्य फिर से निर्धारित करने होंगे। और यह प्रयास केवल एचआईवी के संदर्भ में ही नहीं, अन्य कार्यक्षेत्रों में भी किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, यह सोचते समय कि समलैंगिकता को गैर अपराधीकृत किया जाए या नहीं, जुलाई 2009 में, इसी प्रकार का विश्लेषण दिल्ली के उच्च न्यायालय में भी किया गया, जिसका विवरण यहाँ मिस्रा द्वारा दिया गया है। इसका परिणाम – जो यौनिकता के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मूल्यों की पुष्टि करता है – कि दो सहमत व्यस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित किया जाना आपराधिक कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके मुकाबले यदि देखा जाए, तो इसी समय में इजिप्ट में पुलिस द्वारा संदिग्ध समलैंगिकों को निर्दयता के साथ प्रताड़ित किये जाने की अत्यंत दर्दनाक खबरें ह्यूमन राईट्स वॉच नामक वेबसाईट पर छप रही थीं।

जैसा कि ब्राउन आदि ने बताया है, मानव अधिकार आंदोलनों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य कानून के दायरे से बाहर कोई कदम न उठाए और अपनी शक्तियों का पक्षपातपूर्ण या अपने मनमाने ढंग से उपयोग न करे, या किसी कृत्य की जगह किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित न कर दे। राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि दण्ड न्याय प्रतिक्रियाएँ किसी व्यक्ति की ओर स्वास्थ्य संबंधी प्रतिक्रियाओं का विरोध ना करें, लेकिन क्या इसका उल्टा भी कभी होता है?

ब्राउन आदि ने दर्शाया है कि जब किसी प्रकार के व्यवहार को आपराधिक घोषित किया जाता है, जैसे सुई से नशीले पदार्थ लेना, तो सभी संबंधित विभाग व्यक्ति के दोषपूर्ण व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित कर लेते हैं, उसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं या उसके व्यावहारिक उपचार पर नहीं उदाहरण के लिए, उस व्यक्ति को नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोकने में मदद करना और उसे उनके बिना जीवन व्यतीत करने के तरीके सिखाना। इसी प्रकार लुटनिक और कोहान ने यौनकर्मियों के कथन को दोहराते हुए कहा है कि वे अभी भी यौनकर्म के अपराधीकरण का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि समय समय पर जेल में जाकर ही उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी मिल पाती है। अतः आपराधिक न्याय प्रणाली, सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच आपसी रिश्ते पर और अधिक ध्यान देना आवश्यक है।

जैसा कि इस पत्रिका में शामिल अधिकतर लेखों द्वारा दर्शाया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव अधिकार तथा न्याय जैसे विषयों पर जनवकालत के संबंध में अलग अलग देशों के उदाहरणात्मक अध्ययन, विभिन्न देशों के कानूनों, उनकी आधारभूत परिभाषाओं, उन्हें किस सोच के साथ और किसी देश के संदर्भ में किस प्रक्रिया से लागू किया जा रहा है, इसकी तुलना करना आवश्यक है। अमरीकी कानून, जिनके अंतर्गत सहमति पूर्वक यौन संबंध स्थापित करना अपराध है तथा अनिवार्य परीक्षण के कारण एचआईवी परीक्षण में लोगों की सहमति प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है, के इसी प्रकार के विश्लेषण पर आधारित अहमद आदि के लेख में कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं, जिससे राष्ट्रपति ओबामा द्वारा घोषित यूएस राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स रणनीति के अंतर्गत एचआईवी संक्रमित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

कई प्रकार के यौनिक व्यवहारों को आपराधिक कृत्य घोषित किए जाने के पीछे यह पूर्वधारणा होती है कि उस व्यवहार को रोका नहीं जा सकता, उदाहरण के लिए, लोग हमेशा यौन खतरे मोल लेते रहेंगे और पुरुषों ने हमेशा ही यौन संबंध खरीदे हैं। क्या ऐसी पूर्वधारणाएं सही हैं या न्यायसंगत हैं? अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं– हानिकारक व्यवहार मिटाए जा सकते हैं या नहीं अथवा उन्हें कैसे बदला जा सकता है और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि शारीरिक स्वायत्तता तथा यौनिकता दोनों को बराबरी का दर्ज़ा दिया जा सके – जिनके हल अभी ढूँढ़ने बाकी हैं।

गर्भपात पश्चात देखभाल : उपचार में अत्यधिक देरी के मामलों का खुलासा

मैं मायी-त्सोन्गा आदि तथा किनारो आदि द्वारा लिखे लेखों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जिनमें गैबोन तथा सूडान देशों में गर्भपात पश्चात उपचार सेवा समस्याओं के विषय में चर्चा की गई है, एक ऐसी समस्या जो आज तक हम सब से छिपी हुई थी। इन दोनों ही अध्ययनों से पता चला है कि मुख्य अस्पतालों में भी गंभीर समस्याओं के साथ भर्ती हुई महिलाओं को बहुत देर में उपचार सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। सूडान के अध्ययन में, 14.5 प्रतिशत महिलाओं को 5-8 घंटे इंतज़ार करना पड़ा और 7.3 प्रतिशत महिलाओं को 9-12 घंटे इंतज़ार के बाद ही उपचार सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं, और एक भी ऐसी महिला नहीं थी जिसे इंतज़ार न करना पड़ा हो या उसके उपचार में देरी न हुई हो। गैबोन में प्रसूति के दौरान होने वाली मृत्यु के अध्ययन से पता चला है कि उन महिलाओं, जिनकी मृत्यु प्रसव के बाद अत्यधिक रक्त स्राव या ऐकलैम्पसिया के कारण हुई, उनके भर्ती होने और उपचार उपलब्ध कराए जाने के बीच औसतन 1.2 घंटों की देरी रही, परंतु असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली मृत्यु में महिलाओं को लगभग 23.7 घंटों के बाद उपचार उपलब्ध कराया गया था। इस अध्ययन के शोधकर्ताओं के अनुसार, ऐसी देरी गर्भपात संबंधी मृत्यु का मुख्य कारण भी बन सकती है।

संक्षिप्त लक्षण

फुरेदी ने एक नए आपातकालीन गर्भनिरोधक का उल्लेख किया है, जिसे एक छोटी और नई कंपनी ने विकसित किया है। इस कंपनी के

अध्यक्ष एक अत्यंत प्रगतिशील व्यक्ति हैं जिन्होंने चिकित्सीय गर्भपात के लिए मिफिप्रिस्टोन का विकास किया है। यदि यह नई प्रणाली अपनी ऊँची कीमत के बावजूद उपयोगी सिद्ध हो गई तो इसकी सफलता से भविष्य में नए आविष्कारों की उम्मीद भी की जा सकती है।

अंततः क्या हम सोच रहे थे कि सुरक्षित प्रसव केन्द्रों के विषय में कोई विवाद नहीं है? डिनीज़ ने अपने लेख द्वारा अवगत कराया है कि किस प्रकार रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में डॉक्टरों के कड़े विरोध के कारण दाईयों द्वारा चलाए जा रहे एक स्वायत्त प्रसव केन्द्र को बंद करवा दिया गया। यह केन्द्र ब्राज़ील के उन अल्पसंख्यक केन्द्रों में से एक है जहाँ औरतें एक साधारण प्रसव एवं शिशु जन्म की उम्मीद कर सकती हैं - नहीं तो अधिकतर अस्पतालों में सीज़ेरियन द्वारा या योनिमार्ग से ही शिशु जन्म करवाया जाता है जिसमें महिला को काफी दर्द सहना पड़ता है। महिला आंदोलन व अन्य लोगों द्वारा तुरंत इसका विरोध किए जाने के कारण कुछ ही सप्ताह में इस प्रसव केन्द्र को फिर से खोल दिया गया। महिला आंदोलन का यह सराहनीय प्रयास है।

प्रोफैसर होज़े ए पिनोती की याद में

प्रोफैसर होज़े पिनोती, जिनका जुलाई 2009 में साओ पोलो, ब्राज़ील में निधन हो गया, एक विख्यात स्त्रीरोग विशेषज्ञ थे। वे फिगो संस्था के सक्रिय सदस्य थे जिसकी उन्होंने 1988-91 के बीच अध्यक्षता भी की। उन्हें एक बेहतरीन प्रजनन स्वास्थ्य चिकित्सक और स्तन कैंसर शल्यचिकित्सक, वैज्ञानिक और शोधकर्ता माना जाता था। उन्होंने ब्राज़ील सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य नीति निर्माण तथा शिक्षा के मुद्दों पर काम किया। उन्होंने लगभग 400 प्रकाशन लिखे तथा कई शैक्षिक किताबों में भी अपना योगदान दिया। आर.एच.एम. में छपा उनका एक लेख, जो मेरी नज़र में आज तक हमारे द्वारा छापा गया सबसे महत्वपूर्ण लेख है, में उन्होंने महिलाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिमान का सुझाव दिया है, जिसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और उसका अनुकरण करना चाहिए[3]।

प्रजनन स्वास्थ्य मामले पढ़ने वालों का सर्वेक्षण

पत्रिका के इस अंक के साथ हमारे पाठकों का एक सर्वेक्षण संलग्न है। हमारा मानना है कि अब समय आ गया है जब हम अपने पाठकों से जानें कि यह पत्रिका यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दों एवं अधिकारों के कार्यक्षेत्र में कितना योगदान कर रही है और कैसे - क्योंकि वर्तमान नीति एवं कार्यप्रणालियों में काफी बदलाव आए हैं। हमारे प्रिय पाठक, यदि आप, कुछ समय निकालकर हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दें, तो हम आपके आभारी रहेंगे और यदि आप इससे अधिक कुछ कहना चाहते हैं तो हम आपसे विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे।

प्रजनन स्वास्थ्य मामले वेबसाईट का नवीकरण

पिछले 18 महीनों से हम अपनी वेबसाईट के पुनः निर्माण पर काम कर रहे हैं, जिससे लेखों का संपादन आसान हो सकता है। इस सप्ताह यह वेबसाईट क्रियाशील कर दी गई है। कृपया www.rhmjournal.org.uk अवश्य देखें और हमें बताएं कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते

हैं, जिस पर हम नए साल में काम शुरु करेंगे, उदाहरण के लिए, लेखन एवं संपादन, समाचार या राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों के लिंक उपलब्ध करवाने के संदर्भ में।

पत्र व्यवहार के लिए पता

* संपादक, रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स, लंदन, यूके

ई-मेल : mberer@rhmjournal.org.uk

संदर्भ

1. Ford N, Mills E, Calmy A. Rationing antiretroviral therapy in Africa – treating too few, too late. NEJM 2009; 360(18):1808-10
2. Kaleeba N, with Ray S and Willmore B. We miss you all; Noerine Kaleeba: AIDS in the family. Harare: Women and AIDS Support Network, 1991.
3. Pinotti JA, Tojal ML, Nisida AC, et al. Comprehensive health care for women in a public hospital in Sao Paulo, Brazil, Reproductive Health Matters 2001; 9(18):69-78

© 2009 Reproductive Health Matters.
All rights reserved.
Reproductive Health Matters 2009;17(34) : 38-46
0968-8080/09 $ - see front matter
PII: S096 8 - 8 08 0 (09) 34 4 6 9 - 9

यौनकर्म का अपराधीकरण, वैधीकरण या गैर-अपराधीकरण : सैन-फ्रांसिस्को, अमरीका के यौनकर्मियों के विचार

एलैगज़ैन्ड्रा लुटनिक[अ], डेबोरा कोहेन[ब]

सारांश :

अमरीका, सैन-फ्रांसिस्को में यौनकर्म को कानूनन अपराध माना जाता है। यौनकर्म की पैरवी करने वाले लोगों के इसके गैर-अपराधीकरण के सभी प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण की मांग में, हाशिए पर रह रहे यौनकर्मियों की आवाज़ें शामिल नहीं हैं। इस संबंध में सैक्स वर्कर एन्वायरमैन्टल असैसमेन्ट टीम स्टडी से प्राप्त गुणात्मक और संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, हमने यौनकर्म को कानूनी दर्ज़ा दिए जाने के बारे में बहुत सी महिला यौनकर्मियों के विचारों और अनुभवों का अनुसंधन किया। हमने यौनकर्म के कानूनी दर्ज़े और मौजूदा कानून के उनके काम पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझने की कोशिश की। 2004 में विस्तृत आंकड़े इक्ठठे करने के लिए किए गए अध्ययन में 40 महिला यौनकर्मियों को शामिल किया गया और 2007 में संख्यात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए किए गए अध्ययन में 247 महिलाओं को शामिल किया गया। कुल मिलाकर ऐसा लगा कि अध्ययन में शामिल महिलाएं, यौनकर्म के वैधीकरण और गैर-अपराधीकरण के मिलेजुले रूप को पसंद करती थीं। ज़्यादातर यौनकर्मी महिलाओं ने कहा कि वे यौनकर्म को अपराध माने जाने वाले कानूनों को हटा दिए जाने के पक्ष में हैं ताकि उनके लिए एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक वातावरण बन सके जिसमें उन्हें भी कानूनी अधिकार मिलें और यह काम करते हुए हिंसा का सामना होने पर वे कानून की सहायता ले सकें। यौनकर्म की पैरवी करने वाले समूहों को चाहिए कि वे सोचें कि सुरक्षित रूप से अपना काम कर पाने की आज़ादी और दूसरे कामकाजी लोगों के समान कानूनी संरक्षण पाने के लिए, यौनकर्मी किस तरह के समझौते करने को तैयार हैं। इन पैरवीकारों को यह भी चाहिए कि वे समाज के हाशिए पर खड़े यौनकर्मियों की ज़रूरतों को समझें और ये जानने की कोशिश करें कि यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण से उनकी ये ज़रूरतें किस तरह पूरी हो सकती हैं। © 2009 रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स, सर्वाधिकार सुरक्षित।

मुख्य शब्द : यौनकर्म, कानूनन अपराध, कानून एवं नीतियाँ, संयुक्त राज्य अमरीका।

यौनकर्म को मुख्य रूप से तीन तरह के कानूनी ढ़ाँचों के माध्यम से देखा जाता है, अपराधीकरण, वैधीकरण और गैर-अपराधीकरण। सैन-फ्रांसिस्को और अमरीका के ज़्यादातर राज्यों में यौनकर्म कानूनन अपराध है। इसका मतलब यह है कि यौन सेवाओं की खरीद-फ़रोख्त या इससे जुड़े किसी भी तरह के कार्यों को कानून की नज़र में अपराध समझा जाता है। सैन-फ्रांसिस्को में यौनकर्म के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं, जिनमें - यौनकर्म करना, एचआईवी बाधित होने पर यौनकर्म करना, दलाली करना, यौनकर्म के लिए ग्राहक ढूँढ़ना, यौनकर्म करने के उद्देश्य से इधर-उधर घूमना, यौनकर्म करने की योजना बनाना या वेश्यालय चलाना - शामिल है। यौनकर्मियों पर आम जनता को तकलीफ पहुँचाने या नशीली दवाएं रखने के आरोप भी लगाए जा सकते हैं। सैन-फ्रांसिस्को सहित, यौनकर्म को अपराध मानने वाले कई राज्यों में किसी व्यक्ति के पास कंडोम बरामद होने पर इसे यौनकर्म करने की कोशिश का सबूत माना जा सकता है (*सैन-फ्रांसिस्को पब्लिक डिफैन्डर्स ऑफिस, 1 सितम्बर, 2009, व्यक्तिगत बातचीत....*)[1]। इसकी वजह से यह भी हो सकता है कि कंडोम पाए जाने पर इसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के डर से यौनकर्मी अपने पास कंडोम न रखें[2-5]।

जिन जगहों पर यौनकर्म वैध है, वहाँ कुछ प्रकार के यौनकर्म करने की मंजूरी दी जा सकती है हालाँकि यह ज़रूरी नहीं कि हर तरह के यौनकर्म को कानूनी मान लिया जाए। नेवाडा राज्य में 4 लाख या इससे कम जनसंख्या वाले प्रांतों को यह अधिकार है कि वे यौनकर्म को कानूनी दर्ज़ा दिए जाने के बारे में मतदान करा सकें। इन प्रांतों में सरकार द्वारा स्वीकृत वेश्यालयों में चलने वाले यौनकर्म को छोड़कर, बाकी सभी तरह के यौनकर्म गैर कानूनी माने जाते हैं। कानूनी मान्यता मिल जाने की स्थिति में इस तरह के व्यवसाय और यौनकर्म से जुड़े लोगों को लाइसेंस लेने या कुछ दूसरे नियंत्रणों का सामना करना पड़ता है, जबकि अन्य किसी भी व्यवसाय को इस तरह के लाइसेंस नहीं लेने पड़ते। नेवाडा के वेश्यालयों में हर यौनकर्मी को पुलिस विभाग में यौनकर्मी होने के रूप में अपना पंजीकरण कराना होता है। उनके यहाँ-वहाँ आने-जाने की स्वतंत्रता सीमित होती है, काम करने की परिस्थितियाँ निर्धारित कर दी जाती हैं और हर हफ्ते गनोरिया व क्लैमाइडिया तथा महीने में एक बार एचआईवी और सिफलिस संक्रमण की जाँच करानी होती है[6]।

कानून की तीसरी व्यवस्था है यौनकार्य का गैर-अपराधीकरण। इसके अंतर्गत इस व्यवसाय पर भी वही सब कानून लागू होते हैं, जो किसी अन्य व्यवसाय पर लागू होते हैं। कर लगाने, नौकरी पर रखे जाने के साथ-साथ कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सभी नियम यौनकर्मियों और यौन व्यवसाय पर समान रूप से लागू होते हैं। कानूनी दर्ज़ा दिए जाने और अपराध न समझे जाने में फर्क है। गैर-अपराधीकरण के अंतर्गत केवल यौन कर्म या इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए अलग से विशेष कानून नहीं बनाए जाते। न्यूज़ीलैण्ड, आस्ट्रेलिया के कुछ भाग, नीदरलैंड्स

और जर्मनी में यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण की व्यवस्था यह है[7]।

पिछले कुछ वर्षों से सैन-फ्रांसिस्को में सक्रियतावादी यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण की मांग कर रहे हैं। कोयोटे (*कॉल ऑफ युअर ओल्ड टायर्ड एथैक्सि* - COYOTE) नाम का संगठन 70 के दशक से ही यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण की व्यवस्था लागू करने के पक्ष में अभियान चलाता रहा है[8]। 1993 में सैन-फ्रांसिस्को के बोर्ड ऑफ सुपरवाइज़र्स के अधिकारियों ने यौनकर्म के बारे में एक कार्य बल (टास्क फोर्स) का गठन किया। इस को इस तरह के सामाजिक और कानूनी सुधारों की सिफारिशें करने के लिए कहा गया, जिससे कि शहर में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए, यहाँ की ज़रूरतें पूरी की जा सकें[9]। 1996 में कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह सिफारिश की कि सैन-फ्रांसिस्को शहर में यौनकर्म का गैर-अपराधीकरण किया जाए[1]। नवम्बर 2008 में सैन-फ्रांसिस्को में कराए गए आम चुनावों के प्रस्तावों में सैन-फ्रांसिस्को में यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण का प्रस्ताव भी रखा गया। इस प्रस्ताव को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों, केलिफोर्निया में यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण करने वाले कर्मियों के संगठन, सैन-फ्रांसिस्को की डेमोक्रेटिक पार्टी और कोयोटे तथा *सैक्स वर्कर्स आउटरीच प्रोजेक्ट* जैसे यौनकर्मियों के संगठनों का समर्थन भी मिला[10]। लेकिन मतदान के परिणामों से पता चला कि सैन-फ्रांसिस्को के केवल 42 प्रतिशत मतदाताओं ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था और इसी कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया[11]।

यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण पर काम कर रहे संगठन अब क्या करें? उनके काम की एक आलोचना यह भी हुई है कि ये संगठन समुदाय में हाशिए पर खड़े यौनकर्मियों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते[12]। वास्तव में इन तीन तरह की कानून व्यवस्थाओं के बारे में यौनकर्मियों के विचारों को जानने के लिए बहुत कम अध्ययन किए गए हैं। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि सैक्स वर्कर एन्वायरमेन्टल असैसमेन्ट टीम स्टडी से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करते हुए यौनकर्म को कानूनी दर्ज़ा दिए जाने और इस तरह के कानून से उनके काम पर होने वाले असर के बारे में बहुत सी महिला यौनकर्मियों के विचारों और अनुभवों को जानें।

प्रक्रिया

सैक्स वर्कर एन्वायरमेन्टल असैसमेन्ट टीम स्टडी एक सामुदायिक अनुसंधान था जिसे सैन-फ्रांसिस्को में केलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रसूति, स्त्री रोग एवं प्रजनन विभाग (UCSF), सैन-फ्रांसिस्को के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और सेंट जेम्स इन्फर्मरी नामक अस्पताल ने मिलकर किया था। सेंट जेम्स इन्फर्मरी नाम का यह अस्पताल यौनकर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए काम करने वाला एक क्लिनिक है[8]। इस अनुसंधान अध्ययन को सैन-फ्रांसिस्को में केलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रसूति, स्त्री रोग एवं प्रजनन विभाग (UCSF) से मंजूरी मिली थी।

अध्ययन के हर स्तर पर – इसका स्वरूप तैयार करने, समुदाय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने, आंकड़े इक्ट्ठे करने और उनका विश्लेषण करने तथा प्राप्त जानकारियों को लिखने के काम में – वर्तमान यौनकर्मी और पहले इस काम से जुड़े रहे लोग, इसमें शामिल हुए। इस लेख में किए गए विश्लेषण का उद्देश्य सैन-फ्रांसिस्को में यौनकर्म को अपराध समझे जाने के बारे में यौनकर्मियों के अनुभवों और उनके विचारों को जानना था। अध्ययन के लिए हमने यौनकर्म को – किसी तरह के भुगतान के बदले की जाने वाली यौन गतिविधियाँ (योनि, गुदा, मौखिक यौन या यौन उत्तेजना देना) के रूप में परिभाषित किया। भुगतान में पैसे का लेन-देन या किसी तरह का आर्थिक लेनदेन शामिल था जिसमें खाना, नशीली दवाएं, कपड़े या रहने की व्यवस्था आदि भी शामिल थी।

इस निश्चित प्रक्रिया और दो चरणों में पूरा होने वाले अध्ययन के पहले विस्तृत अध्ययन के लिए 40 महिला यौनकर्मियों को चुना गया और बाद के संख्यात्मक आंकड़ों को इक्ट्ठा करने के लिए 247 अन्य महिला यौनकर्मियों को चुना गया। गुणात्मक आंकड़े इक्ट्ठे करने का पहला चरण अप्रैल से दिसम्बर 2004 के बीच किया गया और इसके लिए पहले से तैयार किए गए सांचे के आधार पर इंटरव्यू लिए गए। इस अध्ययन में शामिल होने के लिए महिला का 18 वर्ष से अधिक आयु की होना और सैन-फ्रांसिस्को में पिछले एक वर्ष के दौरान किसी तरह के यौनकर्म से जुड़े होना ज़रूरी था। अध्ययन के लिए महिलाओं का चुनाव महिला यौनकर्मियों के बीच काम कर रहे सामुदायिक संगठनों या एक-दूसरे द्वारा सिफारिश के माध्यम से किया गया। इंटरव्यू में मुख्य रूप से यौनकर्म के बारे में इन महिलाओं के अनुभवों के सामाजिक पहलुओं को जानने की कोशिश की गई, हर महिला प्रतिभागी से यौनकर्म करते हुए कानून लागू करने वालों के साथ हुए अनुभवों के बारे में खुले सवाल पूछे गए जिनमें किसी तरह के विकल्प पहले से नहीं बताए गए थे। उनसे यह भी पूछा गया कि वे अपने जीवन और काम के अनुभवों के बारे में क्या सोचती हैं और क्या वे यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण को पसंद करेंगी। उनसे यह जानने की कोशिश भी की गई कि यौनकर्म के लिए किस तरह की कानूनी व्यवस्था सबसे बेहतर रहेगी। प्रतिभागियों से मिले उत्तरों का विश्लेषण करने के लिए क्यूएसआर इंटरनेशनल, (QSR International) केम्ब्रिज, एमए के स्थापित सिद्धान्तों वाले एनवीआईवीओ संस्करण 3.5 (NVIVO version 3.5) का प्रयोग किया गया[13,14]। आंकड़े इक्ट्ठे करना और इनका विश्लेषण किए जाने के काम आपस में जुड़ी हुई और दोहराई जा रही प्रक्रियाएं थी। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए पहले इन्हें सूत्रबद्ध किया गया और फिर हर आंकड़े का विश्लेषण हुआ। इस विश्लेषण से प्राप्त जानकारियों के आधार पर संख्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के चरण की प्रक्रिया विकसित की गई।

अक्तूबर 2006 से नवम्बर 2007 तक चले अध्ययन के दूसरे चरण में, विभिन्न वर्गों के

बीच संख्यात्मक अध्ययन किए गए। इस चरण में शामिल होने की योग्यताएँ भी पहले चरण की तरह ही थीं, अंतर केवल इतना था कि इस चरण में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए, पिछले 3 महीनों के दौरान किसी तरह के भुगतान के बदले किए गए यौनकर्म से जुड़े होना ज़रूरी था। अध्ययन दल और सामुदायिक सलाहकार बोर्ड ने शुरूआत में अध्ययन के लिए 6 महिलाओं को चुना। बाकी की महिलाओं का चुनाव उत्तरदाताओं द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर किया गया[15,16]। अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों ने पहले से तैयार संख्यात्मक इंटरव्यू में भाग लिया, जिसके माध्यम से उनके यौन व्यवहारों, नशीली दवा की आदतों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक मेलमिलाप तथा कानूनी अधिकारियों के साथ हुए अनुभवों और विचारों को जाना गया। इंटरव्यू के एक भाग में प्रतिभागियों से पूछा गया कि यौनकर्म के अपराधीकरण, गैर-अपराधीकरण और वैधीकरण के बारे में उनके विचार क्या थे। उनसे विशेष रूप से कई तरह की स्थितियों और कानूनी विकल्पों के बारे में सवाल पूछे गए। इसके बाद इन महिलाओं से कहा गया कि वे अपनी जान-पहचान की ऐसी तीन महिलाओं को इस अध्ययन में शामिल करें जो पिछले 3 महीनों के दौरान यौनकर्म कर रही हों। हमने इस तरह तब तक प्रतिभागियों को शामिल करना जारी रखा जब तक हम अधिकतम सीमा तक नहीं पहुँच गए। समाजिक वैज्ञानिकों के लिए सांख्यिकीय पैकेज (स्टैटिसटिकल पैकेज फॉर सोशल सांइटिस्टस् - एसपीएसएस, शिकागो II) का प्रयोग करते हुए अनियमित नमूनों का विश्लेषण किया गया।

गुणात्मक चरण के निष्कर्ष

अध्ययन में शामिल महिलाओं की जानकारी का ब्यौरा तालिका-1 में दिया गया है। इन महिलाओं की औसत आयु 41 वर्ष थी। इनकी जाति और यौनकर्म अलग-अलग तरह के थे। लगभग आधी महिलाओं ने बताया कि वे कभी न कभी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाती रही हैं।

जब इन महिलाओं से पूछा गया कि वे यौनकर्म के लिए किस तरह की कानूनी व्यवस्था को लागू कराना पसंद करेंगी तो उन्होंने इस बारे में बहुत से विचार सामने रखे। 10 महिलाओं का मानना था कि यौनकर्म को कानूनी अपराध मानना जारी रखा जाए, 8 ने इसे कानूनी अपराध न समझे जाने का समर्थन किया और 2 ने कहा कि वे चाहती हैं कि यौनकर्म को कानूनी दर्ज़ा दे दिया जाए। बाकी 20 महिलाओं ने इंटरव्यू के दौरान किसी भी समय यौनकर्म को अपराध मानने या न मानने अथवा इसे कानूनी दर्ज़ा दिए जाने से जुड़े कोई शब्द या परिभाषाएं प्रयोग नहीं किए। यौनकर्म के लिए कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में इन महिलाओं के विचारों के उदाहरण आगे दिए गए हैं। हालाँकि कुछ ही महिलाओं द्वारा कही गई बातों को यहाँ बताया गया है, लेकिन उनके ये विचार सभी महिलाओं द्वारा कही गई बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तालिका-1: गुणात्मक अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों का ब्यौरा (कुल संख्या=40)	
	संख्या
औसत आयु	41 (19-59 के बीच)
जाति/मूल	
अफ्रीकी-अमरीकी	18
कॉकेशियन	16
लैटिन	3
एशियन/पेसिफिक द्वीप समूह से	2
अमरीका की मूल निवासी	1
सेंट जेम्स इन्फर्मरी में इलाज करवा रहीं	6 (15%)
हाल ही में किया गया यौनकर्म किस तरह का था	
बुलाए जाने पर अकेले गईं	15
सड़क पर खड़े होकर	13
बॉन्डेज/किसी विशेष तरीके से सैक्स	5
अकेले मालिश के लिए जाना	4
ब्लू फिल्मों में काम करना	1
ग्राहक के साथ एस्कॉर्ट के रूप में जाना	1
अन्य	1
नशीली दवाओं के इंजेक्शन का प्रयोग कर रहीं	10

यौनकर्म का अपराधीकरण

यौनकर्म को लगातार गैर-कानूनी अपराध मानने को जारी रखने का समर्थन कर रही 10 महिलाओं ने अपने इस विचार के लिए कई तरह के कारण बताए। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से उन्हें सरकारी नियंत्रणों का सामना नहीं करना पड़ता, इसके आर्थिक कारण भी होते हैं और जेल में रखे जाने के दौरान उनकी नशीली दवाओं के सेवन में कमी आती है।

कई महिलाओं ने अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जाँच कराने, कागज़ात बनाने और वर्तमान व्यवस्था में बदलाव होने की स्थिति में अपनी स्वतंत्रता में कमी होने के बारे में चिन्ता व्यक्त की।

''आपको सच्चाई बताऊँ तो और लोगों को भरोसा नहीं होता कि मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन मैं तो यही चाहूँगी कि यह गैर कानूनी ही रहे। इसके गैर कानूनी होने को पसंद करने का मेरा एक कारण यह है कि इसके गैर कानूनी होने के कारण मुझ पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। मुझे हर 2 महीने के बाद कोई टीका नहीं लगाना पड़ता और ना ही अपनी योनि की स्वच्छता और साफ सफाई की जाँच करानी पड़ती है। मैं खुद अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकती हूँ और जो मुझे ठीक लगे वह कर सकती हूँ। मुझे हर समय किसी व्यक्ति द्वारा जाँच कराए जाने के लिए नहीं कहा जाता, जैसा कि मैंने नेवाडा में काम कर रही महिलाओं के बारे में सुना है। कहते हैं, वहाँ कि महिलाएँ बार-बार जाँच किए जाने, कोई न कोई परीक्षा देने और भरवाए जाने वाले फार्मों से परेशान हो गईं क्योंकि यह बहुत मेहनत का काम होता है। मुझे यह सब

कुछ नहीं करना पड़ता''। (स्वतंत्र रूप से मालिश करने वाली 49 वर्षीय महिला)

दूसरी महिलाओं ने यौनकार्य को अपराध मानना जारी रखने के कारण होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर इसे अपराध न समझा जाए तो:

''हर कोई यह काम शुरू कर देगा..... ..... फिर पैसा कमाना कितना मुश्किल हो जाएगा'' (सड़क पर काम करने वाली 41 वर्षीय यौनकर्मी)

''अगर यह काम गैर कानूनी न हो तो?..... ..... इसका गैर कानूनी होना ही माँग और आपूर्ति के बीच इस तरह का संतुलन बनाए रखता है जिसमे यौनकर्मी को फायदा होता है जो मुझे बहुत पसंद है'' (स्वतंत्र रूप से मालिश करने वाली 49 वर्षीय महिला)

दूसरी कई महिलाओं को लगा कि यौनकर्म को अपराध समझने वाली न्याय की प्रक्रिया एक तरह से नशीले पदार्थों के बहुत ज़्यादा प्रयोग के विरुद्ध सुरक्षा कवच की तरह है।

''आप जानते हैं कुछ समय के बाद आप बहुत बुरी हालत में दिखते हैं, आपने दो-तीन दिन से एक ही कपड़े पहने हुए होते हैं। पुलिस यह सब नोट करती है और आपको छोड़ देती है। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे सड़क पर खड़े होकर शराब पीने के कारण जेल भेजा गया है और जिसके कारण मैं कई दूसरी चीजों से बच गई'' (सड़क पर काम करने वाली 45 वर्षीय यौनकर्मी)

यौनकर्म का गैर-अपराधीकरण

यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण की इच्छा रखने वाली 8 महिलाओं ने कहा कि ऐसा होने पर उनकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सहायता बढ़ जाएगी। विशेष रूप से, उन्होंने पुलिस सुरक्षा मिलने, दूसरी यौनकर्मियों के साथ मिल पाने और कर्मचारियों के रूप में मिलने वाले अधिकार लाभ की चर्चा की।

''मैंने नेवाडा के कानूनी रूप से काम कर रहे वेश्यालय में काम किया है। मैं दो सप्ताह तक वहाँ रही और यह देखने की कोशिश की कि वो कैसा अनुभव रहेगा। वहाँ आपके ऊपर इतने नियंत्रण होते हैं कि पूछो मत और बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बताए कि मुझे यह काम कैसे करना है। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत होगी। मुझे लगता है कि यौनकर्म अगर अपराध न माना जाए तो हमें ज़्यादा स्वतंत्रता मिल पाएगी'' (स्वतंत्र रूप से काम कर रही 39 वर्षीय कॉल गर्ल)

दूसरी महिलाओं का मानना था कि यौनकर्म को अपराध समझा जाता है इसलिए वे इस धन्धे को छोड़कर कोई और काम नहीं कर पाती। अगर इसे कानूनी अपराध न माना जाए तो संभव है कि आने वाले समय में वे अपने लिए यौनकर्म के अलावा कोई दूसरा काम चुन लें।

''इस समय, मैं वास्तव में इस काम को छोड़ कर प्रापर्टी डीलर बनने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे सिर्फ यही डर सताता है कि कहीं प्रापर्टी डीलर के रूप में सफल होने से पहले ही मुझ पर कोई आरोप न लग जाए जिससे कि मुझे उस काम का लाइसेंस न मिल सके। तब मुझे यौनकर्म छोड़ने के लिए किसी दूसरी योजना के बारे में सोचना होगा'' (स्वतंत्र रूप से मालिश

करने वाली 49 वर्षीय महिला)

बहुत सी महिलाओं ने कहा कि अगर यौनकर्म को अपराध न समझा जाए तो पुलिस भी उनकी सहायता कर पाएगी और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें कई तरह से समर्थन मिल सकेगा।

''पुलिस आपकी मदद के लिए आएगी और तब पुलिस वाला यह नहीं कहेगा कि तुम अगर बाहर न होती तो तुम्हारे साथ लूटपाट नहीं होती। जब आप यौनकर्म कर रही हों और उस समय आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो पुलिस भी आपकी मदद नहीं करना चाहती क्योंकि आप पहले ही एक अपराध कर रही होती हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी अपराधी की मदद क्यों करें?'' (सड़क पर यौनकर्म करने वाली 45 वर्षीय महिला)

''जब मुझे बाहर किसी अंजान व्यक्ति द्वारा बुलाया जाता है तो मुझे दो ही चिन्ताएं होती हैं। कहीं मुझे कोई नुकसान न पहुँचे या कहीं मैं पकड़ी न जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि इस काम में पकड़े जाने का यह डर दूर हो जाए ताकि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो, तो मैं निडर होकर पुलिस को बताऊँ ताकि वे मुझे नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्ति को पकड़ सकें'' (स्वतंत्र रूप से काम कर रही 35 वर्षीय कॉल गर्ल)

दूसरी महिलाओं ने कहा कि यौनकर्म को अपराध न समझने से वे अपने ग्राहकों से खुलकर मोल-भाव कर पाएंगी, जिससे कि यौनकर्म करने का सुरक्षित वातावरण मिल पाएगा। एक महिला ने बताया कि किस तरह इस समय वह ग्राहक के आने से पहले अपनी सेवाओं का मोल-भाव नहीं कर पातीं क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं फोन पर की गई बात या ई-मेल पर हुई बातचीत के कारण उसे पकड़ न लिया जाए।

''मुझे लगता है कि ऐसा होने से ग्राहक से मोल भाव कर पाना आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं अपनी बात साफ रूप से कह पाऊँगी। फ़र्ज़ कीजिए, मैं इंटरनेट पर विज्ञापन दूँ और साफ रूप से यह बता पाऊँ कि मैं किस तरह की सेवाएँ दे सकती हूँ, तो इससे बड़ी सुविधा हो जाएगी। या फिर अगर ग्राहक मुझसे कोई सवाल पूछे और मैं उसका साफ उत्तर दे पाऊँ, तो यह बहुत अच्छा रहेगा'' (बॉन्डेज/डिसिप्लिन सैक्स करने वाली 19 वर्षीय महिला)

कई महिलाओं ने अंत में इस काम से जुड़े कलंक की भी चर्चा की। अगर यौनकर्म कानूनी अपराध न हो तो वे खुलकर, किसी भी दूसरे व्यवसाय की तरह काम कर पाएंगी। एक महिला को उम्मीद थी कि यौनकर्म को अपराध मानने वाले कानूनों को हटाने से यौनकर्मियों के बारे में बेहतर समझ बन पाएगी:

''यदि ऐसा हो जाए तो लोगों के मन में यौनकर्मियों के बारे में आने वाले विचार और धारणाएं बदल जाएंगी क्योंकि लोगों को तब यह पता चलेगा कि नैतिक कलंक की इस भावना से हम पर कितना असर पड़ता है'' (बॉन्डेज/ डिसिप्लिन यौन करने वाली 32 वर्षीय महिला)

यौनकर्म का वैधीकरण

दो महिलाओं ने विशेष रूप से कानूनी दर्ज़ा दिए जाने को प्राथमिकता दी। उनका विचार था कि कानूनी नियंत्रणों के अंतर्गत काम करते हुए

ही यौनकर्म कर पाना सबसे सुरक्षित हो सकता है। खासतौर पर वे गिरफ्तारी के डर के बिना अपने काम का विज्ञापन कर पाएंगी, पुलिस की सहायता ले पाएंगी, काम करने के सुरक्षित स्थान बन पाएंगे और वे मिलकर अपने संगठन भी बना पाएंगी।

''अगर ऐसा हो जाए तो काम करना बहुत सुरक्षित हो जाएगा। मान लो ग्राहक यहाँ आया, आप उससे बात कर सकती हैं, उसके बारे में जान सकती हैं। आप उससे पूछ सकती हैं कि उसका स्वास्थ्य कैसा रहा है और शायद ऐसा भी हो कि किसी तरह का कम्प्यूटर डेटा-बेस हो जिस पर देखकर आप यह पता लगा सकें कि अगर कभी वह व्यक्ति घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हुआ हो.....ऐसा होने से महिला के लिए सुरक्षा बहुत बढ़ जाएगी'' (स्वतंत्र रूप से काम कर रही 40 वर्षीय महिला)

''अगर यह काम कानूनन स्वीकार हो जाए तो हमें ज़्यादा पुलिस सुरक्षा मिल पाएगी। हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएँ, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, पुलिस सुरक्षा आसानी से मिल जाएगी। आपको अपने काम के कारण कोई घर से बाहर नहीं निकाल देगा..... आपको दूसरे सभी लोगों की तरह अधिकार मिल पाएंगे'' (स्वतंत्र रूप से मालिश करने वाली 49 वर्षीय महिला)

संख्यात्मक चरण के निष्कर्ष

अध्ययन के इस चरण में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत आयु 44 वर्ष थी। गुणात्मक अध्ययन की तरह ही इस चरण में शामिल महिलाएँ कई तरह के यौनकर्म से जुड़ी थीं (तालिका-2)। इनमें से 53 प्रतिशत बेघर थीं। 31 प्रतिशत को सरकार द्वारा किसी तरह की आय न होने वाले विकलांगों को मिलने वाला गुज़ारा भत्ता मिलता था। अन्य 29 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें सैन-फ्रांसिस्को सरकार द्वारा बेसहारा लोगों को दी जाने वाली मदद मिल रही थी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने नशीली दवाओं के प्रयोग, यौनकर्म में होने वाली हिंसा और पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बारे में बताया। इसके अलावा 14 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें धमकाया गया था कि यदि वे पुलिस अधिकारी के साथ सैक्स नहीं करेंगी तो गिरफ्तार कर ली जाएंगी। 8 प्रतिशत ने कहा कि पुलिस अधिकारी के साथ सैक्स करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 5 प्रतिशत ने बताया कि पुलिस वाले के साथ सैक्स न करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। 22 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि पैसा देकर सेवाएँ लेने वाले उनके ग्राहकों में पुलिस वाले भी शामिल रहे हैं। इस अध्ययन में शामिल होने से तुरंत पहले के तीन महीनों के दौरान 28 प्रतिशत महिलाओं का सामना कानूनी अधिकारियों से हुआ था। इनमें से केवल 40 प्रतिशत ने अपने इस अनुभव को बुरा या बहुत बुरा बताया।

अध्ययन के इस चरण में शामिल सभी महिलाओं से कानून व्यवस्था के बारे में उनकी पसंद पूछी गईं तालिका-3 में इस बारे में पूछे गए सभी सवालों की सूची दी गई है। इन सवालों से मिले संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष तैयार किए गए हैं।

तालिका-2: संख्यात्मक अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों का ब्यौरा (कुल संख्या=247)	
	संख्या (%)
औसत आयु	44 (18-69 के बीच)
जाति/मूल	
अफ्रीकी-अमरीकी	119 (48)
कॉकेशियन	77 (31)
मिश्रित	27 (11)
लैटिन	20 (8)
एशियन/पेसिफिक द्वीप समूह से	2 (1)
अमरीका की मूल निवासी	2 (1)
सेंट जेम्स इन्फर्मरी में इलाज करवा रहीं	15 (5%)
हाल ही में किया गया यौनकर्म किस तरह का था*	
गाड़ी में सैक्स किया गया	193 (78)
सड़क पर खड़े होकर	168 (68)
ग्राहक के साथ अकेले बाहर गई	138 (56)
ग्राहक के घर गई	119 (48)
नशीली दवाओं के इंजेक्शन का प्रयोग कर रहीं	128 (52)
यौनकर्म के दौरान हिंसा की घटनाएं	
शारीरिक हिंसा	79 (32)
यौन हिंसा	72 (29)
कानूनी ब्यौरा	
पहले कभी गिरफ्तार हुईं	210 (85)
नशीली दवाओं के आरोप में गिरफ्तार हुईं	206 (83)
यौनकर्म के आरोप में पकड़ी गई	149 (60)
पैसे देकर सेवाएँ लेने वाले पुलिसकर्मी ग्राहक	54 (22)
पुलिस के साथ सैक्स न करने पर पकड़े जाने की धमकी	35 (14)
पुलिस वाले के साथ सैक्स करने के बाद पकड़ी गई	20 (8)
पुलिस वाले के साथ सैक्स करने से मना करने पर पकड़ी गई	12 (5)

*एक से अधिक उत्तर भी हो सकता है।

यौनकर्म का अपराधीकरण

अध्ययन के इस चरण में बहुत कम महिलाओं ने यौनकर्म के अपराधीकरण को जारी रखने का समर्थन किया। केवल 7 प्रतिशत महिलाओं का मानना था कि पैसे या किसी चीज़ के बदले किए जाने वाले सैक्स को गैर कानूनी समझना चाहिए। अगर इसे गैर कानूनी समझना जारी रहे तो 92 प्रतिशत महिलाएँ चाहेंगी कि पकड़े जाने पर उन्हें जेल में रखने की बजाए समाज सेवा करने के लिए कहा जाए। 79 प्रतिशत महिलाओं का विचार था कि वे सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स या सरकार द्वारा काम करने की परिस्थितियाँ तय किए जाने के बजाए, खुद अपने काम की परिस्थितियों के बारे में फैसला लेना पसंद करेंगी।

यौनकर्म का गैर-अपराधीकरण

अध्ययन में भाग लेने वाली अधिकांश महिलाओं ने गैर-अपराधीकरण का समर्थन किया। 71 प्रतिशत महिलाएँ इस बात से सहमत थीं कि अदालतों को चाहिए कि वे यौनकर्म को गैर कानूनी बनाने वाले नियमों को खत्म कर दे। बड़ी संख्या में महिलाओं का मानना था कि उन्हें क्लबों और मालिशघरों (68%), सड़कों पर (77%), वेश्यालयों तथा एस्कॉर्ट एजेंसियों (87%) में यौनकर्म कर पाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 82 प्रतिशत महिलाओं ने व्यावसायिक इलाकों और धंधे की गली में, सड़क पर यौनकर्म कर पाने को प्राथमिकता दी। 91 प्रतिशत महिलाएँ चाहती थीं कि यौनकर्मियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए जाएं।

यौनकर्म का वैधीकरण

यौनकर्म को कानूनी दर्ज़ा दिए जाने से कई बार ऐसा होता है कि इस व्यवसाय और इससे जुड़े यौनकर्मियों पर कई तरह के नियम लागू कर दिए जाते हैं जो दूसरे व्यवसायों पर नहीं लगाए जाते। एक तिहाई महिलाओं का मानना था कि सैन-फ्रांसिस्को के स्वास्थ्य विभाग द्वारा यौनकर्म का नियामन होना चाहिए। 84 प्रतिशत महिलाएँ मानती थीं कि यौनकर्म करने के लिए उन्हें स्वास्थ्य जाँच करवानी होगी।

विचार-विमर्श

इस अध्ययन में जिन यौनकर्मियों को शामिल किया गया था, आमतौर पर उन्हें हाशिए के दूसरे छोर पर खड़े समझा जाता है। अध्ययन के गुणात्मक चरण में शामिल एक तिहाई महिलाएँ सड़क पर काम करने वाली यौनकर्मी थीं और 25 प्रतिशत महिलाएँ इस समय नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाती थीं। संख्यात्मक आंकड़े इक्ट्ठे किए जाने के चरण में शामिल दो तिहाई से अधिक महिलाओं ने सड़क पर यौनकर्म करने की जानकारी दी और लगभग आधी महिलाएँ इस समय नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाती थीं। ये वही यौनकर्मी महिलाएँ हैं जिनके साथ शारीरिक और यौन हिंसा होने और पकड़े जाने का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है। इन महिलाओं द्वारा कही गई सभी बातों पर ध्यान देने के बाद ऐसा लगा कि वे 3 तरह की कानून व्यवस्थाओं में से किसी भी एक को पूरी तरह स्वीकार नहीं करतीं। ज़्यादातर यौनकर्मियों का विचार था कि यौनकर्म को अपराध मानने वाले कानून हटा दिए जाने चाहिए जिससे कि यौनकर्म के लिए बेहतर

तालिका-3: विभिन्न कानूनी व्यवस्थाओं के प्रति यौनकर्मियों के विचार (कुल संख्या=247)	
	संख्या (%)
स्वीकार करने/मानने वाली महिलाएँ कि:	
गिरफ्तार की गईं यौनकर्मियों को जेल में डालने की बजाए उनसे समाज सेवा करवाई जाए।	225 (91)
यौनकर्मियों को अपने काम करने की परिस्थितियाँ निर्धारित करने की स्वतंत्रता हो और उन पर किसी तरह के सरकारी टैक्स या नियंत्रण न लगाए जाएं	194 (79)
यौनकर्म को गैर कानूनी बनाने वाले कानून अदालतों द्वारा हटा दिए जाएं	175 (71)
पैसे या किसी अन्य चीज़ के बदले किए जाने वाले सैक्स को गैर कानूनी समझा जाए	18 (7)
यौनकर्मियों को यौनकर्म से हुई आय पर टैक्स देना चाहिए	4 (2)
हाँ में उत्तर दिया कि:	
यौनकर्मियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए जाएं	223 (90)
यौनकर्म कर पाने के लिए यौनकर्मियों को स्वास्थ्य जाँच करानी अनिवार्य हो	206 (83)
क्लबों, मसाज पार्लर, सड़कों पर, एस्कॉर्ट एजेंसियों या वेश्यालयों में वयस्कों को पैसे के बदले यौनकर्म करने की छूट हो	168 (68)
शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा यौनकर्म का नियामन हो	95 (25)
विशेष रूप से पहचान किए गए शहर के धंधे के इलाकों में सड़क पर यौनकर्म करने की अनुमति हो	61 (25)
स्कूलों, चर्च और अस्पतालों से दूर शहर के व्यावसायिक इलाकों में सड़क पर यौनकर्म करने की अनुमति दी जाए	31 (13)
सड़क पर यौनकर्म करना गैर कानूनी हो और इसके लिए जुर्माना देना पड़े	28 (11)
शहर की सरकार यौनकर्म का नियामन करे	24 (10)
राज्य की सरकार यौनकर्म का नियामन करे	17 (7)
शहर का पुलिस विभाग यौनकर्म का नियामन करे	17 (7)
वेश्यालय और एस्कॉर्ट एजेंसियाँ गैर कानूनी हों और इसके लिए जुर्माना देना पड़े	14 (6)
सड़क पर यौनकर्म करना गैर कानूनी हो और इसके लिए जेल की सज़ा हो	5 (2)
वेश्यालय और एस्कॉर्ट एजेंसियाँ गैर कानूनी हों और इसके लिए जेल की सज़ा हो	1 (0.4)

सामाजिक और राजनैतिक वातावरण तैयार हो पाए, जहाँ यौनकर्मियों के कानूनी अधिकार हों और हिंसा होने पर वे कानून की सहायता ले पाएं। वे नहीं चाहती थी कि यौनकर्म करने पर पुलिस उन्हें पकड़े, लेकिन फिर भी आमतौर पर दूसरे लोगों की तरह ही, वे यह भी नहीं चाहती थी कि सरकार उन पर टैक्स लगाए। इसी तरह लगभग आधी से ज़्यादा महिलाओं ने बताया कि उन्हें राज्य से किसी तरह की वित्तीय सहायता मिल रही थी और अगर वे यौनकर्म से होने वाली आय की जानकारी सरकार को देंगी तो उन्हें मिलने वाली यह सहायता बंद हो जाएगी।

बहुत सी महिलाओं ने सरकार द्वारा निगरानी रखे जाने का विरोध किया, लेकिन कुछ ने माना कि ऐसे नियंत्रण लगाए जाने चाहिए जो वैधीकरण व्यवस्था में लगाए जाते हैं। इनमें अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच या किन्हीं विशेष जगहों पर यौनकर्म कर पाने की स्वतंत्रता आदि शामिल हैं। अध्ययन के लिए यौनकर्मियों के इंटरव्यू स्वास्थ्य क्लीनिक में किए गए थे। हो सकता है कि इंटरव्यू के स्थान के कारण भी उनके उत्तर प्रभावित हुए हों। हो सकता है इसी कारण से वे सोच रही हों कि सभी स्वास्थ्य जाँच किसी सामुदायिक या अपने ही तरह के किसी व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे किसी क्लीनिक में होगी। हो सकता है कि सड़क पर खड़े होकर यौनकर्म करने वालों के ऊपर क्षेत्रीय नियामन के इतने जवाब इसलिए आए हों क्योंकि अपराधीकरण व्यवस्था में, सड़क पर काम करने वाली महिलाओं का अपने काम पर बहुत कम नियंत्रण रहता है। अगर उनके काम के लिए या सड़क पर यौनकर्म कर पाने के स्थान निर्धारित हो जाएं, तो महिलाएँ ज़्यादा सुरक्षित इसलिए महसूस करेंगी क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए एक निश्चित वातावरण मिल जाएगा।

अपराधीकरण के खिलाफ आमतौर पर तर्क दिया जाता है कि अपराधीकरण व्यवस्था में यौनकर्मियों को बहुत अधिक हिंसा का सामना करना पड़ता है[1,2,9,17–24]। कनाडा और अमरीका[21,25] में उदाहरण के तौर पर पुलिस द्वारा बहुत अधिक उत्पीड़न किए जाने अर्थात गिरफ्तार न करने के एवज में सैक्स की माँग[19,23] और अत्यधिक बल प्रयोग की जानकारियाँ मिली हैं। यौनकर्मियों के विरुद्ध हुए अधिकांश अपराधों के लिए कोई सज़ा नहीं मिल पाती क्योंकि उत्पीड़न होने पर अधिकांश यौनकर्मी पुलिस के सामने नहीं जाते[3,22,23,26]। सैन-फ्रांसिस्को की महिला यौनकर्मियों पर हिंसा के जोखिम के बारे में बहुत कम लिखा गया है। सेंट जेम्स इन्फर्मरी में, 1999 से 2004 के दौरान स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए आने वाले 783 वयस्कों का अध्ययन करने पर हमें पता चला, कि 36.3 प्रतिशत महिलाओं को यौनकर्म से जुड़ी हिंसा और 7.9 प्रतिशत को पुलिस हिंसा का सामना करना पड़ा था[24]। सैन-फ्रांसिस्को में 1990–91 में किए गए एक अन्य अध्ययन से पता चला कि पुरुष और ट्रांसजेंडर यौनकर्मियों की तुलना में महिला यौनकर्मियों को बलात्कार या यौनकर्म के कारण गिरफ्तार कर लिए जाने के अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता था[27]। सैन-फ्रांसिस्को में यौनकर्मियों के साथ होने वाले पुलिस उत्पीड़न के बारे में *हेय* के लेख में यह स्वीकार किया गया है कि यौनकर्मी ये कहते हैं

कि पुलिस यौनकर्मियों को गिरफ्तार न करने के एवज में सबसे अधिक सैक्स की माँग करती है, पर इसे किसी भी तरह से सिद्ध कर पाना बहुत कठिन है। अध्ययन में शामिल कई महिलाओं ने यह बताया कि पुलिस अधिकारी द्वारा तंग किए जाने पर भी उन्होंने शिकायत नहीं की थी क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि ऐसा करने से कोई लाभ होगा। *हेय* का मानना है कि पुलिस का उत्पीड़न इस तरह के काम में लगे लोगों के सामने आने वाला कामकाज से जुड़ा खतरा ही है[19]। लेकिन यह एक ऐसा जोखिम है जिसे तब चुनौती दी जा सकती है जब यौनकर्म को कानून की दृष्टि में अपराध न समझा जाए।

अगर यौनकर्म को गैर-अपराधीकृत या वैधीकृत कर दिया जाए, संभव है कि बहुत सी बातें तब भी न बदलें। अगर कानून के यौनकर्म से जुड़े प्रावधानों को हटा भी लिया जाए, तो यौनकर्मियों के विरुद्ध यहाँ-वहाँ घूमने, किसी की संपत्ति पर अनाधिकार प्रवेश, सार्वजनिक उत्पात करने या नशीली दवाएं रखने जैसे आरोप लगा कर इन्हें परेशान किया जा सकता है। इसके अलावा यौनकर्म के बारे में हमारी धारणाएं इतनी प्रबल और गहरी हैं कि इसे अपराध न समझने या इसे कानूनी दर्ज़ा दिए जाने के बाद भी, इस काम से जुड़ा कलंक दूर करना मुश्किल है। कानून व्यवस्था और नियमों में बदलाव लाने से भी यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि महिलाओं को जिन स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता है, वे उन्हें मिल ही पाएंगी। इन महिलाओं द्वारा नशीली दवाओं के सेवन/शराब पीना बंद करने या इन्हें स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ देने के लिए जेल में बंद कर देना ही एकमात्र उपाय नहीं है। यौनकर्म को अपराध न समझे जाने की दिशा में किए जाने वाले किसी भी काम के लिए यह ज़रूरी होगा कि यौनकर्मियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने के प्रति भी पूरा समर्पण और वचनबद्धता हो।

इस अध्ययन में शामिल अधिकांश महिलाएँ नहीं चाहती थीं कि यौनकर्म को अपराध समझा जाए। ना ही वे यह चाहती थीं कि उन पर सरकारी नियंत्रण हो या उन्हें सरकार को कर देना पड़े। इस तरह की परस्पर विरोधी इच्छाएं यौनकर्म की गैर-अपराधीकृत व्यवस्था में एक साथ कायम नहीं रह सकतीं। पैरवी कार्य करने वाले समूहों को चाहिए कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सुरक्षित रूप से अपना काम कर पाने की आज़ादी और दूसरे काम-काजी लोगों के समान कानूनी संरक्षण पाने के लिए विभिन्न यौनकर्मी, किस तरह के समझौते करने को तैयार हैं। हो सकता है ज़्यादा महिलाएँ सरकार को कर देने और दूसरे व्यवसायों पर लगाए जा रहे नियंत्रणों को अपने काम पर भी स्वीकार करें, अगर उन्हें यह पता हो कि ऐसा करने से उन्हें कानूनी सुरक्षा और संरक्षण मिल पाएगा। इस बारे में और विचार एवं जाँच करने की ज़रूरत है। यह भी हो सकता है कि यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण की पहले की पैरवी के दौरान यौनकर्मी उतने प्रभावी रूप से अपनी बात न कह पाए हों या शामिल न हो पाए हों, क्योंकि उनकी आरंभिक ज़रूरतें ही पूरी न हो रही हों और कानून में परिवर्तन लाना उनके लिए मुख्य प्राथमिकता न हो। पैरवी समूहों को चाहिए

कि वे हाशिए पर रह रहे यौनकर्मियों – महिलाएँ, पुरुष और ट्रांसजेंडर – के साथ उनकी मुख्य आवश्यताओं को समझने के लिए उनके साथ मिलकर काम करें और यह जानें कि यौनकर्म के गैर-अपराधीकरण से उनकी ये समस्याएँ किस तरह दूर हो सकती हैं।

अभिस्वीकृति

इस अध्ययन में शामिल हुई महिला प्रतिभागियों और समकक्ष पीयर अनुसंधान कर्मियों के सहयोग के बिना यह अध्ययन कभी भी संभव नहीं हो पाता जिन्होंने, अपना समय और ईमानदारी इस अध्ययन में लगाई। हम डॉक्टर जैफ क्लॉज़नर, जोहाना ब्रायर, नाओमी अकियर्स, चार्ल्स क्लॉनिगर, डॉ. विली मैकुार्लैण्ड, एच फिशर रेमण्ड, सेंट जेम्स इन्फर्मरी समुदाय और सेंट-फ्रांसिस्को के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के यौन रोग रोकथाम एवं नियंत्रण ईकाई में कार्यरत सभी कर्मचारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था द यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अॅब्यूज़ (K23DAO16174), यूसीएसएफ एड्स रिसर्च संस्था और यूसीएसएफ हैल्मैन अवार्ड (कोहन, पीआई) द्वारा की गई इस लेख के कुछ भागों को पोस्टर के रूप में अगस्त 2008 में मैक्सिको में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था और जुलाई 2006 में नेवाडा के लॉस वेगस में आयोजित डिज़ायरी अलायन्स कॉंफ्रेन्स में इस विषय पर मौखिक प्रस्तुति की गई

पत्र व्यवहार के लिए पता

अ. सैन-फ्रांसिस्को सीए, अमरीका में रिसर्च ट्रायंग्ल इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल में सार्वजनिक स्वास्थ्य की विश्लेषक, ई-मेल : alutnick@rti.org

ब. सैन-फ्रांसिस्को सीए, अमरीका में केलिफोर्निया विश्वविद्यालय के स्त्रीरोग, प्रसूति एवं प्रजनन विज्ञान विभाग में सह-प्रोफेसर

संदर्भ

1. Klausner JD. Decriminalize prostitution - vote yes on Prop K. San Francisco Chronicle. 8 September 2008.
2. Wolfers I. Violence, repression and other health threats: sex workers at risk. Research for Sex Work 2001;4:1–2.
3. Shannon K, Kerr T, Allinott S, et al. Social and structural violence and power relations in mitigating HIV risk of drug-using women in survival sex work. Social Science & Medicine 2008;66: 911–21.
4. Alexander P. Sex workers fight AIDS: an international perspective. In: Schneider BE, Stoller NE, editors. Women Resisting AIDS: feminist strategies of empowerment. Philadelphia: Temple University Press; 1995.
5. Alexander P. Contextual risk versus risk behavior: the impact of the legal, social and economic context of sex work on individual risk taking. Research for Sex Work 2001;4:3–4.
6. Albert A. Brothel: The Mustang Ranch and its women. New York: Random House; 2001.

7. Thukral J. Decriminalization. In: Ditmore MH, editor. Encyclopedia of prostitution and sex work. Connecticut: Greenwood Press; 2006. p.129.

8. Lutnick A. The St. James Infirmary: a history. Sexuality & Culture 2006;10(2): 56–75.

9. Board of Supervisors of the City and County of San Francisco. San Francisco Task Force on Prostitution: Final Report, 1996.

10. <YesOnPropK.org>. Vote November 4, 2008: Yes on Prop K. San Francisco, 2008.

11. CBS News. Election results: San Francisco Prop K – decriminalize prostitution. At: <http://elections.cbslocal.com/cbs/kpix/20081104/race2131.shtml>. Accessed 12 November 2008.

12. No on K. No on K: Say no to all human trafficking. San Francisco. At: <http://noonk.net>. Accessed 12 November 2008.

13. Corbin J, Strauss A. Grounded theory research: procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology 1990; 13(1):3–21.

14. Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications; 1998.

15. Heckathorn D. Respondent-driven sampling: a new approach to the study of hidden populations. Social Problems. 1997;44(2):174–99.

16. Iguchi MY, Ober AJ, Berry SH, et al. Simultaneous recruitment of drug users and men who have sex with men in the United States and Russia using respondent driven sampling: sampling methods and implications. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine 2009;86(1):S5–S28.

17. Crago AL. Our lives matter: sex workers unite for health and rights. New York: Sexual Health and Rights Project: Open Society Institute; 2008.

18. Demaere K. Decriminalisation as partnership: an overview of Australia's sex industry law reform model. Research for Sex Work 2005;8:14–15.

19. Hay J. Police abuse of prostitutes in San Francisco. Colorado Springs: Gauntlet Magazine, 1994.; 1994

20. Sex Workers Project. Unfriendly encounters: street-based sex workers and police in Manhattan, 2005. New York: Urban Justice Center; 2006.

21. Simon S, Thomas R. Eight working papers/case studies: examining the intersections of sex work law, policy, rights and health. New York: Sexual Health and Rights Project: Open Society Institute; 2006.

22. Thukral J, Ditmore M, Murphy A. Behind closed doors: an analysis of indoor sex work in New York City. New York: Urban Justice Center, Project SW; 2005.

23. Thukral J, Ditmore M. Revolving door: an analysis of street-based prostitution in New York City. New York: Urban Justice Center, Project SW; 2003.

24. Cohan D, Lutnick A, Davidson P, Cloniger C, Herlyn A, Breyer J, et al. Sex worker health: San Francisco

style. Sexually Transmitted Infections 2006;82:418–22.

25. Shannon K, Kerr T, Strathdee SA, et al. Prevalence and structural correlates of gender based violence among a prospective cohort of female sex workers. BMJ 2009;339(b2939).

26. Blankenship KM, Koester S. Criminal law, policing policy, and HIV risk in female street sex workers and injection drug users. Journal of Law, Medicine & Ethics 2002;30:548–59.

27. Weinberg MS, Shaver FM, Williams CJ. Gendered work in the San Francisco Tenderloin. Archives of Sexual Behavior 1999;28(6):503–21.

© 2009 Reproductive Health Matters.
All rights reserved.
Reproductive Health Matters 2009;17(34) : 20-28
0968-8080/09 $ - see front matter
PII: S0 www.rhm_elsevier.com 9 68 - 8 08 0 (0 9) 3 4478 - X

भारत में समलैंगिकता का गैर-अपराधीकरण

गीतांजली मिश्रा*

सारांश :

इस लेख में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध सफल प्रयासों की चर्चा की गई है। भारतीय दंड विधान की धारा 377 के अनुसार, एक ही जेंडर के दो व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से अकेले में बनाए जाने वाले सैक्स संबंधों को अपराध माना जाता है। इस कानून के कारण समलैंगिक संबंध बनाने वाले व्यक्तियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। उन्हें कई बार पुलिस की मार या ब्लैकमेल का शिकार भी होना पड़ता था, जो इस कानून को उनके खिलाफ प्रयोग करने की धमकी देकर उनका शोषण करते थे। यौनिक अल्पसंख्यकों के बीच काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ़ भी कभी-कभी धारा 377 लगाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती रही थी। समलैंगिकता को कलंक की नज़र से देखने और समलैंगिक पुरुषों को जेल में डाले जाने की धमकियों के कारण, एचआईवी संक्रमण के विरुद्ध किए जा रहे प्रयास भी प्रभावित हुए हैं। दंड विधान की इस धारा को सक्रियतावादियों के लगातार लंबे समय तक चले अभियान और मीडिया के द्वारा किए गए प्रयासों के कारण जुलाई 2009 में खारिज कर दिया गया। वायसेज़ अगेन्स्ट 377 नामक गठबंधन के नाम के तहत यौनिकता, समलैंगिक महिलाओं और पुरुषों, बायसेक्शुअल और ट्रांसजेन्डर लोगों के संगठन, जो समाज में हाशिए पर थे - एकजुट हुए। बाल अधिकार और नारीवादी संगठनों ने भी इस गठबंधन में भाग लिया। इससे पता लगा कि यौनिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न बरते जाने के विचार को कितना समर्थन मिल रहा था। भारतीय समाज में एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल और ट्रांसजेन्डर) लोगों के पूरी तरह स्वीकार कर लिए जाने और उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए अभी और कानूनी और सामाजिक बदलावों की ज़रूरत होगी। इस फैसले ने एलजीबीटी लोगों के विषय से आगे बढ़ते हुए सभी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की बात कही है और दक्षिण एशिया में पहली बार यौनिक आधार पर नागरिकता दिए जाने का विचार उठाया है। © 2009 रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स, सर्वाधिकार सुरक्षित।

मुख्य शब्द : पैरवी और राजनीतिक प्रक्रिया, समलैंगिकता, कानून और नीतियाँ, एलजीबीटी संगठन, यौन अधिकार, भारत

''यदि कोई एक ऐसा संवैधानिक विचार या सिद्धान्त है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जा सकता है, तो वह है समावेश की भावना। इस न्यायालय का मानना है कि संविधान में बसा यह मूल्य हमारे समाज का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है जिसे हमने पीढ़ी दर पीढ़ी सींचा है। आज भी हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए भूमिका को पहचान के पीछे भारतीय समाज की वही सबको साथ लेकर चलने वाली प्राचीन परंपरा दिखाई पड़ती है। बहुसंख्यकों द्वारा जिन लोगों को 'अलग' या 'विकृत' समझा जाता है उन्हें भी इस बूते पर अलग-थलग या बहिष्कृत नहीं किया जाता[1]।''

2 जुलाई, 2009 को दिल्ली के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जो कि समलैंगिक वयस्कों के बीच आपसी सहमति से निजी तौर पर किए जाने वाले सैक्स को अपराध मानती है, वास्तव में देश के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों का उल्लंघन करती है। दो जजों की बेंच ने फैसला दिया कि, ''दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से किया जाने वाला सैक्स पूरी तरह कानूनी है'' और इसमें ''समलैंगिक लोगों के बीच होने वाला सैक्स भी शामिल है[1]।''

इसके साथ ही आठ वर्ष तक चले इस पैरवी अभियान का सफल अंत हुआ। 1860 से सभी ब्रिटिश कालोनियों पर लागू की गई दंड विधान की इस धारा को इस फैसले ने खारिज कर दिया। इस बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित अदालती मामले के कारण भारतीयों के बीच गहन चर्चा और बहस छिड़ गई है जिन्होंने पहले कभी यौनिकता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया था, इस बारे में कभी सोचा नहीं था और न ही नए विचारों को अपनाने की कोशिश की थी। पूरे देश में इस फैसले के बाद विभिन्न यौन अधिकार समूहों, लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल और ट्रांसजेन्डर लोगों (एलजीबीटी) के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। इन्हें महसूस हुआ कि समलैंगिकता के प्रति भेदभाव खत्म होने से अब उन्हें समाज में स्वीकार कर लिया जाएगा।

इस लेख में नाज़ फाउन्डेशन इंडिया ट्रस्ट द्वारा दायर की गई याचिका और वायसेज़ अगेन्स्ट 377 नाम से बने गठबंधन की भूमिका पर विचार किया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब बिलकुल नहीं है कि हम किसी भी तरह यौनिकता, एलजीबीटी और मानवाधिकारों पर काम करने वाले दूसरे कई संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को किसी भी तरह से नकार रहे हैं जिनसे यह फैसला और समानता का रास्ता कुछ आसान हुआ है। लेख में धारा 377 के इतिहास पर नज़र डाली गई और यह बताया गया है कि इसे किस तरह भारत में लागू किया गया। फिर इस फैसले से भारतीयों के जीवन पर होने वाले प्रभावों को समझने, खास तौर पर एचआईवी संक्रमण से बाधित या इसके जोखिम वाले लोगों पर इसके असर को जानने की कोशिश की गई है। फिर यह चर्चा की गई है कि कानून के साथ यह लड़ाई किस तरह से चली और कैसे अलग-अलग काम करने वाले नागरिक समूह सफलतापूर्वक एक साथ जुड़े और इस बदलाव के समर्थन में पैरवी का काम किया।

अंत में यह चर्चा की गई है कि इस फैसले का देश में हाशिए पर खड़े एलजीटीबी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और समाज में मान्यता और समानता लाने के लिए अभी और कौन से बदलाव लाने होंगे।

धारा 377 का इतिहास

भारतीय दंड विधान की धारा 377 को लार्ड मैकॉले ने 1860 में लिखा था। वे उस समय भारतीय कानून आयोग के अध्यक्ष थे। यह कानून ब्रिटेन द्वारा अपने अधीन सबसे बड़े देश भारत में विक्टोरियाई नैतिकता और मूल्य लागू करने के लिए बनाया गया था (ब्रिटेन ने अमरीका सहित अपने अधीन सभी देशों में ऐसे ही कानून लागू किए थे)। इस कानून में कहा गया कि :

377 : अप्राकृतिक अपराध - किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, या 10 वर्ष तक की समयावधि के लिए जेल में डाला जा सकता है। साथ ही इस व्यक्ति को जुर्माना भरने का दण्ड भी दिया जा सकता है। इस धारा में वर्णित अपराध में संभोग माने जाने के लिए श्शिन का प्रवेश काफी है''[2] हालाँकि कानून में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है लेकिन भारत की अदालतें कई वर्षों तक 'प्रकृति के नियम के खिलाफ किए सैक्स' की परिभाषा में गुदा सैक्स, मौखिम सैक्स और कभी-कभी तो दो व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे का हस्तमैथुन करने जैसी उन यौन क्रियाओं को भी सम्मिलित करती रही हैं जिनसे बच्चा पैदा होने की संभावना नहीं होती[3]। यह सही है कि विषमलैंगिक व्यक्ति भी इस तरह से सैक्स करते हैं पर कई कारणों से इस कानून का प्रयोग सदियों से समलैंगिक सैक्स करने वालों के खिलाफ ही किया जाता रहा है[4]। इस तरह का सैक्स यदि आपसी सहमति से भी किया जाए तो भी कानून में शामिल शब्द 'स्वैच्छिक' के कारण इसे भी गैर-कानूनी क़रार दिया जाता है।

धारा 377 जैसे कानून बहुत पहले ही अधिकांश पश्चिमी देशों द्वारा खारिज किए जा चुके हैं, लेकिन ये अब भी ऐसे देशों में लागू हैं (दक्षिण अफ्रीका और नेपाल को छोड़कर) जो पहले कभी ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रह चुके हैं। 1980 के दशक के दौरान यूरोप की मानवाधिकार अदालत ने यह निर्णय दिया कि समलैंगिक सैक्स या एक ही जेंडर के लोगों के बीच किए जाने वाले सैक्स को अपराध समझना निजी जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है[5]। ब्रिटेन में भी, जहाँ औपनिवेशिक दिनों में भारत की दंड विधान और धारा 377 लिखे गए थे, वहाँ भी 1967 में समलैंगिकता को अपराधमुक्त कर दिया गया है।

भारत में 'प्रकृति के नियम के खिलाफ निजी जगह पर किया गया सैक्स' सिद्ध करना कठिन रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि इस कानून को कभी कभार ही लागू किया गया है। इस अपराध को साबित करने के लिए दो लोगों को सैक्स करते हुए पकड़ा जाना ज़रूरी है, लेकिन आमतौर पर सैक्स एकांत में होता है। 1930 से लेकर आज तक दो वयस्क व्यक्तियों को आपसी सहमति से समलैंगिक सैक्स करने के केवल एक मामले में सज़ा हो पाई है[6,7]। गुप्ता[3]

ने धारा 377 के तहत दिए गए 50 अदालती फैसलों की समीक्षा की और पाया कि इनमें से 30 प्रतिशत मामले यौन हिंसा और नाबालिगों का शोषण करने के थे। बाकी मामलों में वयस्क लोगों के बीच बिना सहमति के सैक्स हुआ था। लेकिन गुप्ता यह भी लिखते हैं कि[3], उनके द्वारा केवल उन मामलों की समीक्षा की गई थी जो निचली अदालत के फैसले के बाद अपील के लिए ऊपर की अदालत में आए थे – हो सकता है कुछ ऐसे भी मामले रहे हों जिनमें निचली अदालत ने फैसला तो दिया पर चूंकि उनमें अपील नहीं की गई, इसलिए उनकी समीक्षा न हो पाई हो।

हालाँकि आपसी सहमति से सैक्स करने वाले वयस्क लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत बहुत कम मामले दर्ज़ किए गए हैं, लेकिन इस कानून की उपस्थिति और लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति होने के कारण पुलिस अधिकारी लंबे समय तक समलैंगिक लोगों और उनके बीच काम करने वाले संगठनों के साथ भेदभाव करते रहे हैं। इसलिए, धारा 377 का बहुत से लोगों के जीवन पर बड़ा गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

धारा 377 का प्रभाव

''यह सही है कि कभी-कभी लोग उपयुक्त आहार या आहार में भिन्नता को लेकर आपस में असहमत हो सकते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि भोजन की पसंद में अंतर होने पर लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा भड़के और चिंता हो जैसे कि यौन पसंद में अंतर या भिन्नता होने पर देखी जाती है। यौन संबंधों को हमेशा ही कुछ ज़्यादा ही महत्व की नज़र से देखा जाता रहा है[8]।''

समलैंगिक सैक्स को धारा 377 के अंतर्गत अपराध समझने का यह अर्थ होता है कि इस तरह के संबंध बनाने वाले लोग या समलैंगिक सैक्स करने वाले लोग हमेशा ही समाज से अलग-थलग, हाशिए पर जीते हैं। उनकी यौन इच्छायें और गतिविधियां हमेशा ही परिवार, समाज और सरकार से छिपा कर रखी जाती हैं क्योंकि उन्हें भय होता है कि उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए या कोई उनको ब्लैकमेल न करने लगे जैसे कि आगे बताए गए उदाहरण से पता चलता है। सफल मुकदमों के न होते हुए भी, इस कानून के कारण बड़े पैमाने पर बहुमत से अलग किसी भी तरह की यौन पहचान या इच्छाएं रखने वालों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है और इसे सरकार की भी मौन मंजूरी मिलती रही है।

धारा 377 के कारण, कई घटनाओं से, गे, लेस्बियन और ट्रान्सजेंडर लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने का पता चलता है। समलैंगिक इच्छाएं रखने वाले पुरुष जब किसी पार्क में या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर मिलते हैं, तो उन्हें पुलिस फंसा कर ब्लैकमेल करती है। उन्हें धमकी दी जाती है कि उनपर धारा 377 लगा दी जाएगी। इसी तरह के पुलिस उत्पीड़न – कनॉट प्लेस के पार्क में पुरुषों को गिरफ्तार करने का – विरोध करने के लिए एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन (एबीवीए) ने पहली बार अगस्त, 1994 में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और खुलकर 'गे' अधिकारों की माँग की। यह प्रदर्शन 1991 में प्रकाशित *'लेस दैन गे'*

नामक दस्तावेज़ के प्रकाशन के बाद हुआ। यह पहला दस्तावेज़ है, जिसमें सार्वजनिक रूप से भारत में समलैंगिक लोगों को अधिकार दिए जाने की माँग रखी गई थी।

दिसंबर 1999 में भारत के कई बड़े शहरों में 'फायर' फिल्म प्रदर्शन के लिए रिलीज़ हुई। यह पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें मुख्य रूप से दो महिलाओं के बीच रिश्ता दिखाया गया था। हालाँकि इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था, फिर भी हिंदू कट्टरवादी समूह, शिव सेना ने इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया की, सिनेमा घरों में तोड़-फोड़ की, दर्शकों पर आक्रमण किए और माँग की कि इस फिल्म पर रोक लगा दी जाए। यह और बात है कि वे अपनी इन माँगों को पूरा करवाने में असफल रहे[9]। रामसुब्बन[9] के अनुसार, शिव सेना ने इस फिल्म का विरोध अश्लीलता और स्थापित भारतीय मूल्यों का हनन किए जाने के आधार पर किया था।

समाज में अपनी यौनिक इच्छाओं के कारण हाशिए पर रहने वाले लोगों के बीच काम करने वाले कई गैर-सरकारी संगठनों को भी परेशान किया गया। 2002 में बैंगलोर में यौन अल्पसंख्यकों के बीच काम करने वाले एनजीओ, 'संगमा' को भी लंबे समय तक दमन का सामना करना पड़ा क्योंकि पुलिस लोगों को उनके दफ्तर तक आने से रोकती थी। पुलिस की ओर से संगठन को यह आदेश भी दिया गया था कि वह इन लोगों के साथ बैठक बैंगलोर शहर के बाहर ही आयोजित करें[9]। फिर 2001 में लखनऊ में एचआईवी/एड्स पर काम करने वाले संगठनों, भरोसा ट्रस्ट और नाज़ फाउन्डेशन इंटरनेशनल के चार कार्यकर्ताओं पर 'समलैंगिक सैक्स क्लब' चलाने का आरोप लगाया गया और उन पर धारा 377 लगा दी गई। इन कार्यकर्ताओं के संगठनों को राज्य की एड्स नियंत्रण समिति से मान्यता मिली हुई थी और वे समलैंगिक पुरुषों के बीच कंडोम और शिक्षाप्रद पर्चे बाँट रहे थे। देश भर में इनकी गिरफ्तारी का कड़ा विरोध होने पर 47 दिन हवालात में रखने के बाद इन लोगों को छोड़ा गया[3]।

जैसा कि गुप्ता[3] का तर्क है कि 'लखनऊ की घटनाएं यह दिखाती हैं कि भले ही इस धारा 377 को निजी तौर पर होने वाले सैक्स के विरुद्ध लागू न किया जा रहा हो, धारा 377 की मौजूदगी से समलैंगिक पुरुषों का जीवन आपराधिक हो जाता है, वे कानून की नज़रों में आ जाते हैं, और उनके साथ नैतिकवादियों के उग्रवाद का जोखिम बढ़ जाता है। कपूर[8] ने कहा है कि बलात्कार, शादी के बाहर सैक्स करना और गुदा मैथुन जैसी गतिविधियों को आपराधिक समझने और पति द्वारा पत्नी के बलात्कार किए जाने को सामान्य समझे जाने से ऐसा लगता है कि कुछ तरह के यौन व्यवहार बिल्कुल निजी हैं, सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत हैं और परिवार में जायज़ रूप से किए जा सकते हैं। इसी वजह से गुदा मैथुन और समलैंगिकता जैसे व्यवहार कानूनी तौर पर जायज़ काम के दायरे से बाहर हो जाते हैं और यही कारण है कि समलैंगिक लोग कानून की निगाह में अपराधी बन जाते हैं।

भारत में धारा 377 के कारण एचआईवी और एड्स के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष पर भी बुरा असर पड़ने का खतरा है। समलैंगिकता को

अपराध समझने से इसके साथ जुड़ी कलंक की भावना बढ़ जाती है और समलैंगिक व्यक्ति और अधिक कलंकित बन जाता है। सामाजिक कलंक तथा 10 वर्ष की जेल का डर एचआईवी/एड्स महामारी को भूमिगत कर देता है और संचारण के जोखिम को बढ़ा देता है। खुलासा हो जाने के डर से गे व्यक्ति टेस्टिंग, रोकथाम सेवाएँ और उपचार के लिए आते ही नहीं हैं।

धारा 377 के नकारात्मक प्रभावों का एक उदाहरण तब सामने आया जब 1994 में डॉक्टरों के एक समूह ने दिल्ली की एक जेल में कंडोम वितरित किये जाने का सुझाव दिया क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर समलैंगिक सैक्स होता था। जेल के अधिकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिकता एक अपराध है और कंडोम वितरित करने का अर्थ यह होता कि वे लोगों के इस अपराध को नज़रांदाज़ कर रहे हैं [10]। जेल अधिकारियों द्वारा इन कैदियों को कंडोम न दिए जाने से उनमें संक्रमण होने का खतरा कई गुना बढ़ गया होगा।

एचआईवी की रोकथाम का काम करने वाले संगठनों को यौनिकता के कारण समाज में हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुँचने, उन्हें जानकारी और अन्य सेवाएँ देने में भी मुश्किल होती है। जैसा कि लखनऊ में हुई घटना से पता चलता है, आरोप लगाए जाने के डर के कारण, उनकी ये मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। 2002 में ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत सरकार की किन नीतियों में परस्पर विरोधाभास है। एक ओर तो एचआईवी/एड्स पर नियंत्रण की नीतियाँ बनाई जा रही हैं, दूसरी ओर समलैंगिकता को अपराध समझा जाता है और समलैंगिक लोगों के साथ काम करने वाले समूहों को प्रताड़ित किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह सरकार ने सार्वजनिक घोषणाओं में हाशिए पर रहने वाले इन समूहों तक पहुँचने के महत्व को स्वीकार किया और कैसे सरकार इसके लिए उन्हीं गैर-सरकारी संगठनों की मदद लेती है, जिन्हें कानून लागू करने वालों द्वारा परेशान किया जाता रहा है [11]।

अपराधीकरण के विरुद्ध संघर्ष

1994 के दिल्ली जेल मामले के बाद ही धारा 377 के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में 1994 में एक याचिका दायर की गयी। दिल्ली की एक संस्था, एबीवीए ने धारा 377 को खारिज किए जाने का निवेदन करते हुए एक जनहित याचिका दायर की। उनका कहना था कि कानून की इस धारा से लोगों को संविधान द्वारा दिये गये, एकांत के अधिकार का हनन होता है। यह मामला ठंडा पड़ा रहा क्योंकि मामले की सुनवाई 2001 तक शुरू ही नहीं हुई। चूंकि एबीवीए स्वायत्त समूह था, स्वेच्छाकर्मियों द्वारा चलाया जाता था, इसलिए यह समूह मामले की देखरेख के लिए एक वकील नहीं कर पाया। जब मामला 2001 में अदालत के सामने सुनवाई के लिए आया, उस समय एवीबीए का कोई वकील पेश नहीं हुआ और उन्हें पता चले बिना ही याचिका खारिज कर दी गई।

धारा 377 को खारिज करवाने की दूसरी मुहीम 2001 में शुरु हुई। दिल्ली में काम कर रही संस्था, नाज़ फाउन्डेशन इंडिया ट्रस्ट ने, जिनके कार्यकर्ताओं को उपेक्षित समुदाय के

बीच एचआईवी शिक्षण कार्य करते हुए पुलिस की परेशानी झेलनी पड़ी थी, लॉयर्स कलेक्टिव, एचआईवी एड्स पीड़ित लोगों की कानूनी सहायता के लिए कार्यरत वकीलों के एक समूह के साथ गठबंधन किया। इन दोनों ने संयुक्त रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की। इनका कहना था कि धारा 377 को पूरी तरह हटाया न जाए बल्कि इसमें बदलाव किया जाए और निजी तौर पर वयस्कों के बीच किए जाने वाले सहमतिपूर्ण सैक्स को इसके प्रभाव से अलग कर दिया जाए। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह इस कानून को पूरी तरह हटाए जाने की खिलाफ थे क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले कुछ यौन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था।

इस याचिका में कहा गया कि धारा 377 भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए चार मौलिक अधिकारों का हनन करती है[12] : ये हैं, कानून के समक्ष समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) क्योंकि धारा 377 कुछ विशेष समूह के साथ भेदभाव करती है; यौन भेदभाव से मुक्त रह पाने का अधिकार (अनुच्छेद 15) क्योंकि इस कानून से मुख्य रूप से समलैंगिक सैक्स करने वालों को ही निशाना बनाया जाता है; मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19) और गोपनीयता का अधिकार (अनुच्छेद 21), क्योंकि धारा 377 के कारण एचआईवी रोकथाम गतिविधियां रुक जाने से जीवन को खतरा हो जाता है और यह कानून निजी तौर पर वयस्कों द्वारा आपसी सहमति के सैक्स किए जाने के अधिकार का भी हनन करता है।

इस याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि नाज़ फाउन्डेशन व्यक्तिगत रूप से धारा 377 से प्रभावित पक्ष नहीं था, इसलिए इस मामले में इसके शामिल होने का कोई औचित्य नहीं था। नाज़ फाउन्डेशन और लॉयर्स कलेक्टिव ने फिर उच्चतम न्यायालय के सामने इस याचिका को खारिज किए जाने पर पुन:विचार करने की याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिका खारिज किए जाने के पर्याप्त कारण नहीं थे और दिल्ली उच्च न्यायालय को इस मामले को सुनना ही होगा।

मामले को मज़बूत करने के लिए और धारा 377 से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुए लोगों की गवाही दिलाने के लिए मानवाधिकारों पर काम कर रहे बहुत से गैर-सरकारी संगठनों का एक गठबंधन भी याचिका में एक पक्ष बन गया। 2003 में बनाए गए इस गठबंधन में समलैंगिक पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों, बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यरत कई गैर-सरकारी संगठन और नारीवादी समूह एक साथ इकट्ठे हो गए। इन सब ने धारा 377 के खिलाफ आवाज उठाई[13]। यह गठबंधन ऐसे लोगों की कहानियाँ बताने में सफल रहा जिनका जीवन पुलिस या अन्य लोगों के ब्लैकमेल और अपराधीकरण के डर से प्रभावित हुआ था। लोगों के इन अनुभवों को अदालत के अंतिम निर्णय में भी शामिल किया गया है। इन अनुभवों से हाशिए पर रह रहे इन लोगों के जीवन का अंधकारमय पक्ष लोगों के सामने आया। इन सभी का अंतिम परिणाम 2009 के निर्णय के रूप में सामने आया,

कि इस कानून का प्रभाव कम किया जाए और इसमें से, वयस्कों के बीच निजी तौर पर होने वाले सहमतिपूर्ण सैक्स को अलग कर दिया जाए। न्यायाधीशों ने निर्णय में कहा कि जहाँ तक अकेले में वयस्कों के बीच आपसी सहमति से होने वाले सैक्स को अपराध मानने का प्रश्न है, यह कानून निश्चित तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। बच्चों के मामले में योनि के अलावा कहीं और शिश्न के प्रवेश पर, यह कानून लागू किया जाता रहेगा।

2001 में नाज़ फाउन्डेशन और लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा संयुक्त रूप से लोक हित याचिका दायर करने से लेकर फैसले की तारीख तक, इस पूरे मामले में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नाज़ फाउन्डेशन की पहली याचिका में धारा 377 से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था क्योंकि उस समय यह सोचा गया था कि यौनिक अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों पर मामला आधारित होने की वजह से अदालत इस पर गौर करने के बजाय कहीं इसके खिलाफ ही न हो जाए। लेकिन 2009 तक इतना राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आ चुका था कि मानवाधिकार अब इस मामले के अहम पहलू बन गए थे।

इस बदलाव को लाने में वॉयसेज़ अगेन्स्ट 377 गठबंधन का महत्वपूर्ण योगदान था। क्रिया, तारशी, निरंतर, निगाह मीडिया कलेक्टिव और प्रिज़्म* जैसे दिल्ली में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन, जो कई वर्षों से यौनिकता और मानवाधिकार विषयों पर काम कर रहे थे, इस गठबंधन को बनाने वाले अन्य सदस्य थे। मामले के आगे बढ़ने के साथ-साथ और संगठन भी इस गठबंधन में शामिल होते गए। एलजीबीटी और गैर-एलजीबीटी संगठनों को एक साथ एक मंच पर लाने वाला वॉयसेज़ अगेन्स्ट 377 लम्बे समय तक चलने वाला भारत का पहला (और दुनिया के कुछ पहले) गठबंधन था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि यौनिक अधिकार केवल एलजीबीटी संगठनों का ही कार्यक्षेत्र नहीं है। यह भारत सरकार के उस पहले विचार का भी विरोधी था कि भारतीय लोग समलैंगिकता के बारे में नहीं सोचते और न ही परवाह करते हैं और अगर सोचते भी हैं तो वह समलैंगिकता को स्वीकार नहीं करते।

धारा 377 के विरुद्ध दायर इस मामले से प्रेरित होकर अभी तक हाशिए पर रह रहे और खामोश बैठे समूह भी खुल कर सामने आने लगे और अपने अधिकारों की माँग करने लगे। वॉयसेज़ अगेन्स्ट 377 गठबंधन के सदस्य संगठनों ने इस विषय के बारे में बड़े पैमाने पर शिक्षा कार्यक्रम चलाया और इनके माध्यम से जनता, मीडिया, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों और विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाने की कोशिश की। इनके द्वारा की गई गतिविधियों में प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और 'मिलियन वॉयसेज़' अभियान शामिल था जिसके अंतर्गत धारा 377 के विरोध में हज़ारों लोगों के

* क्रिया, तारशी और प्रिज़्म संगठन एलजीबीटी, यौनकर्मियों और दलितों सहित अल्पसंख्यक समूहों के यौन अधिकारों के क्षेत्र में काम करते हैं। निरंतर शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का कार्य करते हैं। निगाह मीडिया कलेक्टिव मीडिया के माध्यम से जेंडर और यौनिकता के विज़य पर प्रगतिशील चर्चा करता है।

हस्ताक्षर लिए गए। इनमें उन लोगों के हस्ताक्षर भी शामिल थे, जो सीधे-सीधे धारा 377 से प्रभावित हुए थे। लॉयर्स कलेक्टिव ने बड़े शहरों में स्थानीय समूहों के साथ बैठकें की। मामले का निर्णय आने तक ऐसी लगभग 70 बैठकें हो चुकी थी[9]। वर्ष 2006 में वायसेज अगेन्स्ट 377 ने नाज़ फाउण्डेशन द्वारा दायर लोक हित याचिका के समर्थन में एक और याचिका दायर कर दी।

भारतीय लोग कभी एलजीबीटी लोगों से जुड़े विषयों पर शाँत नहीं रहे हैं। नाज़ मामले से पहले भी एलजीबीटी आंदोलन दस वर्ष से अधिक समय से चल रहा था (उदाहरण के लिए बॉम्बे दोस्त की स्थापना 1990 में हुई और इसके संस्थापक और प्रमुख कार्यकर्ता अशोक राव कवि ने खुल कर 1986 में ही प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने जीवन के बारे में लोगों को बता दिया था)। भारतीय मीडिया, प्रकाशन और टी.वी., दोनों ही पिछले दो दशकों से इस विषय पर बहुत मुखर रहे थे और कई भारतीयों ने इन विषयों पर काल्पनिक और वास्तविक साहित्य लिखा है। इस कारण यौनिकता को मौलिक मानवाधिकार समझने के महत्व को जानने के बारे में कई पुस्तकें और दूसरे प्रकाशन* लोगों के सामने आए। एलजीबीटी आंदोलन के अतिरिक्त भारत में यौनकर्मियों ने भी उल्लेखनीय संगठन क्षमता का परिचय दिया ताकि यौनिकता के बारे में दृष्टिकोण को बदला जा सके। दुरबार महिला समन्वय समिति (भारत में यौनकर्मियों की सबसे बड़ी यूनियन) के हर स्तर के सदस्यों में भी अपने बीच के अंतर को स्वीकार करने की बहुत अधिक क्षमता दिखाई दी। क्रिया और तारशी जैसे संगठन पिछले लगभग दस वर्षों से कार्यकर्ताओं को यौनिकता, जेंडर और अधिकार विषय पर प्रशिक्षण देते आ रहे हैं।

यौन अधिकारों के लिए पैरवी कार्यों के लम्बे इतिहास के कारण धारा 377 के मामले में सक्रियता बढ़ी और इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में एलजीबीटी समूहों की आवाज़ ज्यादा सुनाई देने लगी और यह अधिक मुखर होकर अपनी बात सामने रखने लगे। इस बढ़ी हुई सक्रियता में एचआईवी और एड्स के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य का भी सहयोग रहा जैसा कि कोले ने लिखा है[14], 1990 – 2004 के बीच एचआईवी की रोकथाम और उपचार के लिए विदेशों से मिलने वाली सहायता राशि 19 मिलयन अमरीकी डालर के बढ़ कर 608 मिलियन डॉलर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय धनदाताओं ने यौन अधिकारों और अब तक उपेक्षित रहे और हाशिए पर रहे समूहों तक पहुँच बढ़ाने को प्रोत्साहन दिया। अधिक धन की उपलब्धता के

* बाम्बे दोस्त (1990 से वर्तमान तक) मुंबई; एबीवीए (1991): *लेस दैन गे।* भारत में समलैंगिकता की स्थिति पर एक नागरिक की रिपोर्ट, नई दिल्ली; रूथ, वनिता ओर सलीम किदवई संपादित। (2000): *सेम सैक्स लव इन इंडिया।* सेंट मार्टिन्स प्रेस, गीतांजलि मिश्रा और राधिका चंदिरामणि (2005): सैक्सुआलिटी, जेंडर और अधिकार: दक्षिण पूर्व एशिया में सिद्धांतों और वास्तविकताओं को जानने की कोशिश। सेज प्रकाशन, नई दिल्ली; अरविंद नारायण तथा गौतम भान (संपादक) (2005) : *बीकाज आई हैव ए वायस।* योदा प्रेस, नई दिल्ली; रत्ना कपूर (2005): इरोटिक जस्टिस। ग्लास हाउस प्रेस, लंदन; बृंदा रोज (2006): *जेंडर एंड सेंशरशिप।* दिल्ली; वीमेन अनलिमिटेड, निवेदिता मेनन (2007): आउटिंग हेट्रोनार्मेलिटी; नेशन सिटिजन, फेमिनिस्ट डिसरप्शन्स शीर्षक से निवेदिता मेनन का लेख – सैक्सुआलिटीज। दिल्ली; वीमेन अनलिमिटेड, 3-51 (2007)।

कारण 1994 और 2004 के बीच बहुत से नये गैर-सरकारी संगठन बनाए गए। कोले लिखते हैं[14] कि, 'इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में गे पुरुषों, लेस्बियन महिलाओं और एड्स पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई।''

सक्रियता में हुई बढ़ोतरी के परिणाम आज भारत में साफ देखे जा रहें हैं। बॉलीवुड की प्रचलित हिन्दी फिल्मों में अब समलैंगिक लोगों की कथावस्तु को शामिल करना शुरू हो गया है। क्वीयर फिल्म फैस्टिवल बहुत प्रचलित हो रहे हैं। अब मीडिया भी एलजीबीटी विषयों पर समर्थनकारी तरीके से लिखने लगा है, जिसके कारण सार्वजनिक विचारविमर्श में बहुत वृद्धि हुई है। हर वर्ष भारत के दिल्ली और कोलकता जैसे शहरों में हज़ारों लोग गे परेड मार्च में भाग लेते हैं।

इन सभी प्रयासों से यह संभावनाएं बढ़ गई कि अगर धारा 377 के खिलाफ एक ऐसी रणनीति तैयार हो जिसमें एलजीबीटी समूहों को शामिल किया जाए और उनके साथ किए जा रहे भेदभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए, तो यह शायद अधिक सफल हो सकेगी। चूंकि नाज़ फाउन्डेशन और वॉयसेज़ अगेन्स्ट 377 द्वारा दायर मामले में वयस्कों के बीच आपसी सहमती के कानूनी पहलू और स्वास्थ्य के प्रति चिंताओं पर अधिक ध्यान दिया गया था, इसलिए वह इस मामले में दूसरे आंदोलनों को भी शामिल करने में सफल रहे जो केवल एलजीबीटी लोगों के अधिकारों से ही नहीं जुड़े थे। इसके परिणामस्वरूप कई उपेक्षित समूह इस भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई में, बच्चों जैसे समूह को असुरक्षित छोड़े बिना, एकजुट हो गए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस याचिका में नैतिकता पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया ओर न ही यह बात उठाई गई कि 'प्राकृतिक सैक्स' क्या होता है - इसके बजाय आपसी सहमति को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताकर याचिका दायर करने वालों ने धारा 377 के कारण संविधान द्वारा गोपनीयता, स्वतंत्रता और भेदभाव से मुक्ति की प्रतिबद्धता पर पड़ने वाले असर की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की। उच्च न्यायालय के निर्णय में मामले के इस पक्ष को स्वीकार किया गया और न्यायालय ने घोषणा कर दी की, ''भारत में सबको साथ लेकर चलने का विचार पारंपरिक रूप से भी हमारे जीवन के हर पहलू में प्रदर्शित होता रहा है। हमारे समाज में हर व्यक्ति का महत्व है और उसकी कुछ न कुछ भूमिका ज़रूर है। जिन लोगों को समाज का बड़ा भाग 'अपने से अलग या गलत व्यवहार करने वाले' समझता है, उन्हें केवल इसी कारण से समाज से अलग कर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए[1]।''

फैसले की घड़ी

''मैंने कभी नहीं सोचा था जो शब्द मेरे कानों में पड़े, मैं कभी भी ये शब्द सुनूंगी। यह एक ऐतिहासिक क्षण है और उस सुबह को मैं जब भी याद करती हूँ, मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। अपने प्रसन्न मित्रों से कई टेलीफोन कॉल आए, जिन्होंने निर्णय आने के बाद अपने जीवन की सच्चाई अपने परिवार को बताई और जिन्हें अचानक अपने परिवार वालों का समर्थन

भी मिला। यह लड़ाई पूरी तरह सार्थक साबित हुई[15]।''

''नाज़ फाउन्डेशन के निर्णय से अपने संविधान के प्रति हमारा प्रेम और भी बढ़ गया है। अभी यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि समय की कसौटी पर नाज़ के साथ हमारा प्यार कितना खरा उतरता है। सभी रिश्तों की तरह इन रिश्तों में भी तनाव होंगे, कोई नाराज़ भी होगा और फिर संभवतः इसकी आलोचना भी होने लगे, पर इस समय तो हमें इस मदहोश कर देने वाली खुशी का मज़ा लेना चाहिए जो केवल एक नये प्रेम संबंध से ही मिलती है। हम सभी इस, देर से ही सही, लेकिन स्वागत योग्य आए फैसले पर खुश हैं जो भारत में रो बनाम वेड मामले की तरह ही माना जा रहा है[16]।''

धारा 377 के प्रभाव को कम किए जाने को भारत में यौन अधिकारों के क्षेत्र में एक लम्बी छलांग माना जा रहा है। नाज़ फाउन्डेशन की कार्यकारी निर्देशक अंजली गोपालन ने कहा, ''अब हम सही मायने में इक्कसवीं शताब्दी में प्रवेश कर गए हैं। भारत में एलजीबीटी लोगों के अधिकारों को स्वीकार करने की दिशा में वयस्कों के बीच आपसी सहमति से किए जाने वाले सैक्स को अपराध मुक्त करने का यह फैसला एक सकारात्मक कदम है[17]।'' यूएनएड्स ने इसे देश में एचआईवी की रोकथाम के लिए एक ज़रूरी कदम बताया है। इस संगठन के कार्यकारी निर्देशक माइकल सिडबी ने कहा कि, ''दिल्ली के उच्च न्यायालय ने लाखों ट्रांसजेंडर और पुरुषों के साथ सैक्स करने वाले पुरुषों की इज़्ज़त उन्हें वापस दिला दी है[18]।'' कानूनी रूप से अब समलैंगिक संबंध रखने वालों पर मुकदमा चलाना मुश्किल होगा और एलजीबीटी के साथ यौन अधिकारों पर काम करने वाले संगठनों को पुलिस अत्याचार के डर के बिना खुल कर अपना काम करने में मदद मिलेगी। लेकिन यह निर्णय एलजीबीटी लोगों को स्वीकार किए जाने और पूरी स्वतंत्रता दिए जाने की दिशा में अभी पहला कदम मात्र ही है। अभी कई और सामाजिक और कानूनी बदलावों की ज़रूरत होगी।

धारा 377 के प्रभाव को कम करने के इस निर्णय से कई कानूनी सवाल अभी हल किए जाने बाकी हैं। जैसा कि हंटर ने चेतावनी दी है, केवल अपराध मुक्त कर देना ही पूरे नियंत्रण हटा लिए जाने के बराबर नहीं होगा। परिवार और नौकरी के कानूनों में अभी भी लोगों के यौन व्यवहार के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। क्या समलैंगिक भारतीय जोड़े शादी कर पाएंगे या बच्चे गोद ले पाएंगे? समलैंगिक जोड़ों पर उत्तराधिकार और टैक्स कानून किस तरह लागू होंगे? क्या कार्यालय में भेदभाव करने को गैर-कानूनी बना दिया जाएगा और क्या इसके लिए बनाए कानून सख्ती से लागू किए जाएंगे? सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या सेंसर बोर्ड समलैंगिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों के प्रति भी समान दृष्टिकोण रखेगा या फिर फायर जैसी फिल्में लोगों की तीखी आलोचना का सामना करती रहेंगी? और वास्तविक रूप से समाज में यह महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव अपने लिए कितनी जगह बना पाएगा? भारत में बहुत से लोग इस तरह के कानून के प्रति जागरुक नहीं होते। जहाँ लोगों को इसकी जानकारी हो, वहाँ भी क्या

उन्हें अपने अधिकार मिल पाएंगे? धारा 377 में किए गए इस बदलाव के व्यापक प्रभाव के लिए ज़रूरी होगा कि स्थानीय स्तर पर और हाशिए पर खड़े समूहों के बीच इसे लागू करने के लिए प्रयास जारी रखे जाएं।

एचआईवी का विषय इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर देता है। जैसा कि हमने चर्चा की, समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने से समलैंगिक संबंध छुप कर बनाए जाते हैं और इसे जोखिम का सामना कर रहे लोगों तक एचआईवी सेवाएँ पहुँचाने में मुश्किल आ सकती है। संभव है कि धारा 377 का प्रभाव कम करने से यह समस्या कुछ हद तक सुलझ जाए लेकिन यह सवाल अब भी खड़ा है कि क्या एचआईवी बाधित लोगों पर जानबूझकर या अनजाने ही संक्रमण को दूसरे लोगों में फैलाने के लिए या अपने यौन साथी को अपने एचआईवी बाधित होने की जानकारी न देने पर मुकदमा चलाया जा सकेगा या नहीं? इस समय एचआईवी के बारे में एक नए कानून और एचआईवी बाधित लोगों के कानूनी अधिकारों और उन्हें दिए जाने वाले अधिकारों और सेवाओं पर चर्चा चल रही है। जब यह लेख लिखा जा रहा था, तब तक इसमें जानबूझकर एचआईवी संक्रमण फैलाने के अपराधीकरण का कोई प्रावधन नहीं है[19]।

हालाँकि धारा 377 में किया गया सुधार एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन फिर भी कानूनी सुधार यौनिक अल्पसंख्यकों की समानता के आंदोलन को कुछ ही आगे ले जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सामाजिक बदलाव भी हों। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 का निर्णय आने के बाद इसका विरोध पहले ही शुरू हो चुका है। समाज के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने कहा है कि समलैंगिकता का गैर-अपराधीकरण करने से नैतिक पतन की स्थिति आ सकती है, इससे समलैंगिकता को बढ़ावा मिलेगा और पारंपरिक पारिवारिक मूल्य टूटेगें तथा एचआईवी के मामलों की बाढ़ आ जाएगी। हिन्दू समाचार पत्र[20] में एम.ए. शेख अब्दुला ने कहा कि ''समलैंगिता को कानूनी जाम पहनाने का यह लुका-छिपा प्रयास स्वीकृत नहीं होगा'' और उन्होंने 'भारतीय सामाजिक ढाँचे' पर इसके बुरे प्रभावों पर भी चिंता व्यक्त की। देश की सबसे बड़ी मस्जिद के मुखिया ने कहा कि ''यह फैसला बिल्कुल गलत है, हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानेंगे[21]।'' हिन्दू कट्टरवादी विश्व हिन्दू परिषद ने शिकायत की है कि ''यह भारत की संस्कृति और परिवार प्रथा के खिलाफ है। इसके कारण कई तरह की बीमारियाँ फैलेंगी[23]।''

बदलाव की पैरवी करने वालों को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अभी लंबा संघर्ष करना होगा। धार्मिक प्रमुखों का अपने समाज पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है और उनकी इन प्रतिक्रियाओं पर उत्तर देने के लिए कार्यकर्ताओं तथा राज्य एवं राष्ट्रीय सरकारों को बड़ी मेहनत करनी होगी। दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए जानकारी, शिक्षा और विद्यमान संस्कृति को बदलने की इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। विविधता को स्वीकार करना स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए और बच्चों को मानवाधिकारों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। मीडिया की भी इसमें बड़ी ज़िम्मेदारी है। उन्हें चाहिए की वह एलजीबीटी विषयों पर

कुछ कहते या लिखते समय ज़िम्मेदारी बरतें और अल्पसंख्यकों के प्रति सहनशीलता और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा दें।

धारा 377 के विरुद्ध इस फैसले से हो सकता है कि भारत में यौनिकता के विषय पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा मिले। इन्हें स्वतंत्र रूप से खुल कर अपना काम कर पाने की छूट मिलनी चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि इन संगठनों के कार्यकर्ता पुलिस के डर के बिना अपना काम कर सकें और दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की तरह इन्हें भी बराबर संसाधन उपलब्ध हों। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में समलैंगिकता के प्रति विरोध लोगों के मन में अधिक गहरे बैठा हुआ है। इसी तरह उन संगठनों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों, कैदियों या छोटी उम्र के बच्चों जैसे, मुश्किल से पहुँचे जा सकने वाले समूह के साथ काम करते हों।

इसी तरह यौनिकता के विषय पर काम कर रहे संगठनों, बहुमत से अलग यौन इच्छा रखने वाले लोगों को भी सहारे की ज़रूरत होगी। संभव है कि धारा 377 के इस निर्णय के इस विरोध की आंच एलजीबीटी लोगों तक भी पहुँचे, जिन पर आने वाले महीनों में शारीरिक और मौखिक रूप से अधिक हमले होने का खतरा है। इस तरह के हमलों का सामना कर रहे लोगों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराए जाने और साथ ही उन्हें सलाह और स्वास्थ्य सेवाएँ भी मुहैया करवाई जाएं।

इसके अलावा, धारा 377 में हुए इस सुधार के परिणाम बहुत सीमित ही रह जाएंगे अगर एलजीबीटी लोगों के साथ सरकारी अधिकारियों ने उत्पीड़न करना जारी रखा और अगर इन एलजीबीटी लोगों को सरकारी नौकरियों से दूर रखा जाता रहा। ऊपर जिस तरह के शोषण की बात कही गई है, वैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए, अपराधी को कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए और सरकारी कार्यकर्ताओं को कानून में हुए बदलाव और सभी लोगों से एक समान और उचित व्यवहार के बारे में सिखाया जाना चाहिए। इस तरह के प्रयास पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारियों, यौन स्वास्थ्य सुविधाओं, वकीलों और अदालतों में भी करने होंगे।

सेवाओं की उपलब्धता भी बढ़ाई जानी चाहिए। इस समय बहुत से एलजीबीटी लोगों की यौन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं है और बहुत से लोग भेदभाव के डर से सामान्य स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं जाना चाहते। कानूनी सेवाओं में भी ऐसा ही होता है। धारा 377 में सुधार हो जाने के बाद, अब भेदभाव कर पाना कठिन होगा लेकिन लोगों में पूरी समानता तभी आ पाएगी जब सरकार सक्रिय रूप से एलजीबीटी लोगों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम बना कर लागू करे, उनके लिए एचआईवी और दूसरे संक्रमण रोगों की रोकथाम के प्रयास करे और उन्हें परामर्श और कानूनी सेवाएँ उपलब्ध करवाए।

निष्कर्ष

धारा 377 के कानून में हुआ सुधार यौन अधिकारों के लिए एक बड़ी छलांग है। यौनिकता और एलजीबीटी विषयों पर कार्यरत संगठनों द्वारा

याचिका दायर होने से पहले कई वर्षों तक किए गए पैरवी कार्यों, मीडिया द्वारा इस मामले पर लगातार ध्यान दिये जाने, गे परेड मार्च तथा हाल के वर्षों में आयोजित दूसरे कार्यक्रमों के कारण ही लोग अब खुल कर यौनिक अधिकारों पर बात करने लगे हैं। विचार-विमर्श होने पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने और संभवत: सार्वजनिक दृष्टिकोण बदलने का अवसर मिलता है।

377 निर्णय पर हाल ही में एक सार्वजनिक गोष्ठी आयोजित की गयी। इसका संचालन भारत के भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने किया। गोष्ठी में प्रोफैसर शोहिनी घोष[23] ने बताया कि किस तरह इस फैसले ने इस विषय पर बहस का संदर्भ ही बदल दिया है। इस निर्णय के कारण एक तो यौनिकता पर होने वाली चर्चा में इसे लोगों की नैतिकता की बजाय संवैधानिक नैतिकता का विषय समझा जाने लगा है। दूसरे अब 'नुकसान' या दुष्परिणामों की परिभाषा भी लगता है बदल गयी है। अब प्रश्न यह नहीं रह गया है कि समलैंगिकता से पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक ताने-बाने को तथाकथित रूप से 'नुकसान' पहुँचता है या नहीं, बल्कि अब यह चर्चा हो रही है कि किस तरह धारा 377 के कारण एलजीबीटी लोग प्रभावित हुए थे, क्यों इस कानून के कारण वे हाशिए पर पहुँच गए थे, क्यों उनका दमन और शोषण होता रहा था। प्रोफैसर घोष ने कहा कि अब इस निर्णय के आने के बाद यह विषय केवल एलजीबीटी लोगों से जुड़ा विषय नहीं रह गया है बल्कि इसमें हर प्रकार के अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा का भाव जुड़ गया है। इस निर्णय के कारण दक्षिण एशिया में पहली बार यौनिक नागरिकता का विचार भी जन्म लेने लगा है।

अभिस्वीकृति

लैला हिगिन्स और मार्क वेस्टन का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की और इस लेख के आरंभिक मसौदों को पढ़ा और सम्पादित किया।

पत्र व्यवहार के लिए पता

*कार्यकारी निर्देशक, क्रिया, नई दिल्ली, भारत, ई-मेल gmisra@creaworld.org

संदर्भ

1. Shah GK, Muralidhar S. Delhi High Court Judgement. Naz Foundation v. Government of National Capital Territory of Delhi. 2 July 2009.
2. Indian Penal Code. Section 377. Unnatural Offences. 1860. At: <www.vakilno1.com/bareacts/indianpenalcode/S377.htm>. Accessed 2 July 2009.
3. Gupta A. Section 377 and the dignity of Indian homosexuals. Economic and Political Weekly. 18 November 2006.
4. Bhardwaj K. Reforming Macaulay. The Asian Age. 5 July 2009. At: <www.asianage.com/archive/htmlfiles//OP-ED/Reforming%20Macaulay.html>. Accessed 6 July 2009.
5. Miller A. Sexuality and human rights: discussion paper. Geneva: International Council on Human Rights Policy; 2009.

6. Khanna S. Gay rights. In: Humjinsi: A Resource Book on Lesbian, Gay and Bisexual Rights in India. Fernandez B, editor. Mumbai: Indian Centre for Human Rights and Law; 2002. p.55–65.
7. Bhaskaran S. Queering India. Delhi: Routledge; 2002.
8. Kapur R. Erotic Justice. New Delhi: Permanent Black; 2005.
9. Ramasubban R. Political intersections between HIV/AIDS, sexuality and human rights: a history of resistance to the anti-sodomy law in India. Global Public Health 2008;3(2): 22–38.
10. Agoramoorthy G, Hsu M. India's homosexual discrimination and health consequences. Revista de Salude Publica 2007;41(4): 657–60.
11. Chatterjee P. AIDS in India: police powers and public health. Lancet 2006;367.
12. Puri J. Sexualizing the state: sodomy, civil liberties and the Indian Penal Code. In: Contesting Nation: Gendered Violence in South Asia: Notes on the Postcolonial Present. Chatterji AP, Nazir Chaudhry L, editors. New Delhi: Zubaan Books/Kali for Women; 2009. (Forthcoming)
13. Voices Against 377. 2008. At: <www.voicesagainst377.org>. Accessed 15 August 2009.
14. Kole SK. Globalizing queer? AIDS, homophobia and the politics of sexual identity in India. Globalization and Health 2007;3(8).
15. Menon P. Voices Against 377. E-mail to Voices Against 377 e-mailgroup[Voicesagainst377@googlegroups.com] 2 July 2009.
16. Liang L. Is the Naz Foundation decision the Roe v. Wade of India? 6 July 2009. At: <http://kafila.org/2009/07/06/is-thenaz-foundation-decision-the-roe-v-wade-of-india/>. Accessed15 August 2009.
17. Page J. Campaigners delighted as Indian court decriminalizes gay sex. The Times (London). 3 July 2009.
18. Judgement on Section 377 welcomed. The Hindu. 3 July 2009.
19. Hunter N. Sexual orientation and the paradox of heightened scrutiny. Michigan Law Review 2004;102.
20. Section 377: Supreme Court declines to stay high court judgment. The Hindu. 21 July 2009.
21. BBC News. Gay sex decriminalised in India. 2 July 2009. At: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8129836.stm>. Accessed 2 July 2009.
22. Religious leaders oppose repeal of Section 377. Indian Express. 28 June 2009.
23. Ghosh S. Panel discussion on Section 377 High Court Ruling. Indian International Center, New Delhi, 23 July 2009.

© 2009 Reproductive Health Matters.
All rights reserved.
Reproductive Health Matters 2009;17(34) : 108-118
0968-8080/09 $ - see front matter
PII: S096 8 - 8 08 0 (09) 34 4 6 9 - 9

यौन एवं यौनिकता का सरकारी नियंत्रण – उनके अपने शब्दों में

सोफिया ग्रुस्किन,[क] लौरा फरग्यूसन [ख]

सारांश :

अपराधीकरण एक ऐसा यंत्र है जिसे अक्सर सरकारें यौन एवं यौनिकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करती हैं। अन्य प्रकार के नियमों का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है, इसलिए उनको समझना भी ज़रूरी है। जहाँ यौनिकता के नियंत्रण से संबंधित कानूनों का आधार एक ओर नैतिक मूल्यों से जुड़ा होता है, वहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार मानकों के आधार पर, एक सहायक कानूनी एवं नीतिगत परिवेश बनाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी वचनबद्धताएं उन राष्ट्रीय कानूनों एवं नीतियों के संशोधनों में मदद कर सकती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुरूप नहीं हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग प्रणालियाँ, जो एचआईवी संक्रमित लोगों के मुद्दों पर ज़ोर देती हैं, के कारण ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे सरकारों को, यौनिकता को नियंत्रित करने वाली अपनी नीतियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणामों को देखने का मौका मिला है। एचआईवी/एड्स के प्रति वचनबद्धता की अधिघोषणा के अंतर्गत, वर्ष 2008 में 133 देशों की सरकारों द्वारा स्वतः दी गई कानूनी एवं नीतिगत जानकारियों की रिपोर्ट के पुनर्वालोकन से कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं। यौनिकता संबंधी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं नीति परिवेश में बदलाव आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं राष्ट्रीय कानूनों तथा नीतियों के बीच अंतर की पहचान करने से संभव है कि सरकारें अपनी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, अपने देशों में यौनिकता की अभिव्यक्ति के लिए उचित, उन्मुक्त तथा सुरक्षित परिवेश बनाने की ओर ध्यान दें। © 2009 रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स, सर्वाधिकार सुरक्षित।

मुख्य शब्द : एचआईवी/ऐड्स, मानव अधिकार, पुरुषों के साथ सैक्स करने वाले पुरुष, यौनकर्मी, यौनिकता, कानून एवं नीति, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम

ऐसे व्यवहार जिन्हें सरकारें यौन एवं यौनिकता के नाम पर नियंत्रित करती हैं, काफी व्यापक हैं और इससे कई स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार मुद्दे भी जुड़े हैं[1,2,3]। एचआईवी संक्रमण, जिसके फैलने का एक मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध है, के कारण हमारा ध्यान विभिन्न देशों में यौन एवं यौनिकता के नियंत्रण के तरीकों की ओर आकर्षित होता है। कानून एवं नीतियों के स्वरूप के कारण एचआईवी संक्रमण को रोकने या न रोक पाने के प्रयासों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी तथा उन तक पहुँच निर्धारित की जाती है, जिसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य स्तर पर पड़ता है। जहाँ राष्ट्रीय ढाँचे कुछ प्रकार की यौन अभिव्यक्ति को आपराधिक घोषित कर देते हैं, एचआईवी के कारण ऐसे ढाँचों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को देखने का मौका मिला है।

अपराधीकरण कई नियंत्रक तरीकों में से एक है, जिसके माध्यम से सरकारें यौन एवं यौनिकता को नियंत्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, ऐसी राष्ट्रीय या स्थानीय नीतियाँ जिनके अंतर्गत अविवाहित लोगों को गर्भनिरोधक तथा कंडोम नहीं बेचे जा सकते – इसके कारण अविवाहित लोगों, या समलैंगिक पुरुषों में एचआईवी संक्रमण रोकने के प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अनिवार्य एचआईवी परीक्षण के कारण संभव है कि यौनकर्मी सामने न आएं क्योंकि फिर उन्हें अपना व्यवसाय छोड़ने के लिए विवश कर दिया जाएगा। अतः नियंत्रण के व्यापक स्वरूप को समझते हुए ही हम यौन एवं यौनिकता के सरकारी नियंत्रण को भली भांति समझ सकेंगे।

विभिन्न देशों की यौन एवं यौनिकता नियंत्रण नीतियों की समीक्षा करने में एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार यह मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तथा नीतिगत ढाँचों में शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर साधारणतः यौन अभिव्यक्ति संबंधित व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं नीतियों के स्तर पर व्यवहार पर ध्यान ना देते हुए ''संवदेनशील जनसमुदायों'' पर ज़ोर दिया जाता है, जैसे कि समलैंगिक पुरुष तथा यौनकर्मी।

यह लेख समलैंगिक पुरुषों तथा यौनकर्मियों से संबंधित यौन नियंत्रण नीतियों पर केन्द्रित है क्योंकि उनसे वर्तमान चर्चाओं तथा नियंत्रण के उभरते स्वरूपों की समझ बनाने में मदद मिलती है। साथ ही, इससे संबंधित सरकारों द्वारा स्वयं रिपोर्ट किए गए वर्ष 2008 के आंकड़े एवं जानकारियाँ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। पहले हम संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों पर दृष्टि डालेंगे, फिर एचआईवी संबंधित कानूनों एवं नीतियों के इन मुद्दों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करेंगे, जिसमें उनके दस्तावेज़ीकरण पर किए गए काम पर भी एक नज़र डालेंगे। इसके बाद हम 133 सरकारों द्वारा स्वतः रिपोर्ट किए गए आंकड़ों का आंकलन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें समलैंगिक पुरुषों, यौनकर्मियों के एचआईवी संबंधित आंकड़े शामिल हैं और इससे प्राप्त जानकारियों की चर्चा करेंगे।

यौन एवं यौनिकता के सरकारी नियंत्रण की समीक्षा का कानूनी आधार

जिस प्रकार समय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों के अंतर्गत समलैंगिक

पुरुषों एवं यौनकर्मियों से संबंधित कानूनों में बदलाव आए हैं, उसके अध्ययन से पता चलता है कि इन मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति कैसे विकसित हुई होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों का विकास विभिन्न तरीकों से होता है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र संधियों पर नज़र रखने वाली संस्थाएँ (यूएन ट्रीटी मॉनीटरिंग बॉडीज़)[4], जिनमें से प्रत्येक संस्था में राष्ट्रीय सरकारों तथा विशेषज्ञ संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, अध्ययन शास्त्रियों तथा अन्य मानव अधिकार विशेषज्ञों की सलाह से स्वतंत्र विशेषज्ञ नामित किए जाते हैं।

हालाँकि यह स्वतंत्र विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर अलग अलग राजनैतिक एवं कानूनी दृष्टिकोण रखते हैं, इनके बीच आपस में एक सहमति बनाना, विभिन्न देशों के बीच सहमति बनाने से कहीं ज़्यादा आसान है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी संशोधन की प्रक्रियाएँ अत्यंत जटिल हैं, लेकिन कुछ राष्ट्र सरकारें, जिसमें वे सरकारें भी शामिल हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, ऐसे संशोधन करने में रुचि नहीं रखतीं जो उनकी अपनी राजनैतिक विचारधाराओं के विरुद्ध हैं।

लेकिन इन बाधाओं के रहते हुए भी, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि वैश्विक स्तर पर यौन एवं यौनिकता नियंत्रण की ज़िम्मेदारी की क्या समझ है, और एक ऐसा ढाँचा मिलता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानून एवं नीतियों को स्थित होना चाहिए। अत: वह एक ऐसे ढाँचे की भूमिका निभा सकता है जो उन राष्ट्रीय कानूनों के प्रति चौकन्ना रहे जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुरूप नहीं हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून भेदभाव विरोधी एवं सभी मनुष्यों की बराबरी पर ज़ोर देते हुए सभी व्यक्तियों एवं जनसमूहों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, जिसके अंतर्गत *''किसी भी प्रकार के भेदभाव, जैसे वर्ण, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचारधाराओं, राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म या अन्य स्तरों के आधार पर भेदभाव न किया जाए''।*

यहां ''अन्य स्तर'' शब्दों का प्रयोग किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक लचीला शब्द है और इसके अभिप्राय का समय के साथ विकास हुआ है, जिसमें अब उदाहरणत: एचआईवी स्तर तथा विकलांगता को भी शामिल कर दिया गया है। वर्ष 1994 से पहले यौन रुझान को किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं थी और न ही इसे मानव अधिकार कानूनों में ''अन्य स्तरों'' के अंतर्गत सुरक्षित माना जाता था। लेकिन एड्स संक्रमण की शुरुआत के बाद से, मानव अधिकार समिति (विशेषज्ञों का वह समूह जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के लागू किए जाने पर नज़र रखता है) ने स्पष्ट रूप से दो वयस्क सहमत पुरुषों के बीच यौन संबंध बनाए जाने को आपराधिक कृत्य मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने टूनैन मामले में स्पष्ट कहा कि *''...समलैंगिकता के अपराधीकरण को एड्स रोकने के उद्देश्य का उपयुक्त तरीका नहीं माना जा सकता[6]।''*

अंतर्राष्ट्रीय मानकों में व्यक्ति के व्यवहार

पर ज़ोर न देते हुए व्यक्ति पर ध्यान दिए जाने के कारण समलैंगिक पुरुषों के लिए कई प्रकार की सुरक्षाएँ उपलब्ध हो गई हैं। वर्ष 2000 में, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति ने माना कि यौनिक रुझान के आधार पर भेदभाव करना मान्य नहीं है, विशेषकर जहाँ स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का प्रश्न है।[7] हाल ही में यौन रुझान के आधार पर भेदभाव न किए जाने के मानकों में जेंडर पहचान को भी शामिल कर दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों और सेवाओं के संदर्भ में भेदभाव किए जाने पर भी कड़ी रोक लगाई गई है[8]।

हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणाएं राष्ट्रीय वास्तविकताओं से बहुत दूर नज़र आती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टूनैन मामले[5] के बाद और हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले (जिसमें उसने माना कि सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए यौन संबंधों का अपराधीकरण उचित नहीं है – क्योंकि भिन्नता के आधार पर भेदभाव करना गलत है, तथा इसके कारण लोगों को छिप कर रहना पड़ता है, जिससे एचआईवी रोकथाम, उपचार तथा सेवाओं के लिए उन तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है[9]) के बाद दोनों देशों में आए सकारात्मक बदलावों को देखना भी आवश्यक है।

यौनिकता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में यह दोनों कानून महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन यही तर्क यौनकर्म के संदर्भ में नहीं दिया जा सकता। कई संधियों में, जिन अधिकारों की परिभाषा दी गई हैं वे यौनकर्मियों पर भी लागू होते हैं परंतु अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों में ''अन्य स्तरों'' के अंतर्गत यौनकर्म को बहुत जल्द मान्यता मिलने की आशा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी चर्चाओं में मुख्य मुद्दा यही है कि लोगों को यौनकर्म से बाहर रखा जाए, एक बार वे इस काम में लग जाएँ तो उनके अधिकारों के विषय पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है[11,12,13]। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समुदाय ने यौनकर्म के संबंध में अधिकतर महिलाओं पर ही ध्यान दिया है, जहाँ पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, जो यौनकर्म में कार्यरत हैं, पर कम ध्यान दिया जाता है।[14] संभवत: सबसे हानिकारक यही रहा है कि यौनकर्म और यौनकर्म के लिए देह व्यापार के बीच के अंतर को पहचान नहीं दी गई है। वर्ष 1949 की देह व्यापार पर रोक एवं अन्य लोगों द्वारा यौनकर्मियों के शोषण की संगोष्ठी (कन्वेनशन फॉर दि सप्रैशन ऑफ दि ट्रैफिक इन पर्सन्स एंड ऑफ दि ऐक्सप्लॉइटेशन ऑफ दि प्रॉस्टीटीयूशन ऑफ अदर्स) अभी भी लागू है। इस संगोष्ठी के मूल आधार यौनकर्म में पहले से कार्यरत लोगों के अधिकारों एवं स्वास्थ्य के विरुद्ध काम करते हैं[15]।

यौनकर्मियों के साथ काम करने वाली संस्थाएँ उनके मानव अधिकारों की और अधिक सुरक्षा की माँग कर रही हैं, और यूएनएड्स तथा उसके सहयोगियों ने भी यौनकर्मियों के लिए सुरक्षा के अभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है[13,16]। फिर भी, कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्रत्यक्ष सहयोग लिया जा सकता है। अत: जहाँ मानव अधिकार कानून, यौनिकता के संदर्भ में अब काफी दिशानिर्देश दे रहे हैं, अभी यौनकर्म के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ है।

प्रभाव तथा दस्तावेज़ीकरण प्रयास

विभिन्न संस्थाएँ, विशेषकर सरकारी संस्थाएँ, पुरुषों के बीच यौन संबंधों एवं यौनकर्म से संबंधित सरकारी नियंत्रण के दस्तावेज़ीकरण पर काम कर रही हैं, जिसमें उन्होंने इसके नकारात्मक प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया है। इन कानूनों एवं नीतियों के अध्ययन में अधिक ज़ोर उनकी मौजूदगी पर ही दिया गया है। उनके प्रावधानों और परिपालन पर कम ध्यान दिया गया है। अन्य कानूनों के साथ प्रभावित जनसमूह के लिए कितने प्रभावकारी साबित हो रहे हैं इस पर तो और भी कम ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इन सभी प्रयासों में नियंत्रक दमन और उसके स्वास्थ्य व एचआईवी संबंधी नकारात्मक प्रभावों पर ही अधिक ज़ोर दिया गया है। सुरक्षात्मक नियंत्रक प्रयासों और उनके स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कम ज़ोर दिया गया है। इस लेख में नीचे हम समलैंगिक पुरुषों और यौनकर्म संबंधित कानूनों व नीतियों के प्रभावों के दस्तावेज़ीकरण प्रयासों का विस्तृत उल्लेख कर रहे हैं।

पुरुषों के बीच यौन संबंध

अब तक अध्ययनशास्त्रियों, आर्थिक सहयोग देने वाली सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उन राष्ट्रीय कानूनों के दस्तावेज़ीकरण के प्रयास किए गए हैं जो पुरुषों के बीच यौन संबंधों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, यूएनएड्स द्वारा अधिकृत एक अध्ययन में 153 लघु एवं मध्य आय स्तर के देशों की राष्ट्रीय कानून प्रणालियों को यौन विविधता के संदर्भ में श्रेणीबद्ध किया है – दमनकारी (80 देश), साधारण (46 देश) या सुरक्षात्मक (27 देश)[17]। एक अन्य प्रकाशन के अनुसार विश्व के 80 देशों में समलैंगिकता गैर कानूनी है, जिसके अंतर्गत अनिर्धारित दंडात्मक शुल्क से लेकर मृत्यु तक की सज़ा हो सकती है।[18] चूंकि यह सारा काम एचआईवी ढाँचे के अंतर्गत किया गया है, आंकड़ों में और उनके आधार पर होने वाली नीति चर्चाओं में भी समलैंगिक महिलाओं पर कम ध्यान दिया गया है।

यौनिकता के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा करने वाले कानूनों के कारण समलैंगिक पुरुषों को एचआईवी संबंधित जानकारियों तथा सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में मदद मिली है[16]।इसके विपरीत, ऐसे कानून, जो पुरुषों के बीच यौन संबंधों को आपराधिक मानते हैं और ऐसी नीतियाँ, चाहे वे अधिकृत हों या न हों, जिनके आधार पर पुलिस व अन्य अधिकारी बिना किसी डर के समलैंगिक पुरुषों को प्रताड़ित करते हैं – वे न केवल भेदभावपूर्ण हैं पर उनके कारण एचआईवी सुरक्षा एवं उपचार कार्यक्रमों में भी बाधा आती है[16,19]। समलैंगिक पुरुषों के यौन संबंधों के अपराधीकरण के कारण एचआईवी पर होने वाले प्रभावों में – जेल में कंडोम वितरण पर रोक लगाया जाना, एचआईवी जानकारियों का अभाव, और एचआईवी परीक्षण एवं उपचार सेवाओं के उपयोग में सामाजिक व कानूनी डर के कारण कमी – शामिल है।

यौनकर्म

60 से अधिक देशों में यौन बेचना और कुछ देशों में यौन खरीदना भी आपराधिक कृत्य है[20]। इन आंकड़ों को क्रमबद्ध तरीके से वैश्विक स्तर पर एकत्रित करने की प्रणाली तैयार करना

अभी बाकी है। लेकिन फिर भी, यूएनएड्स के अनुसार, कुछ स्थानों पर यौनकर्म के नियंत्रण संबंधी नियमों में एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें हिंसा से सुरक्षा, कंडोम वितरण तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि शामिल है[13]।

इसके प्रमाण मिले हैं कि यदि यौनकर्मियों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा एचआईवी संबंधित सेवाएँ उपलब्ध करा भी दी जाएँ, तो उन जगहों पर जहाँ यौनकर्म कानूनन अपराध है, वहाँ उनका उपयोग इस डर से नहीं किया जाता कि उस व्यक्ति का नाम, एचआईवी परीक्षण की जानकारी तथा अन्य जानकारियाँ पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारियों को दे दी जाएंगी।[9] जहाँ यौनकर्म कानूनन अपराध है, वहाँ एचआईवी से सुरक्षा की जानकारी संभवत: यौनकर्मियों तक नहीं पहुँच पाती। उदाहरण के लिए, हाल ही में पाकिस्तान, जहाँ यौनकर्म गैर-कानूनी है, में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, दो-तिहाई यौनकर्मियों ने एचआईवी के विषय में सुना भी नहीं था[21]। विश्व भर में यौनकर्मियों को नियमित रूप से अपने ग्राहकों और पुलिस, दोनों की ओर से हिंसा का सामना करना पड़ता है, और वे मुश्किल से ही कानून व्यवस्था का अपने लाभ के लिए उपयोग कर पाते हैं। जैसा कि कीनिया में होता है, किसी देश में एचआईवी जानकारी व सेवाओं तक बराबर पहुँच सुनिश्चित होने की एचआईवी नीति के बाद भी किसी व्यक्ति के पास कंडोम पाया जाना यौनकर्म में शामिल होने का ''सबूत'' माना जा सकता है।

वर्ष 2008 में 133 देशों द्वारा स्वत: दिए गए आंकड़े

राष्ट्रीय कानूनी ढाँचों के कारण होने वाले दुष्परिणामों के विषय में अब काफी दस्तावेज़ बनाए जा रहे हैं, परंतु यदि सरकारें इस प्रक्रिया में शामिल न हों तो इन्हें क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करना मुश्किल है। अत: वैश्विक स्तर पर केवल छोटे छोटे टुकड़ों में ही जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सरकारें सीमित तौर पर ही ऐसे नियमों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की सराहना कर पाती हैं, हालाँकि गैर सरकारी संस्थाओं ने काफी दस्तावेज़ीकरण किया हुआ है।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों के आधार पर - कि सरकारें खुद अपने कानूनी ढाँचों के विषय में क्या सोचती हैं - उनकी कमियों व मज़बूतियों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे नागरिक संस्थाएँ भी कानूनी संशोधन के लिए जनवकालत हेतु उपयोग कर सकती हैं। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जो रिपोर्टें यूएनएड्स को दी गई है, उनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। वर्ष 2001 में, एचआईवी/एड्स के प्रति वचनबद्धताओं के अंतर्गत, जो वर्ष 2001 में आयोजित यूएन आम सभा के एड्स पर विशेष सत्र में सामने आई, इन रिपोर्टों में राष्ट्रीय कानूनों एवं नीतियों से संबंधित आंकड़ें एवं अन्य जानकारियाँ शामिल हैं[22,23]। वर्ष 2008 में 135 देशों ने ऐसी रिपोर्टें जमा की, जिनमें से दो ने अपने कानूनी एवं नीतिगत परिवेश के विषय में आंकड़े शामिल नहीं किए।

इन दस्तावेज़ों में कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जिनमें एचआईवी के प्रति अधिकार

आधारित प्रणाली के मुख्य सिद्धांत शामिल हैं। इनमें कानून एवं नीतिगत परिवेश पर ज़ोर देते हुए एचआईवी संबंधित सेवाओं और ''संवेदनशील जनसमूहों'', जिसके अंतर्गत समलैंगिक पुरुष भी आते हैं, से संबंधित राष्ट्रीय नियमों पर भी ज़ोर दिया गया है[22]। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देना है; कुछ में विस्तृत विवरण देने की भी जगह है। इन प्रश्नों के उत्तर विभिन्न साझेदारों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं, जिसमें गैर सरकारी संस्थाएँ, एचआईवी संक्रमित लोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यूएन संस्थाएँ तथा निजी कार्यक्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इन सभी कार्यक्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि एचआईवी के प्रति राष्ट्रीय रणनीतियां मिलजुल कर बनाई जाएँ तथा इस संक्रमण के विषय में राष्ट्रीय स्तर पर एक सांझी सोच विकसित हो, जिससे कि इस दिशा में किए जा रहे काम को और भी सुदृढ़ किया जा सके। हालाँकि इन रिपोर्टों में नागरिक संस्थाओं के योगदान हैं, सभी रिपोर्टें सरकार के पास जमा की जाती हैं और उन्हें सरकार की स्वीकृति प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया से कुछ ऐसे नए आंकड़े मिलते हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर तुलना की जा सकती है, हालाँकि यह आंकड़े केवल एचआईवी तक ही सीमित हैं।

इस प्रकार के खुद रिपोर्ट किए गए सभी आंकड़ों में ज़यादातर एक मनोनीत पक्षपात रहता है, अत: इनकी व्याख्या करते समय उचित सावधानी रखनी आवश्यक है। लेकिन फिर भी, चाहे आंकड़ों के बीच कुछ अंतर भी हो, तब भी यह आंकड़े उपयोगी हैं क्योंकि सरकारों ने इन्हें खुद रिपोर्ट किया है और इनका विभिन्न देशों, क्षेत्रों और अलग अलग समय के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है।

वर्ष 2008 में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि एचआईवी पर एक सहयोगी कानूनी एवं नीतिगत परिवेश सुनिश्चित किए जाने की वैश्विक माँग होने के बाद भी समलैंगिक पुरुषों तथा यौनकर्मियों से संबंधित कई ऐसे कानून एवं नीतियाँ हैं जो एचआईवी रोकथाम, उपचार, देखरेख एवं सहयोग की दिशा में बाधा डालते हैं। इसमें से प्रमुख है कि 63 प्रतिशत देशों ने कहा है कि उनके देश में ऐसे कानून, नीतियाँ एवं नियम हैं जिनके कारण ''संवेदनशील जनसमूहों'' के लिए प्रभावकारी एचआईवी रोकथाम, उपचार, देखरेख एवं सहयोग उपलब्ध कराने में बाधा आती है – कुछ प्रत्यक्ष रूप से बाधक हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से[24]।

नीचे हम प्रत्येक विषय से संबंधित सरकारी नियमों का वैश्विक विवरण दे रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय धाराओं का भी विवरण है और महत्वपूर्ण नियमों का विशेष उल्लेख भी है। यह अंश समलैंगिक पुरुषों तथा यौनकर्मियों के प्रति एचआईवी संबंधित सहयोगी कानूनों एवं नीतियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसके बाद हर क्षेत्र में आने वाली कानूनी एवं नीतिगत बाधाओं के विषय में लिखा गया है। उसके बाद हमने विभिन्न देशों के कानूनी ढाँचों के बीच अंतर की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें इन आंकड़ों के माध्यम से और अधिक प्रकाश पड़ता है कि किन मुद्दों पर और अधिक जानकारी एकत्रित

करनी होगी।

पुरुषों के बीच यौन संबंध

133 में से 33 देशों (25 प्रतिशत) ने कहा है कि वहाँ समलैंगिक पुरुषों की सुरक्षा के लिए उचित व गैर भेदभावकारी नियम कानून नहीं हैं (चित्र 1)। इनमें से, कुछ ही देश उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया या दक्षिणपूर्व एशिया के हैं[25]।

जिन देशों ने कहा है कि वहाँ सुरक्षात्मक नियम कानून हैं, उन देशों के कानूनों की विषयवस्तु का

चित्र 1 : पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों को प्रभावित करने वाले सरकारी नियम, क्षेत्र अनुरूप,[क] 2008[28]

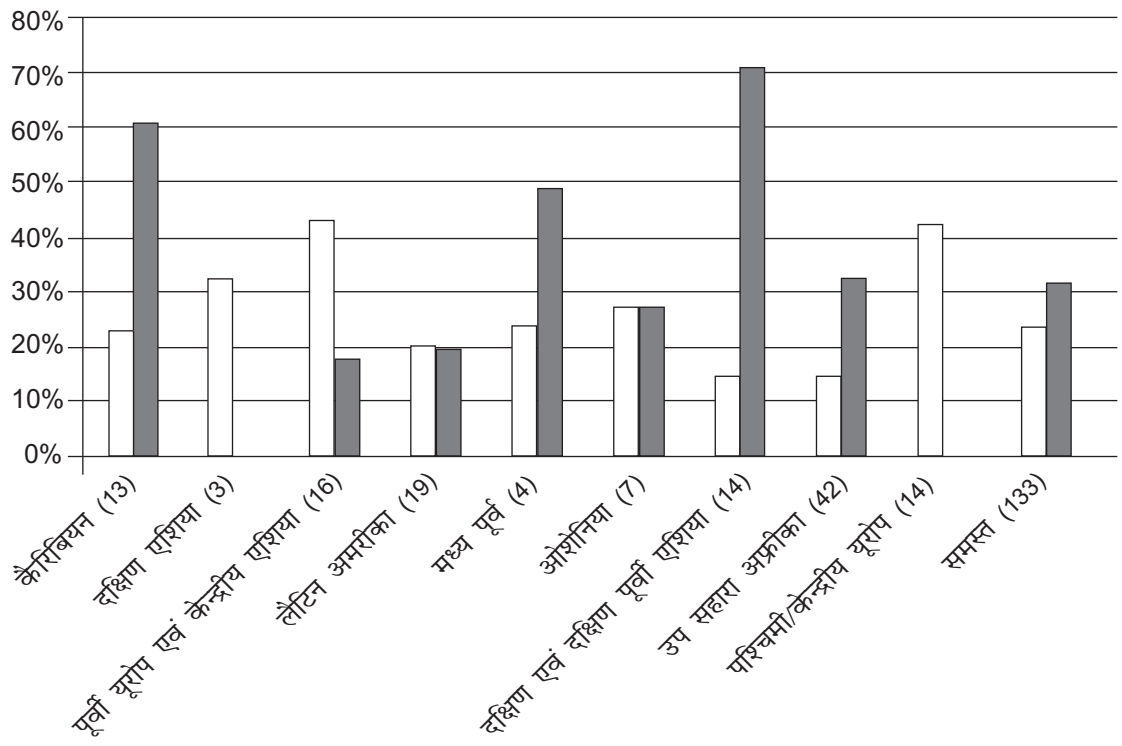

☐ उन देशों की प्रतिशत संख्या जिन्होंने गैर भेदभावकारी कानून एवं नीतियों की मौजूदगी रिपोर्ट की है, जिसके अंतर्गत समलैंगिक पुरुषों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान हैं

■ उन देशों की प्रतिशत संख्या जिन्होंने ऐसे कानूनों की मौजूदगी रिपोर्ट की है जिनके कारण वे समलैंगिक पुरुषों के लिए प्रभावकारी बचाव, उपचार, देखरेख एवं सहयोग के कार्यक्रम नहीं चला पाते।

[क] उत्तरी अमरीका में केवल केनेडा ने रिपोर्ट जमा की इसलिए वह 133 देशों में शामिल है, लेकिन उत्तरी अमरीका के लिए क्षेत्रीय विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, फिनलैंड में यौनिकता के आधार पर भेदभाव करने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध है[26]। दूसरी ओर, न्यूज़ीलैंड ने कहा कि वहाँ दो सहमत वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित किया जाना गैर-अपराधीकृत कर दिया गया है[27]। फिनलैंड के कानून में भेदभाव न किए जाने पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन न्यूज़ीलैंड का कानून उससे एक कदम आगे, एक सहायक वातावरण बनाने की बात करता है। अत: आवश्यक है कि अलग अलग कानूनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सहयोगी प्रावधानों की ओर भी ध्यान दिया जाए, चाहे उनका एक ही नाम क्यों न हो।

कारण शायद बहुत अलग हों, लेकिन पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी/केन्द्रीय यूरोप से समलैंगिक पुरुषों के प्रति किसी प्रकार के भेदभावपूर्ण कानूनों या नीतियों की रिपोर्ट नहीं दी गई है। इसके विपरीत, 43 देशों (32 प्रतिशत) ने कहा कि उनके देश में ऐसे कानून एवं नीतियाँ हैं जो पुरुषों के बीच यौन संबंध को अपराधीकृत करते हैं (चित्र 1)। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 71 प्रतिशत देशों से ऐसे कानूनों की रिपोर्ट दी गई है, जैसा कि 33 प्रतिशत उप-सहारा अफ्रीका के 33 प्रतिशत देशों में भी है। ऐसे कानूनों के कारण इन देशों में पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों (एमएसएम) के बीच एचआईवी रोकथाम, उपचार, देखरेख तथा सहयोग के प्रभावकारी कार्यक्रम चलाने में बाधा आती है।[24] इनमें से कुछ नकारात्मक प्रभावों को उन सरकारों ने खुले रूप से स्वीकार किया है जहाँ ये कानून लागू हैं :

''कानून के अंतर्गत पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को कोई मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन गुदा मैथुन के विरुद्ध कानून ज़रूर हैं। गुदा मैथुन के अपराधीकरण के कारण महिलाओं, युवाओं, समलैंगिक पुरुषों तथा यौनकर्मियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।'' (मॉरिशस)[29]

''एमएसएम के अपराधीकरण... के कारण यह जनसमूह छिप कर रहने के लिए विवश हो गया है और यही कारण है कि उन्हें एचआईवी और एड्स संबंधी उचित जानकारी एवं सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं। ऐसे कानून एवं नीतियाँ हैं जिनके कारण एमएसएम के लिए सेवाओं तक पहुँचने में बाधा आती है... एमएसएम के विरुद्ध सामाजिक कलंक एवं भेदभाव... के कारण कभी कभी इस समुदाय पर हिंसा भी होती है... एमएसएम को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए जिससे कि उन पर सामाजिक कलंक एवं भेदभाव कम हो तथा वे लोग सेवाओं तक पहुँच पाएं।'' (कीनिया)[30]

जहाँ तक इन कानूनी एवं नीतिगत प्रावधानों की विषयवस्तु का प्रश्न है, वहाँ केवल एक देश ने कहा है कि पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों के अपराधीकरण के कारण एचआईवी संबंधित सेवाएँ उपलब्ध कराने में बाधा आती है।[24] लेकिन ज़िम्बाब्वे ने कहा है कि समलैंगिक पुरुषों के लिए एचआईवी सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने में कोई कानूनी या नीतिगत बाधा नहीं है और पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों का अपराधीकरण एचआईवी से बचाव का ही एक पहलू है[31]।

यौनकर्म

केवल 21 प्रतिशत देशों ने कहा है कि वहाँ

यौनकर्मियों के लिए सुरक्षात्मक व गैर भेदभावकारी कानून व नियम हैं (चित्र 2)। विशेषकर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया (14 प्रतिशत), पश्चिमी एवं केन्द्रीय यूरोप (14 प्रतिशत) और उप-सहारा अफ्रीका (17 प्रतिशत) के कुछ देशों ने ऐसे सुरक्षात्मक कानूनों की मौजूदगी रिपोर्ट की है[24]।

इसके विपरीत, 59 देशों (44 प्रतिशत) ने कहा है कि उनके देश में यौनकर्म कानूनी अपराध है अतः इस जनसमूह के लिए प्रभावकारी एचआईवी बचाव, उपचार, देखरेख तथा सहयोग के कार्यक्रम लागू करने में बाधा आती है (चित्र 2)। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से बहुत बड़ी संख्या में (79 प्रतिशत) देशों ने यौनकर्म के विरुद्ध ऐसे कानूनों की मौजूदगी की रिपोर्ट दी है[24]।

कुछ देशों की रिपोर्ट में ऐसे भेदभावपूर्ण कानूनों की मौजूदगी होने से यौनकर्मियों के लिए सुरक्षात्मक नियम न होने को ज़्यादा बड़ी बाधा माना गया है, उदाहरण के लिए :

''नेपाल सर्वोच्च न्यायालय ने यौनकर्म की व्याख्या एक व्यवसाय के रूप में की है और यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अंतर्गत यौनकर्म गैर कानूनी हो। लेकिन, यौनकर्मियों के लिए विशेष सुरक्षा के अभाव में, पुलिस समय समय पर उन्हें बंदी बनाने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था एवं अश्लीलता संबंधी कानूनों का प्रयोग करती है। इस प्रताड़ना के कारण यौनकर्मी एचआईवी बचाव तथा उपचार कार्यक्रमों में भाग लेने से कतराते हैं, अतः यह एचआईवी रोकथाम एवं उपचार के मार्ग में बाधा है।'' (नेपाल)[32]

देशों से प्राप्त रिपोर्टों के अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार से यौनकर्म को नियंत्रित किया जाता है। जहाँ यौनकर्म कानूनी रूप से अपराध है या अदृश्य है, वहाँ न केवल प्रभावकारी एचआईवी कार्यक्रम चलाने में बाधा आती है, बल्कि कुछ मामलों में तो कानून के अंतर्गत ही मानव अधिकारों का हनन होता है :

''स्वाज़ीलैंड में यौनकर्म गैर कानूनी होने के कारण, इस जनसमूह की आसानी से पहचान नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें गिरफ्तार होने या सामाजिक कलंक का डर होता है...यौनकर्मियों के लिए एचआईवी का खतरा कई कारणों से बहुत ज़्यादा होता है। स्वाज़ीलैंड में, यौनकर्म को अत्यंत कलंकित व्यवसाय माना जाता है और यौनकर्मियों को अक्सर आरोपित, श्रेणीबद्ध, मान्यता ना मिलना और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यह प्रताड़ना और भी गंभीर रूप धारण कर लेती है क्योंकि यौनकर्म गैर कानूनी है और इस देश में इसे अपराध माना जाता है। ऐसी स्थिति में, संभव है कि यौनकर्मियों को कंडोम, एचआईवी सुरक्षा संबंधी जानकारी तथा यौन स्वास्थ्य सेवाएँ आसानी से उपलब्ध न हों।'' (स्वाज़ीलैंड)[33]

''यौनकर्म गैर कानूनी है और यही कारण यौनकर्मियों को उचित सेवाएँ उपलब्ध न कराए जाने के लिए उपयोग किया जाता है।'' (सेंट लूसिया)[34]

''दंड संहिता एवं दंड प्रक्रियाओं में सुरक्षात्मक प्रावधान केवल उन लोगों के लिए दिए गए हैं जो किसी प्रकार से सामाजिक चुनौती पेश नहीं करते,

और यौनकर्म को एक सामाजिक चुनौती माना जाता है। स्वास्थ्य संहिता के अंतर्गत यौनकर्मियों को यौन स्वास्थ्य परीक्षण करवाना अनिवार्य है, जो संपूर्ण देखरेख उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि उसके कारण अक्सर कोई लाभ नहीं मिलता और पुलिस द्वारा शोषण एवं घूसखोरी को ही बढ़ावा मिलता है।'' (ग्वाटेमाला)[35]

''विवाहित रिश्ते से बाहर यौन संबंध स्थापित करना गैर कानूनी है तथा शादी से बाहर रिश्ता बनाने की सज़ा मृत्युदंड है; लेकिन इसको साबित करना बहुत जटिल है... यौनकर्म के विरुद्ध कोई विशेष कानून नहीं है।'' (इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान)[36]

चित्र 2 : यौनकर्मियों को प्रभावित करने वाले सरकारी नियम, क्षेत्र अनुरूप, 2008[27]

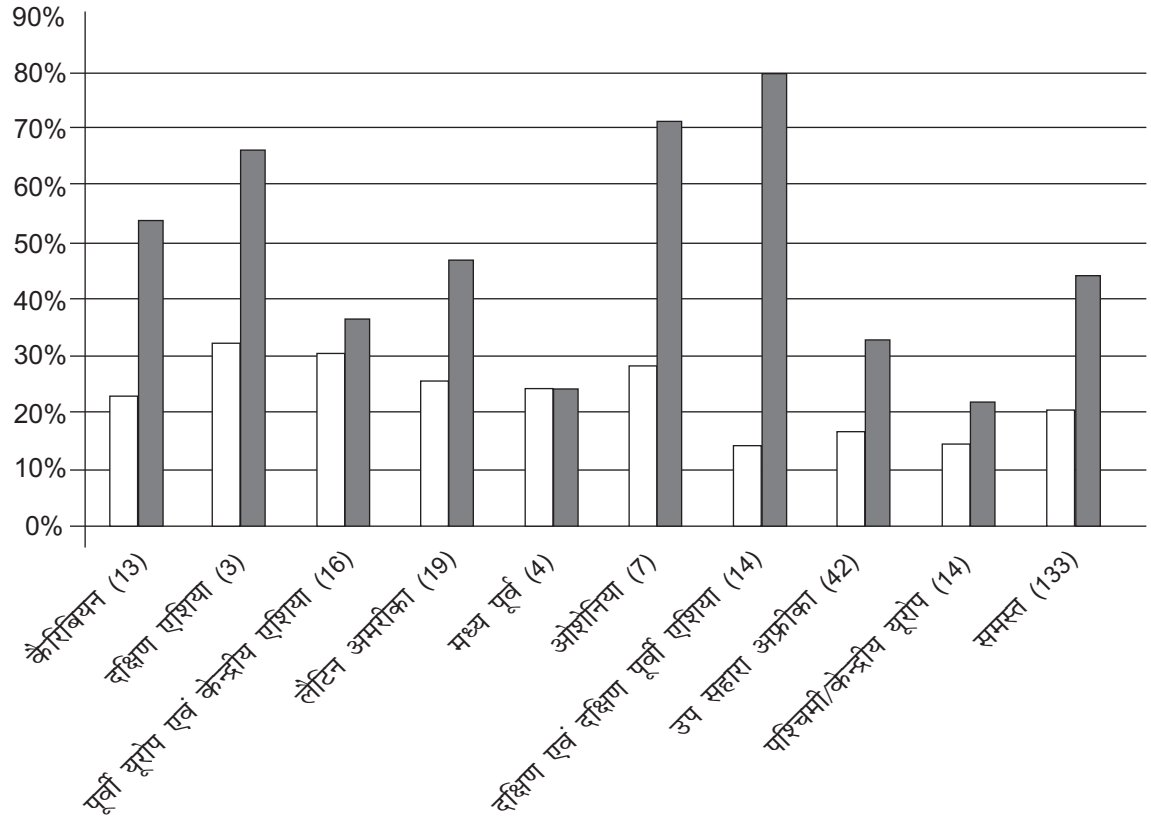

□ उन देशों की प्रतिशत संख्या जिन्होंने गैर भेदभावकारी कानून एवं नीतियों की मौजूदगी रिपोर्ट की है, जिसके अंतर्गत यौनकर्मियों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान हैं।

■ उन देशों की प्रतिशत संख्या जिन्होंने ऐसे कानूनों की मौजूदगी रिपोर्ट की है जिनके कारण वे यौनकर्मियों के लिए प्रभावकारी बचाव, उपचार, देखरेख एवं सहयोग के कार्यक्रम नहीं चला पाते।

''आवारागर्दी अधिनियम के अंतर्गत पुरुष एवं महिला यौनकर्मियों के लिए एचआईवी रोकथाम प्रयासों पर रोक है... पुलिस वेश्याघरों में छापे मारती है और यौनकर्मियों को यौन बीमारियों की जाँच के लिए न्यायालय में पेश करती हैं।'' (श्रीलंका)[37]

जिन यौनकर्मियों को यौन रोग होता है, उनके साथ क्या किया जाता है, इसकी जानकारी श्रीलंका ने नहीं दी है और ना ही इसके बारे में, कि उन्हें स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध हैं या नहीं।

विभिन्न देशों में पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों और यौनकर्मियों के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं में काफी अंतर है। कुछ देशों में यह सुरक्षा केवल भेदभाव से बचाने का प्रावधान है, और कुछ में सुनिश्चित करती है कि इन जनसमूहों को एचआईवी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उचित संसाधन दिए जाएँ। इसी प्रकार इन कानून एवं नीतियों की एचआईवी सेवाओं के लिए बाधक के रूप में काम करने की क्षमता भी अलग अलग देशों में अलग है।

कानून एवं नीतियों में मतभेद

विभिन्न देशों के राष्ट्रीय कानूनी ढाँचों के अंतर्गत बनाए गए कानून एवं नीतियों में आंतरिक मतभेद हैं। उभरते सबूतों के साथ साथ बदलती राजनैतिक विचारधाराओं के कारण नए कानून एवं नीतियाँ बन तो रही हैं, परंतु इन्हें लागू करते समय पहले से चले आ रहे कानूनों और नीतियों से इनके मतभेद को अक्सर नज़रंदाज़ कर दिया जाता है, विशेषकर जहाँ संवेदनशील मुद्दों पर आपस में टकराव होने की स्थिति आती है, जैसा कि यौनिकता एवं एचआईवी के साथ होता आया है। अत: हो सकता है कि रूढ़िवादी नैतिक विचारधाराओं पर आधारित नीतियाँ, पुरुषों के बीच यौन संबंधों या यौनकर्म को नियंत्रित करने की कोशिश करें, जहाँ उन्हीं देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ, जो ठोस सबूतों पर आधारित हैं, इन्हीं जनसमूहों के लिए सेवाएँ उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखती हों।

यूएनजीएएसएस प्रक्रिया के अंतर्गत, कई देशों ने ऐसे कानून एवं नीतियों की मौजूदगी की रिपोर्ट दी है जहाँ किसी विशेष उप-जनसमूह के लिए सुरक्षात्मक प्रावधन हैं और उन्हीं जनसमूहों के लिए एचआईवी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उसी देश के कानून एवं नीतियाँ बाधक सिद्ध होती हैं (चित्र 3)।

उदाहरण के लिए, वियतनाम ने कहा कि हालाँकि एचआईवी कानून संवेदनशील लोगों के बीच कंडोम वितरण का प्रावधान देता है, एक अन्य कानून के अंतर्गत कंडोम के साथ पाया जाना यौनकर्म करने के सबूत के रूप में समझा जाता है, जो कि गैर कानूनी है[38]। इसी प्रकार, टर्की में, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों के बीच कंडोम तो वितरित किए जाते हैं, लेकिन कंडोम के साथ पाए जाने को पुलिस यौनकर्म के गैर कानूनी काम में शामिल होने का सबूत मानती है[39]।

किसी भी देश की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि उनकी सरकार इन विसंगतियों को दूर करने की मंशा रखती है या नहीं। लेकिन इतने उच्च स्तर पर कानून एवं नीतियों की विसंगतियों की पहचान करना एक संकेत है, कि इन देशों में कानून संशोधन के लिए जनवकालत प्रयास

बढ़ाए जा सकते हैं। कानूनी संशोधन की प्रक्रियाएँ काफी लंबी तथा राजनैतिक रूप से जटिल होती हैं, लेकिन इससे होने वाले सकारात्मक प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, बोट्स्वाना, जिसने रिपोर्ट में कहा है :

''विस्थापित लोगों, कैदियों, यौनकर्मियों और एमएसएम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति ढाँचे की मध्य-कालीन समीक्षा द्वारा उचित मुद्दे उठाए गए, जिनके आधार पर सुझाव भी दिए गए। यह एक सकारात्मक कदम है क्योंकि इससे ऐसे कानून के समीक्षा के लिए रास्ता खुला है जो एमएसएम और व्यावसायिक यौनकर्म को अपराध मानते हैं, अत: उनके लिए बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी[40]*।''*

ऐसे मामलों में नागरिक संस्थाओं की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी संशोधनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिसका दायरा एचआईवी से आगे आम स्तर पर बराबरी और भेदभाव-रहित जीवन तक हो सकता है।

जनसमूह बनाम व्यवहार नियंत्रण

जैसा कि पहले भी कहा गया है, यौन संबंधों एवं यौनिकता की नियंत्रण नीतियों का विश्लेषण करने में एक बड़ी समस्या है व्यवहार की भाषा के विपरीत जनसमूहों की भाषा का उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचों के अंतर्गत किसी भी ऐसे जनसमूह के असल और अपेक्षित सदस्यों के साथ भेदभाव करने पर प्रतिबंध है, जिन्हें वैसे भी काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ''संवेदनशील जनसमूह'' की व्यापक श्रेणी, जिसका सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियां समर्थन करती हैं, पहचान तथा कृत्य के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है - क्योंकि केवल एक जनसमूह का सदस्य होने से ही एचआईवी के प्रति संवेदनशीलता नहीं बढ़ती, बल्कि किसी कृत्य या किसी विशेष प्रकार के व्यवहार के कारण बढ़ती है। उदाहरण के लिए, हालाँकि गुदा मैथुन से योनि मैथुन के मुकाबले एचआईवी संक्रमण की संभावना अधिक है, ऐसा तभी होता है जब निरंतर या उपयुक्त तरीके से कंडोम का उपयोग न किया जाए। समलैंगिक पुरुषों को ''संवेदनशील जनसमुदाय'' में शामिल किए जाने में निहित मान्यता है कि वे कंडोम का उपयोग उतनी नियमितता से नहीं करते जितना कि विषमलैंगिक लोग करते हैं (चाहे वे गुदा मैथुन करें या योनि मैथुन)। इसके विपरीत, राष्ट्रीय कानून एवं नीति ढाँचों के अंतर्गत विशिष्ट व्यवहारों को नियंत्रित करने के ही प्रावधान हैं, चाहे उनके कारण विशिष्ट जनसमूहों के विरुद्ध भेदभाव को ही बढ़ावा क्यों न मिलता हो।

ऐसे कई कारण हैं जो हमें यह सोचने पर विवश कर देते हैं कि ''संवेदनशील जनसमूहों'' की अवधारणा, विशेषकर एचआईवी के संदर्भ में, जितनी विकसित की जा सकती थी, हो चुकी है और इस प्रक्रिया में कोई विशेष पुनर्विचार भी नहीं किया गया। वर्ष 2008 के यूएनजीएएसएस रिपोर्टिंग चक्र में, ''संवदेनशील जनसमूहों'' की सूचि में - महिलाएँ, युवा, सुई से नशीले पदार्थ लेने वाले लोग, यौनकर्मी, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुष, कारागार में बंद बंदी तथा पलायनरत/घुमंतु जनसमूह हैं[22]। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि एचआईवी के संदर्भ में केवल एक ही जनसमूह पूरी तरह से सुरक्षित है, और वह है पूर्णतया विषमलिंगी पुरुषों का समूह, जो सुई से नशीले पदार्थ न लेते हों, यौनकर्मियों के पास न जाते हों और कारागार में बंद न हों तथा पलायन न करते हों। इस प्रकार जनसांख्यिकीय लक्षणों, व्यवहारों और जीवन की स्थितियों के मिश्रण से

चित्र 3 : उन देशों की प्रतिशत संख्या जहाँ पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों तथा यौनकर्मियों के संदर्भ में बनाए गए कानून, नियम या नीतियों में आपसी मतभेद है, 2008[27]

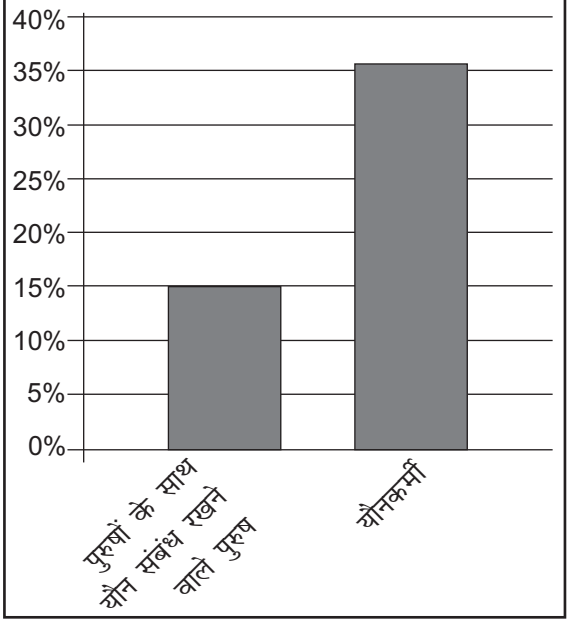

विभिन्न समाजों में संवेदनशीलता की अवधारणाओं के बीच मतभेद होने का खतरा रहता है। इसलिए भविष्य में प्रभावी एचआईवी कार्यक्रम तैयार करने में ''संवेदनशील जनसमुदायों'' की अवधारणा पर कई सवाल उठते हैं।

निष्कर्ष

एक सहयोगी नियंत्रक वातावरण का यौनिकता की अभिव्यक्ति में बेजोड़ महत्व है। इसी आधार पर डब्ल्यूएचओ और यूएनएड्स, दोनों संस्थाएँ पुरुषों के बीच यौन संबंध तथा यौनकर्म के गैर अपराधीकरण का समर्थन करती हैं[13,40]। वर्ष 2008 में यूएनजीएएसएस को दी की गई विभिन्न देशों की रिपोर्टों में वैश्विक स्तर के प्रथम आंकड़े दिए गए हैं कि यह देश यौनकर्म एवं यौनिकता संबंधी अपने ही नियंत्रक ढाँचों की क्या समझ रखते हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। एक ओर मानव अधिकार सुरक्षाओं का विकास जारी है। वहीं दूसरी ओर, कंडोम उपयोग संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक तथा सुरक्षित यौन संबंध के लिए बढ़ावा दिया जाना, इस बात के सूचक हैं कि अभी भी ऐसे कानूनी ढाँचों की आवश्यकता है जिससे समलैंगिक पुरुष एवं यौनकर्मियों को एचआईवी के प्रति जोखिम कम हो और यह जनसमूह उपलब्ध सेवाओं का उपयोग कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ढाँचे के अंतर्गत नई सुरक्षाएं शामिल की जा रही हैं, परंतु राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच अभी भी काफी अंतर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न नीतियों में आपसी विसंगतियां हैं, जिनका संशोधन काफी धीमी गति से हो रहा है।

यौन संबंधों एवं यौनिकता के नियंत्रण का स्वरूप अत्यंत राजनैतिक है। आवश्यक है कि यौनिकता की सुरक्षित अभिव्यक्ति व स्वस्थ विकास के लिए उपयुक्त कानून एवं नीति परिवेश का विकास किया जाए। इसके अतिरिक्त, एचआईवी को प्राथमिक आधार बनाते हुए इन नियंत्रक ढाँचों में महत्वपूर्ण संशोधन किए जा सकते हैं जो समलैंगिक पुरुषों और यौनकर्मियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। यूएनजीएएसएस रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर के कानूनी एवं नीतिगत संशोधन करने में मदद मिल सकती है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं, राष्ट्रीय वातावरण एवं लोगों के जीवन की सच्चाईयों के बीच की आपसी विसंगतियां दूर की जा सकें। इससे अंततः एचआईवी संबंधी तथा अन्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने और इससे भी ज़रूरी, यौनिकता की उन्मुक्त और सुरक्षित अभिव्यक्ति के लिए जगह बनाई जा सकती है।

आभार

इस लेख के लेखक, राईली स्टाईनर के उत्कृष्ट अध्ययन सहयोग और यूएनएड्स के सहयोग के अत्यंत आभारी हैं जिसके कारण यह लेख संभव हो पाया।

पत्र व्यवहार के लिए पता:

क स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार विषय की सहायक प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार कार्यक्रम निर्देशक, जो डिपार्टमैंट ऑफ ग्लोबल हैल्थ ऐंड पॉपुलेशन, हारवर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ, बॉस्टन, एम ए, यू.एस.ए में स्थित है। ई मेल : sgruskin@hsph.harvard.edu

ख अध्ययन प्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार कार्यक्रम निर्देशक, जो डिपार्टमैंट ऑफ ग्लोबल हैल्थ ऐंड पॉपुलेशन, हारवर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ, बॉस्टन, एम ए, यू.एस.ए में स्थित है।

संदर्भ

1. Miller A. Sexuality and human rights: discussion paper. Versoix: International Council on Human Rights Policy, 2009.
2. Saunders S. Prohibiting sex work projects, restricting women's rights: the international impact of the 2003 US Global AIDS Act. Health and Human Rights 2004;7(2):179-92.
3. Miller A. Sexuality, violence against women, and human rights: women make demands and ladies get protection Health and Human Rights 2004;7(2):17-47.
4. United Nations. Universal Declaration of Human Rights. G.A. Res. 217A (III), UN GAOR, Res. 71, UN Doc. A/k810. New York: UN, 1948.
5. United Nations. Nicholas Toonen v. Australia, UN GAOR, Human Rts Cte, 15th Sess, Case 488/1992, UN Doc CCPR/c/D/488/1992, 1994.
6. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment 14 on the right to the highest attainable standard of health. 8 November 2000. E/C.12/2000/4, twenty-second session Geneva, 2000.
7. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment 20 on non-discrimination in economic, social and cultural rights. 2 July 2009. E/C.12/GC/20. Forty-second session Geneva, 2009.
8. Delhi High Court. Judgment 7445/2001. 2 July 2009. At: www.ilga.org/news-upload/Delhi_high_court_decision.pdf Accessed 26 October 2009.
9. Federation of Women Lawyers Kenya. Documenting human rights violations of sex workers in Kenya. 2008. At: www.soros. Accessed 26 October 2009.
10. United Nations. Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women, GA Res. 34/180, UN GAOR, 34th Sess, Supp. No. 46, at 193, UN Doc. A/34/46. New York: UN, 1979.
11. United Nations. Convention on the Rights of the Child (CRC), GA Res. 44/25, UN GAOR, 44th Sess, Supp. No. 49, at 166, UN Doc. A/44/25. New York: UN, 1989.
12. United Nations. Optional Protocol to the Convention on Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. GA Res. 54/263, Annex I, 54 UNGAOR, Supp. No. 49, at 7, UN Doc. A/54/49/. New York: UN, 2000.

13. UNAIDS Guidance note on HIV and sex work. Geneva: UNAIDS, 2009. At: <http://data.unaids.org/pub/basedocument/2009/jc1696_guidance_note_hiv_and_sexwork_en_pdf> Accessed 26 October 2009.
14. United Nations: Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. 2 December 1949, A/RES/317. At: http://www2.ohchr.org/english/law/trafficpersons.htm Accessed 26 October 2009.
15. Crago A. Our Lives Matter: Sex Worlers Unite for Health and Rights. New York: Open Society Institute, 2008. <www.soros.org/initiatives/health/tows/sharp/articles_publications/publications/ourlivesmatter_20080724>. Accessed 26 October 2009.
16. Caceres C, Pecheney M, Frasca T, etc al. Review of legal frameworks and the situation of human rights related to sexual diversity in low and middle income countries. Study commissioned by UNAIDS, 2008. At: <www.clam.org.br/publique/media/vozescontra377.pdf> Accessed 26 October 2009.
17. Long S, Brown AW, Cooper G. More than a Name: State-sponsored Homophobia and its Consequences in Southern Africa. New York: Human Rights Watch, 2003.
18. Smith A, Tapsoba P, Pershu N, et al. Men who have sex with men and HIV/AIOsQ in sub-Saharan Africa. Lancet 2009;374:416–22.
19. Kulick D. On the "Swedish Model." Global Rights. At: http://www.globalrights.org/site/DocServer/Don_Kulick_on_the_Swedish_Model.pdf?docID=k5803 Accessed 26 October 2009.
20. Hawkes S, Collumbien M, Platt L, et al. HIV and other sexually transmitted infections among men, transgenders and women selling sex in two cities in Pakistan: a cross-sectional prevalence survey. Sexually Transmitted Infections 2009; 85(Suppl 2):ii8–ii16.
21. UN General Assembly Special Session on HIV/AIDS. Declaration of commitment on HIV/AIDS. Geneva: UNAIDS, 2001. At: www.un.org/ga/aids/coverageFinalDeclarationHIVAIDS.html Accessed 26 October 2009.
22. UNAIDS. Monitoring the declaration of commitment on HIV/AIDS: guidelines on the construction of core indicators. Geneva: UNAIDS, 2007. At: http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/20070411_ungass_core_indicators_manual_en.pdf Accessed 26 October 2009.
23. United Nations. Declaration of Commitment on HIV/AIDS and Political Declaration on HIV/AIDS: Midway to the Millennium Development Goals Report of the Secretary-General. April 2008. At: www.ua2010.org/en/content/download/26157/309352/file/SG%20Report_UNGASS.doc Accessed 26 October 2009.
24. UNAIDS. UNGASS progress reports submitted by countries. 2008. At: www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/CountryProgress/2007CountryProgressAllCountries Accessed 26 October 2009.
25. UNAIDS. UNGASS progress reports: Finland. 2008. At: <http://data.unaids.org/pub/Report/2008/finland_2008_country_progress_report_en.pdf Accessed 26 October 2009.